खण्ड-255, अंक-4
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(12 मार्च, 1965 ई0)

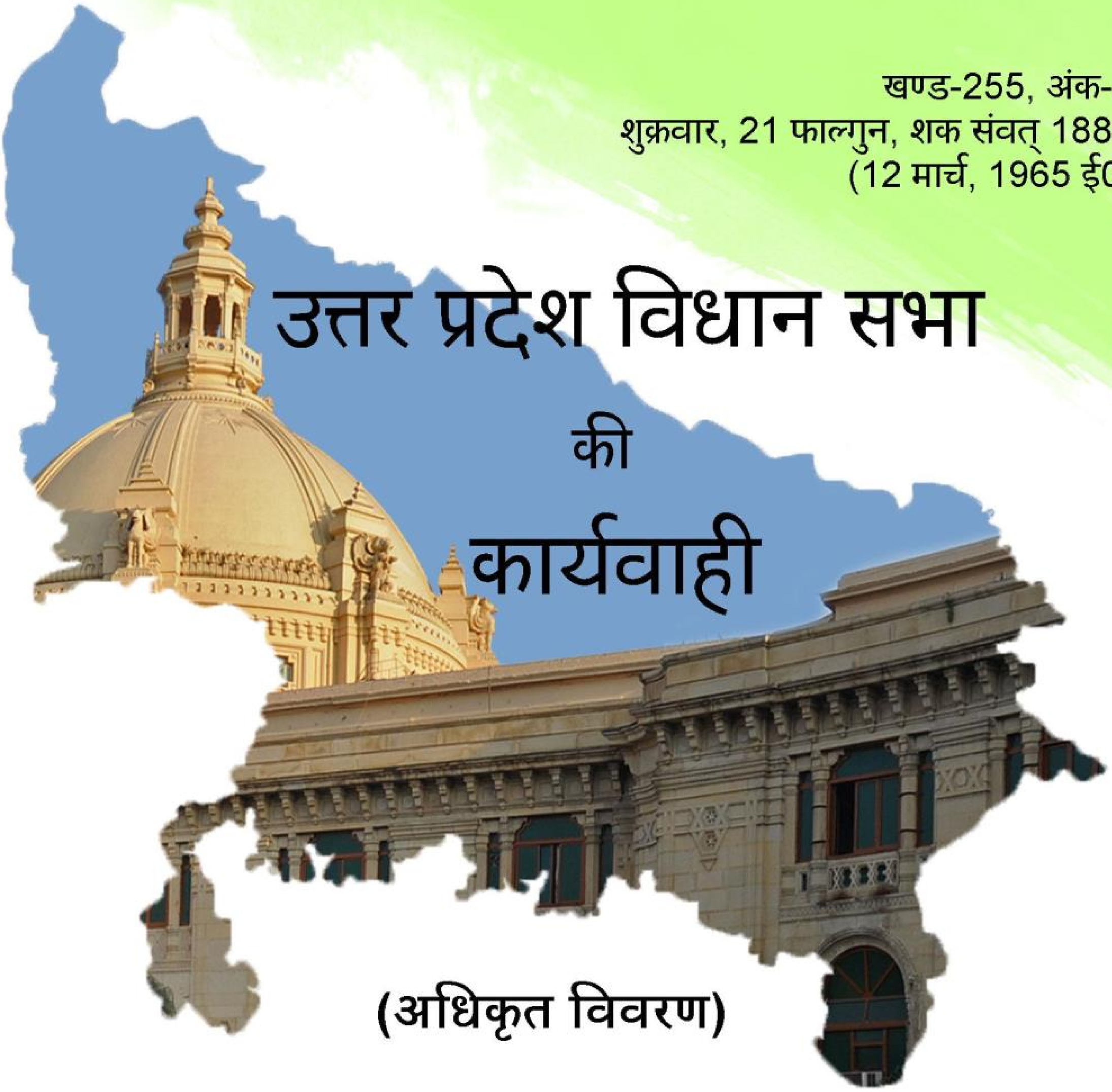

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	३४९—३५३
प्रश्नोत्तर	३५३—३८५
श्री केशवसिंह के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के विषय में जानकारी (जारी)	३८५
प्रश्न के अतारांकित किये जाने के संबंध में आपत्ति ..	३८५
सदन में किये गये अभ्यारोपण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३८५—३८६
श्री केशवसिंह के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के विषय में जानकारी	३८६
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३८७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	३८७
समाचार-पत्र में दल का गलत उल्लेख किये जाने पर आपत्ति ..	३८७
श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर द्वारा सदस्यों को भाषण के लिये बुलाये जाने के संबंध में सुझाव	३८७—३८८
कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल, टैनरी तथा अन्य मिलों के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	३८८—३९०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	३९०—३९१
१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	३९१—४५२
ग्राम दरेहटा, जिला उन्नाव में कलेक्शन कर्मचारियों द्वारा वसूली में किये गये अत्याचार के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा ..	४५२—४५९
तिथियां	४६०—४८५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार १२ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कुमार करुणकृष्ण नाथर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधरमैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराय, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
वंशीधर पाण्डेय, श्री
वंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गु त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्तमायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मदरफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअन्नत पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूर प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री

संसदीय प्रदेश सभा

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईदअहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम डाक्टर,
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हाई स्कूल परीक्षा-क्रम में परिवर्तन के लिए प्रार्थना

**१---श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या शिक्षा मंत्री हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के परीक्षा क्रम में जो २५ मार्च, १९६५ को विज्ञान और संस्कृत के प्रथम प्रश्न-पत्र और २६ मार्च को उपरोक्त विषयों के द्वितीय प्रश्न पत्र एक ही दिन सवेरे और संध्या समय रख दिये गये हैं इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि दोनों विषय सन्निकट समय में याद करके तैयार करने के महत्व वाले हैं, संस्कृत विषय की परीक्षा अनिवार्य विषयों की परीक्षा के बाद २९ मार्च के उपरान्त रखवाने की कृपा करेंगे जैसा कि विज्ञान वर्ग के जीव विज्ञान, कला आदि अन्य वैकल्पिक विषयों के लिये व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)---

हाई स्कूल परीक्षा का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाता है। परिषद् ने असमर्थता प्रकट की है कि इतने विलम्ब से परीक्षा के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार सभी वर्ग के विद्यार्थियों को संस्कृत लेने की गुंजायश है और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये संस्कृत रट कर तैयार करने वाला विषय है, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ३ तारीख को परीक्षा खत्म हो रही है ५ अप्रैल, सोमवार, को संस्कृत की परीक्षा का कार्यक्रम रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

ऐसा विचार नहीं है और रट कर पढ़ने वाली बात भी शिक्षा परिषद् को मान्य नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि शिक्षा परिषद् को मान्य नहीं है कि विद्यार्थियों को रट कर तैयार करना पड़ता है तो क्या इस तरह की सूचना शिक्षा परिषद् के अधिकारियों ने उनको दी है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जितना भी कोर्स पढ़ाया जाता है उम्मीद यह की जाती है कि साल भर विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा और आत्मसात किया और उसके बाद जब इम्तहान देने के लिये गये वहां जो कुछ पूछा गया उसका जबाब दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

डाक्टर रघुनाथ सिंह का सवाल संस्कृत के प्रथम प्रश्न–पत्र के संबंध में है जिसकी परीक्षा २६ मार्च को होने को है वही प्रश्न-पत्र बुलन्दशहर में आउट हो गया है, तो जिस प्रश्न–पत्र की परीक्षा डाक्टर रघुनाथ सिंह जी बाद में कराना चाहते थे और वह बुलन्दशहर तथा आस-पास के जिलों में आउट हो गया है तो अब आप क्या करेंगे उसके सिलसिले में ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

प्रश्न दो हो गये । एक प्रश्न तो यह था जो माननीय सदस्य ने दिया था कि विज्ञान वालों के लिये उसी रोज जिस रोज उनकी विज्ञान की परीक्षा हो, उसी रोज संस्कृत की भी परीक्षा रखी गयी है। ५ विषय होते हैं किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी के लिये और विज्ञान वर्ग के जो होते हैं ४ उनके लिये कम्पलसरी हो जाते हैं और एक वैकल्पिक है और वह किसी दूसरे वर्ग से भी विषय ले सकता है । समस्या यह रहती है कि जब बहुत से वैकल्पिक विषय होते हैं और विषयों की संख्या बहुत रहती है तो सब को यदि प्रथम रखा जाय तो परीक्षा बहुत दूर तक चली जाती है। जब समिति के सामने यह बात आयी कि परीक्षा इतने दिनों तक चलती है और विद्यार्थियों को काफी समय लग जाता है, तो समिति ने सुझाव दिया था कि परीक्षा की अवधि निर्धारित हो जाना चाहिये और १६ रोज के अन्दर परीक्षा समाप्त करनी है। वैकल्पिक विषय बहुत हैं तो कहीं न कहीं ऐसी बात आवेगी ही । संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान और संस्कृत का कौम्बीनेशन यह प्रायः कम विद्यार्थी लेते हैं । इसलिये जो असुविधा है, अगर असुविधा भी मानें, हालांकि जैसा शिक्षा उप-मंत्री जी ने कहा कि भाषा तो ऐसा विषय होता है जो कोई घंटे दो घंटे में पढ़ नहीं सकते । अब सारा सवाल यह है कि उस भाषा को वह तैयार न करे और फिर समझे कि २, ३ , ४ , घंटे में तैयार करके वह पास हो सकता है , यह बात कुछ जंचती नहीं है। किन्तु यदि हम उसे असुविधा भी समझें तो वह ऐसी जगह रखा गया है कि जहां वह कम से कम असर डालता है ।

रही पर्चा आउट होने की बात, उसे देखा जायगा कि क्या होना चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

शाहजहांपुर में श्री शंकरलाल ज्वेलर की गिरफ्तारी

*१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में श्री शंकरलाल पुत्र श्री इन्दर लाल, मालिक फर्म कैलाश ज्वेलर्स । शाहजहांपुर को सेल्स टैक्स का बकाया न देने के अपराध में २८ जुलाई, १९६४ को क्यों गिरफ्तार किया गया जब कि २९ जुलाई, १९६४ तक का स्टे आर्डर उनको मिल चुका था ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार कैलाश ज्वेलर्स, शाहजहांपुर के मालिक, श्री शंकरलाल पर १९६१–६२ वर्ष के लिये रु० ५०८·८० पैसे बिक्री कर निर्धारित किया गया । व्यापारी द्वारा कर की रकम जमा न करने के कारण कलेक्टर को वसूली के लिये प्रमाण पत्र भेज दिये गये । २९–६–६४ को व्यापारी ने जज रिवीजन से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया । स्टे आर्डर के अनुसार व्यापारी ने निर्धारित कर का चतुर्थांश २१–७–६४ को जमा कर दिया और इसका ट्रेजरी चालान, जज रिवीजन का स्टे आर्डर तथा शेष रकम की जमानत संबंधी कागजात बिक्री कर अधिकारी के समक्ष २८–७–६४ को प्रस्तुत कर दिये । तत्पश्चात् १४–८–६४ को जमानतदारों की माली हालत की जांच और शेष रकम की वसूली के प्रमाण पत्र बिना अन्य किसी कार्यवाही के वापस किये जाने के आदेश की एक प्रति तहसीलदार को प्रेषित की गई जो उनके कार्यालय में उसी दिन प्राप्त हो गई । परन्तु १९–८–६४ को श्री शंकरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया । इस गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही बिक्री-कर अधिकारी को मिली उन्होंने तत्काल तहसीलदार का ध्यान उक्त स्टे आर्डर की ओर आकर्षित किया और फलस्वरूप श्री शंकरलाल उसी दिन शाम को मुक्त कर दिये गये ।

*२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार गिरफ्तार करके शासन को बदनाम करने वाले कर्मचारियों, जिन्होंने कि स्टे होने के बाद भी गिरफ्तार किया, के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

श्री शंकर लाल ने विभाग के अधिकारियों तथा सरकार के विरुद्ध धारा ८०, सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत हरजाने का नोटिस दिया है जिसके फलस्वरूप मामले की छानबीन की जा रही है ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय मंत्री बतलावेंगे कि तहसीलदार ने वारन्ट किस दिनांक को जारी किया और जब स्टे आर्डर १४ तारीख को प्राप्त हो गया तो वारन्ट कैंसिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक इतना मालूम है कि स्टे आर्डर उन्हें १४–८–६४ को मिल गया था लेकिन गिरफ्तारी १९ को हुई है । गलती की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सवाल यह है कि वारन्ट किस दिन जारी हुआ और स्टे आर्डर मिलने के बाद वारन्ट पर दस्तखत हुए या पहले ?

श्री जयराम वर्मा—

नोटिस चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव—

जब स्टे आर्डर तहसीलदार को मिल गया और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी की. . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि सिविल प्रोसीजर कोड में धारा ८० की नोटिस दे दी गई है हरजाने की । तो अदालत में अब तय हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ राव—

अदालत का अपमान करने के कारण तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कोर्ट को डिफाई किया गया, उसकी अवहेलना हुई और ऊपर की कोर्ट ने आज्ञा दी तो उस पर क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

कंटेम्प्ट ऐसे ही नहीं चल जाता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

स्टे आर्डर के बाद वारंट जारी किया गया या पहले जारी किया गया । यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी ? इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये और आज उत्तर न दे सकें तो कल के लिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाय ?

श्री जगन्नाथ राव—

इसको हटा दिया जाय और कल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहें तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे सकते हैं ।

सहारनपुर जिले में सरकारी कर्जा

*३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में १९६२ के साल प्रान्तीय सरकार ने जो लोन फ्लोट किया था उसमें कितना धन संग्रह हुआ ?

*४—क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस लोन के ओवर सब्सक्राइब हो जाने के बाद तहसीलदार रुड़की ने छः हजार रुपये जिला कलेक्टर सहारनपुर को और लाकर दिया? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने यह धन किसी मद में खर्च न करके अपने ही पास रख लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे केस की उच्चस्तर पर जांच कराके मनासिब कार्यवाही करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

२४ फरवरी, १९६५ को यह प्रश्न आया था, उसके बाद फिर १० मार्च, १९६५ को आया लेकिन आज भी जो जवाब मिला है वह आपके सामने है। अब आप सवाल के लिए आज्ञा दें तो सवाल पूछूं, नहीं तो पोस्टपोन समझा जाय।

श्री अध्यक्ष---

सूचना एकत्रित हो जाने दीजिए।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

कब तक सूचना एकत्रित हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---

कई बार इसके लिए स्मरण दिलाया गया है। तार भेजे गये हैं कि जल्दी इसकी सूचना भेज दी जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अफसर लोग कहीं मिलजुल कर केस को खराब न कर दें ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, क्या इसकी सूचना आगामी सप्ताह तक में आ जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---

जैसा निवेदन किया फिर से लिखा भी गया, तार भी भेजा गया है कि इसका जवाब बहुत जल्दी आना चाहिए लेकिन अभी तक जवाब नहीं आ पाया है।

श्री अध्यक्ष---

तार भेजा गया है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि आप विशेष प्रयत्न कर के आगामी सप्ताह जब आपकी बैठक हो, तब तक सूचना मंगा लीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

सरकार जवाब देती है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो यह कोई उत्तर नहीं हुआ। सूचना आ जाय तभी उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह उत्तर नहीं हुआ, इसी कारण एक मर्तबा फिर से यह प्रश्न आयेगा और अब सरकार को तंबीह कर दी गयी है कि अब ऐसी बात न होने पाये।

कानपुर के मिलमालिकों पर बिक्री-कर का बकाया

*५---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के किन-किन मिल मालिकों पर कितना-कितना रुपया कितनी अवधि से सेल्स-टैक्स बकाया है और सरकार ने उसकी वसूलयाबी के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है वसूलयाबी के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

(१) बकाया सेल्स टैक्स की वसूली के लिए जिले के कलेक्टर को वसूलयाबी के प्रमाण-पत्र दे दिए गये हैं जिससे कि सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा ८ के अन्तर्गत वसूलयाबी की कार्यवाही बकाया भूमिकर की वसूली की तरह की जा सके ।

(२) १८ प्रतिशत व्याज उस बकाया धनराशि पर लगाया जा रहा है जिसका भुगतान कर जमा करने की अवधि के ६ महीने के बाद होता है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६०–४६२ पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तालिका तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है उन्हीं माननीय सदस्य को मिली होगी ? क्या माननीय मंत्री जी नामों को पढ़ देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत लम्बी तालिका है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कुल रकम कितनी है ? ४ हजार से ऊपर बकाया वाले कितने हैं, यही बतलाने की कृपा की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवनाथ सिंह पूछ लेंगे ।

श्री शिवनाथसिंह—

बिक्री-कर में कितनी अवधि से प्रत्येक मिल मालिक पर कुल कितना-कितना रुपया बकाया है और जिले भर में कुल बिक्री-कर की बकाया धनराशि कितनी है ?

श्री जयराम वर्मा—

जिला भर की माननीय सदस्य सूचना मांग रहेहैं, यह बहुत तफसील की सूचना है और उत्तर में जो चीज पूछी गयी है वही दी गयी है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के जिम्मे सबसे ज्यादा रुपया बकाया है और वह सब से अधिक अवधि का है उसके खिलाफ प्रथम बार वसूली की कार्यवाही कब की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

कामपुर रोलिंग मिल्स पर ५५–५६ से ५९–६० तक का कुल ७,३६,६०१ रुपया ९५ नया पैसा बकाया है । उनके खिलाफ अभी तक इन सब धनराशियों की वसूली माननीय हाईकोर्ट द्वारा रोक दी गई थी अब इनका रिट पेटीशन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसकी सूचना जिलाधीश को दी जा चुकी है कि वह शीघ्र वसूली करें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस रिट से पहले भी कोई वसूली की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

वसूली की कार्यवाही तो बराबर होती ही रहती है और प्रमाण-पत्र मिलने के बाद जिलाधीश वसूली की हर तरह की कोशिश करते रहते हैं और इधर ६३–६४ में काफी वसूली भी हुई है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस तरह से हम लोगों के हितों की रक्षा कैसे होगी? सवाल कुछ था और जवाब कुछ दिया जा रहा है। हम ने पूछा था कि प्रथम बार वसूली की कार्यवाही कब हुई और वह उत्तर देते हैं कि वसूली होती रहती है।

श्री जयराम वर्मा—

१९५५–५६ से यह बकाया धनराशि चली आती है, यह बताना तो मुश्किल है कि पहली बार कार्यवाही कब हुई, बीच में सैंकड़ों कार्यवाही हुई होगीं। किसी एक के बारे में जानना चाहें तो बताया जा सकता है लेकिन इतने आदमियों के बारे में पहली कार्यवाही के बारे में कैसे बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब है कि इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितना रुपया बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो फेहरिस्त में अलग-अलग दिया है, अन्त में कुल जोड़ नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें लक्ष्मी काटन मिल पर ५७–५८ का १,७१,५४९ रुपया ५० पैसा बाकी है तो जब कि इस सूबे के किसानों से यह सरकारी मुलाजिम कुर्की और वारंट से लगान वसूल करते हैं तो यह जनता की धरोहर का जो बिक्री-कर का पैसा है। जो कि व्यापारी उपभोक्ताओं से वसूल करते हैं तो इस रकम की वसूली में विलम्ब का क्या आधार है, और वसूली की कार्यवाही कब की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

वसूली की कार्यवाही उनके खिलाफ काफी हुई है। वसूली का प्रमाण-पत्र जारी है अर्थदंड ३२,७७७ रुपया धारा १५-ए–१ (सी०) के अन्तर्गत लगाया गया है। जिलाधीश, कानपुर ने २५,००० रुपये की किस्त निर्धारित की। कंपनी ने २५ जुलाई, १९६३ तक किस्त जमा की है उसके बाद किस्त देना बन्द कर दिया। दुबारा जिलाधीश ने १७,००० रुपये की किस्त अक्तूबर, १९६४ में देने के लिए आदेश दिया, उसके बाद नवम्बर में अटेचमेंट किया। कंपनी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया है। उसने प्रार्थना की है कि १७,००० रु० की धनराशि प्रतिमाह देने पर कोई कष्टदायक कार्यवाही न की जाय। हाईकोर्ट ने इंटेरिम रोक का आदेश इस शर्त पर दिया कि १७,००० रु० की धनराशि प्रतिमाह १५ तारीख तक जमा की जावे।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों का रिट कैंसिल हो गया और जिलाधीश को सूचना दे दी गई है उनसे यह रुपया कितनी निश्चित अवधि में निश्चित रूप से वसूल कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई नहीं बता सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ये जो दो मामले हैं एक रोलर मिल का और एक और दूसरा जे० के० रेयन का, इन दोनों मिलों पर ७ लाख और ६ लाख रुपया बकाया है। इस प्रकार यह १३ लाख रुपया हो जाता है। इन दोनों मिलों के मालिक। श्री रामरतन गुप्ता, पदमपत सिंघानिया और जैपुरिया हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

नहीं श्रीमन्, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी बार वसूल किया है? इस ६-६ और ७-७ लाख रुपये को वसूल करने के लिए किस-किस तरह की कार्यवाही की गयी? इससे माननीय सदन को अवगत करने का कष्ट करें?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, जिलाधीश को जब वसूली का प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो उनको अधिकार मिल जाता है और वे बकाया मालगुजारी की तरह से वसूल करते हैं और जिस तरह की सख्ती उसको वसूल करने में होती है, उसी प्रकार इसको भी वसूल करने में होती है। अब यह होता है कि कभी एक दम वसूल कर सकना मुश्किल होता है लेकिन वसूल होता रहा है। पिछले साल में काफी वसूल हुआ है। जितना हमने अन्दाजा किया था उससे भी ज्यादा हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जैसे बकाया लगान सख्ती से वसूल होता है ठीक उसी तरह से सख्ती इस धन की वसूली में भी की गयी, लेकिन लगान की रकम ९९ १/२ फीसदी वसूल हो जाती है हथकड़ी लगाकर, जेल में बन्द करा कर। तो क्या वजह है कि इतनी सख्ती के बाजजूद भी करोड़ों रुपया इन बड़े-बड़े आदमियों के ऊपर बाकी पड़ा हुआ है, वसूल नहीं हो रहा है? क्या माननीय मंत्री जी उनका वारंट निकलवायेंगे और उनको जेल में भेजेंगे?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, मालगुजारी जो ९९ प्रतिशत वसूल हुयी दिखायी पड़ती है उसमें जब कोई रकम जोड़ी जाती है तो वह मतालबात से निकाल दी जाती है और जो बाकी रह जाती है, उसमें देखा जाता है कि कितने फीसदी वसूल हुआ और कितना नहीं। लेकिन ये सेल्सटैक्स १९४८ से आज तक लगभग १६७ करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है। केवल ११ करोड़ और ३ लाख रुपया बाकी है इस प्रकार बकाया केवल लगभग ६ प्रतिशत है। अगर १०० में से ९४ सन् १९४८ से आजतक वसूल हो गया है तो कौन-सी बुरी तस्वीर है?

गोरखपुर जिले में लेखपालों की नियुक्ति

*६--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया २१ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २ के संदर्भ में बतायेगी कि १९६२ मार्च से अब तक किन लोगों की नियुक्ति हुई और क्या इसमें से किसी को बगैर वेटिंग लिस्ट का नम्बर आये ही रख लिया गया है? यदि हां, तो ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों रखा गया है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में निरीक्षकों के भत्ता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि सेक्रेटरी, बोर्ड आफ हाई स्कूल और शिक्षा मंत्री के पास अभी हाल ही में जुलाई, १९६४ या उससे पूर्व ऐसे सैकड़ों प्रार्थना-पत्र आये हैं जिसमें कि १९६२ और १९६३ में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में विभिन्न सेंटरों पर भेजे गये निरीक्षकों को भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां, ऐसे लगभग ४८ प्रार्थना-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में प्राप्त हुए। इनमें जिन ४८ केंद्रों के बिलों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई उनमें से ३२ केंद्रों के बिल पारित किये जा चुके हैं। शेष १६ केंद्रों के बिलों में त्रुटियां होने के कारण वे केंद्रों के व्यवस्थापकों को त्रुटि निवारण हेतु वापस कर दिये गये थे, जो त्रुटि निवारण के उपरांत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन-सी गलतियां हैं जिनके कारण २ वर्षों से रुपया रुका पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—

गलती तो होगी, और कोई सवाल पूछना है तो पूछिए।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापक

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अधीन कितने वर्षों से काम करने वाले कितने अप्रशिक्षित अध्यापक हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता, उम्र तथा श्रेणी क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान बिहार विधान सभा की कार्यवाही की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें ऐसे उत्तर को कन्टैम्ट आफ दी हाउस माना है। तो आप तो अपनी रूलिंग दे दीजिए कि भविष्य में मंत्रिगण ऐसा उत्तर न दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

बाराबंकी जिले में एच० टी० सी० में भर्ती

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में जो एच० टी० सी० यूनिट खुली है उसमें किन-किन योग्यताओं के उम्मीदवार लिए गये हैं और कौन-कौन लिए गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६३–४६४ पर)

*१०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

जिला परिषद् में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं में से उक्त यूनिट में कौन-कौन ली गयीं और उनके सेलेक्शन का क्या आधार रहा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषद्, बाराबंकी से कोई अध्यापिका नहीं चुनी गई । अतः उनके आधार का प्रश्न नहीं उठता ।

शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधुबन के अध्यापक की मुअत्तली

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधुबन, जिला आजमगढ़ में ८ जुलाई, सन् १९५९ को कितने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई और उन्हें कब मुस्तकिल किया गया तथा सेवा मुक्त कब और क्यों किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय–

८ जुलाई, १९५९ को केवल एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति एक वर्ष के परीक्षण काल पर हुई थी । परीक्षण काल की अवधि की समाप्ति पर उसे पुनः नहीं बढ़ाया गया और न अध्यापक को स्थायी किया गया किंतु नियमानुसार वह स्थायी हो गये । २ जनवरी, १९६२ को हाई स्कूल परीक्षा में अनुचित सहायता पहुंचाने के अभियोग में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा दंडित होने के कारण प्रबंधक ने उन्हें निलम्बित कर दिया ।

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सेवा-मुक्त अध्यापकों के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कब और क्या निर्णय लिया गया ? संस्था संचालकों ने उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विभागीय अधिकारियों ने अपना निर्णय अध्यापक के पक्ष में दिया किंतु प्रबंध समिति ने उसका तत्काल पालन नहीं किया । लेकिन प्रबंध समिति और अध्यापक के बीच समझौता हो जाने के उपरांत अध्यापक ने अपना बकाया वेतन लेकर १९ जनवरी, १९६५ से स्वतः त्याग-पत्र दे दिया, जो प्रबंधक द्वारा स्वीकृत हो गया । इस स्थिति में प्रबंधक द्वारा विभागीय आज्ञाओं के पालन न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय आदेश अंतिम आदेश किस तारीख को हुआ था और यह रुपया उस अध्यापक को कब दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह रुपया दिया गया है १९ जनवरी, १९६५ को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि आदेश कब हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह इससे पहले हुआ था । ३ सितम्बर, १९६३ के करीब इसका फैसला हुआ था उसके बाद उन्होंने अपील की, फिर रिट की और उसके बाद जब फैसला हुआ, तब यह हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब ६१ में विभागीय अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस अधिकारी को रुपया दे दिया जय किंतु फिर भी दो वर्ष तक उसे रुपया नहीं दिया गया और उसे बरखास्त भी किया गया बिना नोटिस दिए हुये, तो विभाग ने कौन सी कार्यवाही की उस संचालक मंडल के विरुद्ध ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, उस अधिकारी को मैनेजमेंट का अनुभव है, वह अपील में जाय और वह गया है ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अध्यापक जो परीक्षा में अनुचित काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें शिक्षा परिषद् से दंड मिलता है और यदि किसी विद्यालय में सामूहिक नकल हो जाती है तो उस विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही होती है और उसका अनुदान बन्द हो जाता है । तो मैनेजमेंट ने उस अध्यापक को निलम्बित कर दिया और दंड दे दिया, क्योंकि उसने सेंटर को बदनाम किया । किंतु विभागीय अधिकारियों ने उस अध्यापक के पक्ष में निर्णय लिया । तो क्या मैनेजमेंट को भी इस अनुचित कार्य करने के लिए दंड की व्यवस्था की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

अब इसकी क्या जरूरत है ?

विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम 'हिन्दी'

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में से कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें हिन्दी रोमन लिपि में पढ़ाई जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कोई नहीं ।

*१४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना स्वीकार कर लिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ और संस्कृत विश्वविद्यालय ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर, सर तैयब जी तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हुमायूं कबीर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सुझाव दिया था कि हिन्दी रोमन लिपि में पढ़ाई जाय ? यदि हां, तो उस दिशा में कौन-सी कार्यवाही उस यूनिवर्सिटी में की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उनके अधिकार में नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

नहीं श्रीमन्, हमारे अधिकार में है हम उसे अनुदान देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, तो बताइये शिक्षा मंत्री जी ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस दिशा में उन्होंने यह कहा था कि हिन्दी व उर्दू उन लोगों को रोमन लिपि में पढ़ाई जाय जो वहां के नहीं हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह उचित है कि हिन्दी, उर्दू भाषायें रोमन लिपि में पढ़ाई जायें ? जिस लिपि में वह अक्षर ही नहीं हैं जो कि इनका उच्चारण भी कर सकें ? क्या यह उचित है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह औचित्य का प्रश्न तो विश्वविद्यालयों के सोचने का है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस में किस माध्यम से शिक्षा दी जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हिन्दी की शिक्षा वहां देवनागरी लिपि में दी जाती है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

हिन्दी की बात नहीं है, अन्य विषयों में शिक्षा के लिए किस माध्यम का प्रयोग वहां किया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रत्येक विषय के संबंध में मैं नहीं बता सकता ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार इस बात की अनुमति देगी कि रोमनलिपि का ही प्रयोग सभी जगह हो क्योंकि उससे सारे संसार से सम्पर्क बढ़ेगा और हिन्दुस्तान में भी सभी भाषाओं के लिए सुविधा होगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव--

जब इस वक्त भाषा के प्रश्न पर पूरे राष्ट्र का दिमाग लगा हुआ है तब जिस राज्य में जो राजकीय भाषा हो उसी में शिक्षा हो, तो जहां हिन्दी के माध्यम से इस राज्य में शिक्षा नहीं दी जा रही है वहां सरकार बढ़ावा देगी कि हिन्दी के माध्यम से ही उच्चतम शिक्षा वे दिया करें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

करीब-करीब सभी ने इसको अपने लिए मंजूर किया है और हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है सिवाय टेकनालोजी और दूसरी प्राविधिक शिक्षाओं के ।

श्री रघुनाथसिंह--

संसार के सभी भाषा वैज्ञानिकों ने देवनागरी लिपि को सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि माना है, उसके बाद भी जो यह उस सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि से वंचित करने का जो षडयंत्र चल रहा है उससे बचने के लिए क्या सरकार स्वयं और केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध कर के कोई उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अब श्रीमन्, इस संबंध में तो हम अपने यहां के लिए ही कह सकते हैं कि हमने अपने यहां देवनागरी लिपि में ही हिन्दी को स्वीकृत किया है और उसी को उपयोग में ला रहे हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अकेले अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही ऐसा है जो हिन्दी की शिक्षा अंग्रेजी लिपि के माध्यम से दे रहा है; जो भाषा अधिनियम, १९५१ के प्रतिकूल पड़ता है, तो क्या सरकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को जो ग्रांट देती है उसको तत्काल बन्द कर देगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस विश्वविद्यालय का संबंध तो केंद्रीय सरकार से ही है इसलिए उनको जो सहायता दी जाती है उसको बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह भी तो अनुदान उनको देते हैं, बन्द कर दें ?

श्री अध्यक्ष--

अब सरकार का यही उत्तर है ।

नवगढ़ तहसील में कूड़ा नदी से कटाव

*१५--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती, तहसील नवगढ़ में कूड़ा नदी से करछलिया आदि गांव कट रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने घर कटे और उनके निवासियों के रहने का क्या प्रबन्ध किया गया है ? यदि अभी प्रबन्ध नहीं किया गया तो क्या सरकार तत्काल प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

जी हां । १३७१ फसली में ३२ मकान तथा १३७२ फसली में ५ मकान कटे । ये लोग अभी अपने मकानों के अवशेष भागों में रह रहे हैं । इनको बसाने के लिये सुरक्षित स्थान पर भूमि का चुनाव किया जा चुका है ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी अपने उत्तर को देखेंगे कि जिसमें यह कहा गया है कि ३७ मकान कट भी गये हैं और यह भी कहा गया है कि अवशेष भागों में लोग रहते भी हैं ? क्या इस पर उन्होंने विचार नहीं किया है ?

श्री रामकुमारशास्त्री--

विचार तो जरूर सरकार ने किया है । जो कट गये उनके भी अवशेष थे और उनमें लोग रह रहे हैं और उनमें सरकार की ओर से उनको सुविधा भी दी जा रही हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इन लोगों को बसने के लिये भूमि पर कब तक कब्जा दिला देगी जिससे वे बरसात के पहले अपने मकान बना लें ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गर्मी तक इसकी व्यवस्था हो जायेगी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना इन काश्तकारों को बसाने क लिये बनायी गयी है उसमें कितना व्यय होगा भूमि पर, ऋण आप कितना देंगे, सहायता के रूप में कितना देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जरा हम इसको मुकम्मल कर लें तब हम सब तफसील बतायेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि कटाव से जो परिवार गृह विहीन और भूमिविहीन हो जाते हैं ऐसे परिवारों को बसाने के लिये जमीन और पुनर्वास सहायता देंगे जैसा कि विहार सरकार अपने यहां देती है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिनके जमीन और मकान कट गये हैं उनको सरकार २५ रु० प्रति घर सहायता देती है और अन्य प्रकार से भी उनको सहायता देती है । इस तरह ५ कटे घरवालों को १२५ रु० दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अपने प्रदेश में आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर में १, २ परिवार नहीं बल्कि हजारों परिवार ऐसे हैं जो घर और जमीन बिना रहते हैं । क्या सरकार भारत सरकार से यह निवेदन करेगी कि जिस प्रकार से बाहर से आये हुये विस्थापितों की सरकार सहायता करती है, उनको घर, जमीन और रोजी देती है उसी प्रकार से इन कटान पीड़ित व्यक्तियों की भी सहायता करेगी जिससे उनको घर और जमीन मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कितनी जिम्मेदारी हम अपने सिर पर रखें । जितना हो सकता है, करते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

इन लोगों को बसाने के लिये जो जमीन दी गई है वह कहां पर है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

कूड़ा नदी से ग्राम करछुलिया कटता जा रहा है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार उन ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की कृपा करे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उस ग्राम करछुलिया को मैं स्वयं देख चुका हूं । सारा गांव नहीं कटा है । कुछ अंश कटा है । वहां पर बाढ़क्षेत्र के निवासी रहते हैं । वहां कुछ असुविधा है तो सुविधा भी होती है । वे लोग अपना गांव छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते हैं ।

बहराइच जिले में घाघरा घाट का ठेका

*१६—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बहराइच में घाघरा घाट का ठेका पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा श्री जोखन पाण्डे का ३३,००० रुपये सालाना का दो साल पूर्व हुआ था, और अब १९६४ में टेंडर मांग कर बगैर टेंडर पड़े उपरोक्त ठेकेदार को ठेके की मियाद एक साल के लिये उसी रेट पर बढ़ा दी गई थी ? अब फिर उपरोक्त ठेकेदार अपने ठेके की मियाद बढ़वाने की कोशिश कर रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

घाघराघाट का ठेका श्री पान्डेय को १-३-१९६१ से २८-२-१९६४ तक तीन वर्षों के लिये ३३,३३५ रु० प्रतिवर्ष की दर पर दिया गया था । पार साल नये टेंडर आने के पूर्व ही विशेष परिस्थितियों में ठेके का काल इसी दर पर २८-२-६५ तक के लिये बढ़ा दिया गया था। आगामी तीन वर्षों के लिये प्राप्त टेंडरों के आधार पर ठेका देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*१७—चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री प्रेमसिंह—

इस वर्ष १८ नवम्बर, १९६४ को टेंडर लगभग ५६,००० रुपये का हो चुका है किन्तु सरकार द्वारा टेंडर की कार्यवाही रोक दी गई है, इसका कारण क्या है, और यह टाल-मटोल क्यों हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उच्चतम टेंडर ५५,६०० रु० का आया है । उस संबंध में प्राप्त कुछ आरोप पत्रों की जांच की जा रही है । शीघ्र ही इस विषय में निर्णय लिया जायगा और अंतरिम काल के लिये पुराने ठेकेदार को उच्चतम टेंडर की दर पर फैरी का प्रबन्ध कर देने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

*१८—चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि और अधिक टेंडर वाले ठेकेदार को घाट का ठेका दिलाने का न्यायपूर्ण प्रबन्ध करेगी जिससे सरकार को जो २३,००० रुपये सालाना का घाटा हो रहा है, वह न हो जबकि पिछले साल इतना ही नुकसान हो चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नियमानुकूल जनहित में उचित आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पारसाल नया टेंडर आने से पहले ३३,३३५ रु० पर ठेके की मियाद २८ फरवरी, १९६५ तक जो बढ़ा दी गई थी जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है तो इसके खास वजूहात क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उस साल एक तूफान आने से पुल टूट गया था । पुल बन्द रहा और उसके बाद भी पुल बनाने में कुछ देर हुई । इसलिये उसको घाटा हुआ । इसलिये एक साल के लिये उसको बढ़ा दिया गया ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके पहले भी इस घाट का ठेका इसी व्यक्ति को दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसके पहले किसको ठेका दिया गया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जो और लोगों ने बढ़ाकर अपने टेन्डर दिये थे तो इसी व्यक्ति को, जिसने कम का टेन्डर दिया था, फिर से ठेका देने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने जो स्थिति थी, वह बतला दी ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

अभी उत्तर में बताया गया था कि कुछ आरोपों की जांच हो रही है, तो वह आरोप किनके खिलाफ हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिन लोगों ने उच्चतम टेन्डर दिये हैं उनके खिलाफ आरोप हैं । इसलिये अभी अन्तिम फैसला उस ठेके के बारे में नहीं हुआ है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

सबसे अधिक टेन्डर किसका था और सबसे कम किसका था तथा ठेका सबसे कम वालें को दिया गया या सब से अधिक वाले को ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिन लोगों के टेन्डर आयें थे वे मैं बतलाता हूं—

महमूद अहमद खां का ५५,६०० रु० का था, अब्दुल हकीम खां का ५५,५५६ का था, एन० सी० कपूर का ५०,३५० का था, शिव प्रसाद पांडेय का ४९,१२५ रु० २५ नये पैसे का और एक जोखन पांडेय का ४३,५५१ रुपये का था । अभी ठेका अंतिम रूप से किसी को नहीं दिया गया है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या यह सही है कि जोखन पांडेय जिनको ठेका दिया गया है वह किसी उच्च नेता के रिश्तेदार हैं और इसी कारण से ७ वर्ष से वे ही बराबर इसका ठेका लेते रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे तो इसकी सूचना है नहीं कि यह किसी के रिश्तेदार हैं । लेकिन जो सबसे हाईयस्ट टेन्डर होगा, उसी के हिसाब से इनको रकम देनी होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पारसाल घाटा होने के कारण ही उसको एक साल के लिये ३३ हजार कुछ रुपये पर ही ठेका दिया गया । तो यह घाटा होते हुये भी उसने ४९ हजार का जो अपना टेन्डर दिया उसका क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इसमें थोड़ा सा भ्रम है । २८–२–६५ को पुराने ठेके का कार्यकाल समाप्त हो गया । अब आगे के लिये देने का प्रश्न है । जब तक वह प्रश्न तय नहीं हो जाता, जो हाईयस्ट टेंडर होगा उसी के अनुसार उस से रकम ली जायेगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

पुराने ठेके में उसको चूंकि घाटा हुआ इसलिये यह समय और बढ़ा दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका घाटा पूरा करने के लिये अभी कितना और समय बढ़ाना पड़ेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो पार साल ही था । उसके बाद तो इसका कोई प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टेन्डर्स मागें थे वह १८ नवम्बर, सन् ६४ तक सब आ गये थे और माननीय मंत्री जी का कहना है कि फरवरी में पुराने ठेके की अवधि समाप्त हो गई, तो नवम्बर, में जब टेन्डर आ गये थे तो इतने दिनों तक फैसला न करने का कारण क्या है जिसकी वजह से उसका ठेका बढ़ाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कारण यह है कि जिसका उच्चतम टेंडर आया है उसकी बाबत शिकायत है कि चार पांच बार फौजदारी का मुकदमा उसके ऊपर चला है, उसमें किन-किन परिस्थितियों में सजा हुई, लोअर कोर्ट का क्या फैसला हुआ, हायर कोर्ट का क्या फैसला हुआ, इसकी जांच होने के बाद ही अन्तिय निर्णय हम ले सकेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सात साल से इस ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है । तो जब शुरू में ३३ हजार में ठेका जोखन पांडे को दिया गया उस वक्त कितने-कितने की बोली आयी थी जिनको कि ठेका न देकर ३३ हजार में इनको ही दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसका उत्तर तो इस समय मैं नहीं दे सकता ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शुरू में ३३ हजार का ठेका दिया गया तो टेन्डर लेकर ठेका दिया गया या एस्टीमेंट की बिना पर दिया गया और जब तीन साल की मियाद पूरी नहीं हुई थी तो उसके पहले ही टेन्डर मांगने की क्या जरूरत थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो अवधि समाप्त होने के पहले ही टेन्डर मांगे जाते हैं जिससे कि अवधि समाप्त होने पर ठेका दिया जा सकें ।

शाहगंज व सारनाथ प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती

*१९—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापकों को जौनपुर जिले के शाहगंज में और जौनपुर जिले के अप्रशिक्षित अध्यापकों को वाराणसी के सारनाथ में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो गोरखपुर वालों को सारनाथ, वाराणसी और जौनपुर वालों को शाहगंज में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने में क्या अड़चन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६१–६२ में सारनाथ (वाराणसी) में एक रिफ्रेशर कोर्स केन्द्र खोला गया था जिसे ४ जनवरी, १९६४ से राजकीय इन-सर्विस-ट्रेनिंग केन्द्र में परिवर्तित कर दिया गया । प्रत्येक ऐसे

केन्द्र में प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-एक सौ की तीन टोलियों में अभ्यर्थियों का प्रवेश किये जाने की व्यवस्था है । २३ अक्तूबर, १९६४ से शाहगंज (जौनपुर) प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । उसके पूर्व वहां पर कोई इन सर्विस ट्रेनिंग केन्द्र न था ।

१० फरवरी, १९६५ से अप्रशिक्षित अध्यापकों के नई पाली का प्रशिक्षण सारनाथ (वाराणसी) तथा शाहगंज (जौनपुर) में आरम्भ हुआ। उस समय जौनपुर जिले का कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक प्रवेश करने के लिये निर्धारित योग्यता जो कि जुलाई १, को ३३ वर्ष से कम आयु तथा कम से कम ५ वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना है, नहीं रखता था। अतएव जौनपुर जिले के किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक को शाहगंज केन्द्र में भेजने का प्रश्न की ही नहीं उठता ।

हैदरगढ़-शिवगढ़ मार्ग

*२०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ से शिवगढ़ मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिसर्च स्कीम के अन्तर्गत लेने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां ।

*२१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग को रिसर्च स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कितना धन व्यय किया जायगा और यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं। अभी यह स्कीम प्रदेशीय सरकार के ही विचाराधीन है और केन्द्रीय सरकार को भेजी नहीं गयी है । अनुमान यह है कि इस सड़क के निर्माण में ९,५८,००० रु० व्यय होगा। अभी यह बतलाना संभव नहीं कि इस स्कीम पर कब से कार्य चालू होगा ।

*२२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिसर्च का कार्य पक्की सड़क के रूप में होगा अथवा कच्ची सड़क के रूप में किया जायगा और यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जाने की आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पक्की सड़क बनाने की योजना है । जब तक यह योजना स्वीकृत न हो जाय और उस पर कार्य आरम्भ न हो जाय तब तक यह बतलाना सम्भव नहीं कि वह कब सम्पन्न हो जायगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मेरे ख्याल से शायद बहुत जल्द ही हो जायगा ।

श्री ऊदल--

क्या इसका सर्वे करा लिया गया है और सारा कागजपत्र इसके लिये तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी विचार करके केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि जल्दी इसके लिये वह व्यवस्था कर दें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी सब कार्यवाही करीब-करीब खत्म हो गई है, आक्लन भी तैयार हो गया लेकिन इसके बाद यह होता है कि जितना रुपया केन्द्रीय सरकार देती है उतना ही हमें भी देना पड़ता है, तो अब यह रुपया कहां से दें यह सोचा जा रहा है, जैसे ही फैसला हो जायगा, हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

ललितपुर-देवगढ़ मार्ग

*२३—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थिति)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के ऐतिहासिक देवगढ़ जैन मन्दिरों तक सवारी की सुविधा करने के विचार से पक्की सड़क बनाने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ललितपुर से देवगढ़ तक साढ़े बीस मील लम्बी सड़क का निर्माण हो चुका है। इस सड़क से मंदिर केवल आध मील दूर पहाड़ी पर हैं। इस आध मील सड़क का निर्माण अभी विचाराधीन है।

*२४—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शिक्षा संस्थाओं में सैनिक शिक्षा

*२५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में एन० सी० सी० (जूनियर), एन० सी० सी० (सीनियर) तथा (प्रान्तीय शिक्षक दल) पी० एस० डी० की सैनिक शिक्षा किन-किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को दी जाती है तथा पी० एस० डी० पर प्रान्तीय सरकार का १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में क्या व्यय हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

एन० सी० सी० जूनियर की सैनिक शिक्षा कक्षा ८ से १० तक के विद्यार्थियों को और एन० सी० सी० सीनियर की शिक्षा कक्षा ११ से डिग्री कक्षाओं तक दी जाती हैं । पी० एस० डी० (प्रदेशीय शिक्षा दल) की शिक्षा कक्षा ११ व १२ के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें एन० सी० सी० सीनियर की शिक्षा के लिये नहीं चुना जाता या जिनके लिये एन० सी० सी० शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है ।

पी० एस० डी० पर १९६२–६३ व १९६३–६४ में क्रमशः १८,६९,३८६ रु० व २१,७८, १४७ रु० व्यय हुये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एन० सी० सी० के लिये सारा धन सेन्ट्रल उपलब्ध करता है और ११ वीं से लेकर डिग्री क्लासेज तक एन० सी० सी० चलती है, तो उसी ११ वीं और १२ वीं में प्रान्तीय शिक्षा दल भी रखा गया है। जिसका बोझ इस सरकार पर पड़ता है और आपस में राइवरी भी चलती रहती है, तो इन दोनों का एमलगमेशन करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रश्न दो हैं । एक तो यह कि कई तरीके की शारीरिक शिक्षा चलती है । केन्द्र ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसने अपनी कुछ संस्तुतियां भी दे दी हैं कि ये जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उन सबको मिलाकर के एक कार्यक्रम चलाया जाय । उस पर केन्द्र विचार कर रहा है ।

वहां से विचार की हुई रिपोर्ट आने पर उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि एन० सी० सी० का पूरा का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिया जाता है ? ऐसी बात नहीं है । केन्द्रीय सरकार भी कुछ आंशिक खर्च करती है, और कुछ आंशिक खर्च प्रदेशीय सरकार को भी करना पड़ता है और जैसा कि अभी निवेदन किया था, प्रश्न के उत्तर में कि यहां जो पी० एस० डी० की शिक्षा है, यह वहां दी जाती है, जहां एन० सी० सी० की शिक्षा नहीं दी जाती । जो विद्यार्थी एन० सी० सी० में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं और एन० सी० सी० में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, यह केन्द्र के ऊपर मुनहसिर रहता है । उसको किसी भी हद तक, जिस हद तक प्रदेशीय सरकार चाहे, उस हद तक नहीं बढ़ा सकती है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में एन० सी०सी० की शिक्षा डिग्री क्लासेज में देना लाजिमी है और ग्यारहवें, बारहवें क्लासेज के लिये यह अनिवार्य होते हुये भी प्रान्तीय शिक्षा दल के रखने का कारण क्या है, जब कि दोनों का एक ही काम है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

एन० सी० सी० की शिक्षा अनिवार्य है, डिग्री क्लासेज के लिये । अपने प्रदेश में इन्टर कालेजेज भी हैं, तो इन्टर कालेजेज में एन० सी० सी० की शिक्षा अनिवार्य नहीं है । इन्टर की कक्षा में पी० एस० डी० चलती है और वह भी समस्त विद्यालयों में नहीं चलती है, इसलिये पी० एस० डी० का अपनी जगह पर एक स्थान है, जिससे कि अधिक संख्या में विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जा सके ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

पी० एस० डी० की शिक्षा किस क्लासेज से शुरू होती है, और प्रान्त में पी० एस० डी० की ट्रेनिंग पर कितना खर्च होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सामान्यतः यह शिक्षा ११ वें, १२ वें के लिये है । अब कितना खर्च होता है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सैनिक शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका संबंध लोगों के रहन-सहन, तौर तरीकों और मनोविज्ञान से है ? कहीं-कहीं पर लोग ज्यादा फौज में भर्ती होते हैं और कहीं पर कम भर्ती होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुये, उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में फौज की ज्यादा भर्ती होती है, वहां पर उनके लिये सैनिक स्कूल चलाने की व्यवस्था करके, उसमें पी० एस० डी० की शिक्षा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न तो बिलकुल भिन्न है । इस प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल चल रहा है और वह शिक्षा विभाग से संबंधित भी नहीं है, इसलिये हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एन० सी० सी० की शिक्षा जिनको दी जाती है, उनको राष्ट्रीयता भी सिखाई जाती है क्योंकि एन० सी० सी० के सीखे हुये विद्यार्थी दुष्परिणाम भी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि बिजनौर जिले में जब रेलवे के बैच ने विद्यार्थियों को पकड़ा और उनको लेकर चला तो एन० सी० सी० के विद्यार्थियों ने तारकोल के ड्रम उडेल दिये और गवर्नमेंट की बसों को तोड़ा-फोड़ा । तो क्या साथ-साथ उन विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की भी कोशिश की जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, शिक्षा का तो यह एक अभिन्न अंग है कि चरित्र निर्माण ठीक तरह से हो ।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

यह जो सैनिक ट्रेनिंग स्कूल में रखी गई है, उसको लाजिमी करार करने की कोशिश सरकार करने की कृपा करेगी और क्या यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शारीरिक शिक्षा अच्छी चीज है । कुछ हद तक आवश्यक भी समझी जाती है, लेकिन साधनों के ऊपर आश्रित रहती है, कि किस हद तक इसको फैलायें, और जैसा कि अभी हमने निवेदन किया कि कई तरह की स्कीमें इसमें चल रही हैं, एक तो साधारण विद्यालयों में इन्स्ट्रक्टर्स होते हैं, पी० एस० डी० चलती है और फिर एन० सी० सी० चलती है, एक फिटनेस का कोर्स चलता है । और जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि ये जो विभिन्न कार्यक्रम हैं इनको इन्टीग्रेट करने के लिये, सम्मिलित करके एक कार्यक्रम निकालने के लिये केन्द्र में एक कमेटी बैठी है जिसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जावेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषण

*२६—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा १९६२-१९६३ व १९६४ में क्या-क्या रिसर्च (अन्वेषण) किया गया है और उसको सामान्यतया किस तौर पर कहां-कहां कार्यान्वित किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अन्वेषणों के विषय में सूचना संलग्न है । इनके फलों का सामान्यतौर पर आवश्यकता नुसार लाभ उठाया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे ४६५-४६७ पृष्ठ पर)

जिला परिषद्, बहराइच के रिटायर्ड कर्मचारियों का फंड

*२७—श्री रामअधार कनोजिया—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बहराइच से सम्बन्धित ऐसे कौन-कौन कर्मचारी व अध्यापक हैं जो रिटायर्ड हो गये परन्तु उनका प्राविडेंन्ट फन्ड व बकाया वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गयी तथा धन कितना-कितना है ?

*२८—क्या यह सही है कि पे-कमीशन की सिफारिश के अनुसार परिषद् के अध्यापक को जो वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई थी वह सन् १९६० से अब तक की बकाया है ? यदि हां, तो कितना-कितना धन तथा-किस किस को परिषद् से पाना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[१२ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

संस्कृत विद्यालयों की श्रेणियां तथा संस्कृत अध्यापकों का वेतन-क्रम

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत के विद्यालयों की सरकार द्वारा कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं ? यदि हां, तो वह कब और कौन-कौन हैं तथा श्रेणी कायम करने के आधार क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जी हां। सूचना संलग्न तालिका 'अ' में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६८ पर)

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार की श्रेणी को सरकार द्वारा कौन-कौन सुविधायें दी जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उनके अध्यापकों के वेतन-क्रम में सुधार किया गया ।

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय, एवं प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम अलग-अलग क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ए और बी श्रेणियों के अलावा जो तृतीय श्रेणियों की पाठशालायें रक्खी गयी हैं, उन संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

केवल दो एक का ही वेतन-क्रम निर्धारण हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के संस्कृत अध्यापक या लेक्चरर्स और ऐसी संस्कृत पाठशालाओं के संस्कृत अध्यापकों का, जिनकी शिक्षा दीक्षा वही है, तो इन संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को ज्यादा स्तर पर उन्हीं के समान वेतन देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उनका जो वेतन नियत किया गया है, वही उनका वेतन होगा जो बता दिया गया है।

*४-५--श्री कमलासिंह यादव--

[छठें शुक्रवार के लिए स्थगित कि गये।]

कैथवलिया गांव में चकबंदी कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत

*६--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या माल मन्त्री को पता है कि जिला बस्ती, थाना मुंडेरवा, गांव कैथवलिया में शंकर सिंह द्वारा सी० ओ० और ए० सी० ओ० से मिलकर उक्त गांव के सभी छोटे-छोटे किसानों के खेत-खलिहान, पेड़-पौधे, बगीचे, धोबियों के कपड़ा फैलाने की जगहें आदि अपने नाम लिखाने का षडयन्त्र रचा जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त घूसखोर शंकर सिंह के खिलाफ सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी नहीं।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी के सामने उसके चौदह उदाहरण रख रहा हूं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये इस प्रकार हैं:--

(१) श्री भीखा कहार--१ पेड़ आम, दो पेड़ बबूल, ५ बीघा खेत।

(२) श्री फल्ली अहीर...

श्री अध्यक्ष--

यह आप क्या पढ़ रहे हैं? अगर आपको यह कहना है कि ऐसी बात नहीं, इस से अगर आपको सन्तोष नहीं है, तो उसे आप लिखकर भेज दीजिये।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, एक सवाल हमारा यह है और मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर ये चौदह उदाहरण सत्य न हों तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं नहीं तो माननीय मन्त्री जी स्वयं इस्तीफा दें।

*७--श्री श्यामलाल--

[६ठे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बाराबंकी जिले में सुपरवाइज़र कानूनगो

*८--श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में इस समय कौन-कौन सुपरवाइजर कानूनगो किस-किस सर्किल में किन-किन तारीखों में काम कर रहे हैं? और वे इस जिले में किस तारीख को आये?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना संलग्नक १ में है।

(देखिये तत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६९-४७१ पर)

*९--श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)--

ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक ही सर्किल में काम करते हुये तीन साल से ज्यादा हो गये या इस जिले में ५ साल से ज्यादा हो गये उनके ट्रांस्फर क्यों नहीं किये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस हलके पर तीन साल से ज्यादा का कोई नहीं है। ५ साल बाद जिले से कानूनगोयान का तबादला करने का कोई नियम या आदेश नहीं है।

*१०--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ व १९६४-६५ में बाराबंकी जिले में कितन और कौन-कौन लेखपाल सुपरवाइजर कानूनगो बनाये गये? लेखपालों की ग्रेडेशन लिस्ट जिनसे उनकी सीनियारिटी का पता चले तो क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्नक २ में है।

लेखपालों की अनुक्रम सूची जिलाधीश, बाराबंकी के कार्यालय में देखी जा सकती है।

*११-१२—श्री रियासत हुसैन—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१३—श्री श्यामलाल—

[छठें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*१४—श्री कल्पनाथसिंह—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

कोल्हुई-राजपुर लोटन सड़क का निर्माण

*१५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की भारत-नैपाल सीमा से लगी हुई कोल्हुई, रामपुर, लोटन, लेहड़ा, सोनाबन्दी, लोटन तथा बृजमनगंज, सहजनायां, लोटन के निर्माणहेतु क्या प्रबन्ध किया जा रहा है और कोल्हुई, लहपुरीधानी बाजार सड़क के निर्माण हेतु क्या प्रगति चल रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोल्हुई राजपुर, लोटन सड़क का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और इसका आगणन तैयार किया जा रहा है। प्रश्न में उल्लिखित अन्य सड़कों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क का आकलन कब से तैयार किया जा रहा और यह कुल प्राक्कलन कितने का होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नवम्बर, १९६३ में इसका पहिला प्राक्कलन तैयार किया गया था। उस में कुछ गलतियां थीं। इसलिए दोबारा तैयार किया जा रहा है। उसके आने पर ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या उस सड़क पर कोई पुल भी पड़ेगा ? क्या उस पुल का भी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है जिससे सड़क और पुल दोनों साथ-साथ बन जायें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सड़क और पुल दोनों का ही प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।

*१६—१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शिक्षा विभाग के विद्यालय उप निरीक्षक

*१९—श्री लखोसिंह (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा में प्रति विद्यालय उप निरीक्षक २५ ऐसे हैं जिनको तीन साल से ८ वर्ष तक सेवा करते हो गये हैं? यदि हां, तो उनको लोक-सेवा आयोग ने स्वीकृति क्यों नहीं दी?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२०—श्री लखी सिंह—

क्या यह सत्य है कि १८ उम्मेदवारों को स्वीकृत कर दिया गया है और इस वर्ष भी ७ निरीक्षक इस लाभ से वंचित रह गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

सिराथू-धाता-हिनौता कच्ची सड़क

*२१—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में सिराथू-धाता-हिनौता कच्ची सड़क को, जो जिला इलाहाबाद व जिला फतेहपुर दोनों से होकर जाती है, पक्की कराया जा रहा है? यदि हां, तो कहां से कहां तक? क्या उक्त सड़क को धाता से होकर हिनौता ग्राम तक भी पक्की करवा कर उक्त क्षेत्र की आवश्यकता की स्थायी आंशिक पूर्ति की जायगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

फतेहपुर जिले में चकबंदी के खिलाफ शिकायत

*२२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जिला फतेहपुर में चकबन्दी अधिकारियों ने जो नक्शे व खसरे आदि बनाये हैं, उनमें हजारों की संख्या में ऐसी भद्दी गलतियां की जाने की शिकायतें प्रायः सभी गांवों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें उचित संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*२३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के ग्राम सादीपुर खुर्द, परगना व तहसील व जिला फतेहपुर में स्थित मकान की आराजी के सम्बन्ध में कई माह पूर्व की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रार्थना-पत्र अदालती विषय से सम्बन्धित था जिसकी सूचना माननीय सदस्य के मुंशी को दे दी गयी थी।

*२४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[पांचवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

[छठें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

रैथाना गांव में अवैध पट्टे

*२७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत, उन्नाव तहसील के गांव रैथाना के प्रधान द्वारा चकबन्दी के समय घोषित गांव के चरागाह की भूमि के अवैध रूप से पट्टे किये जा रहे हैं और यदि समय रहते इसकी रोक-थाम न की गयी, तो गांव में चरागाह के लिए एक इंच भूमि न रह जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जांच से यह आरोप सही पाया गया है। जिला अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

*२८—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त पट्टे नियम विरुद्ध उन लोगों को किये जा रहे हैं, जो भूमिहीन नहीं हैं और उक्त गांव के निवासी भी नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा भी होना पाया गया है।

*२९-३०—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*३१-३२—[हटा दिये गये।]

*३३-३४—श्री होरीलाल यादव—

[छठे बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में रेलवे लाइन्स की परती भूमि

*३५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे लाइनों के पास की परती भूमि की खेती के लिए उपयोग करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होने के बाद बाराबंकी जनपद की कितनी भूमि कितने किसानों को खेती करने के लिए दी गयी है और इसमें भूमिहीन लोगों का क्या-क्या प्रतिशत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला बाराबंकी में रेलवे की कोई परती भूमि किसानों अथवा भूमिहीन लोगों को देने के लिए अभी तक रेलवे अधिकारियों से प्राप्त नहीं हो सकी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

रिओरियन्टेशन स्कीम के अन्तर्गत पद

*३६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना (रिओरियेन्टेशन) स्कीम के अन्तर्गत कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करने का उनका विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

रिओरियेन्टेशन स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों को स्थायी करने का विषय शासन के विचाराधीन है।

*३७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

[हटा दिये गये।]

राजकीय कन्या इंटर कालेज, एटा की बस

*३८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, एटा की कई महीनों से लड़कियों को ले जाने वाली बस खराब पड़ी है, जिस से लड़कियों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है, फिर भी बस की फीस बराबर ली जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उक्त बस १२-१२-६४ से ७-२-६५ तक खराब थी। ८-२-६५ से वह पुनः सुचारु-रूप से कार्य कर रही है। बस की फीस केवल उन्हीं महीनों में ली गयी है जिन महीनों में बस की सेवायें छात्राओं को उपलब्ध थीं। केवल जनवरी, १९६५ में बस न चालू होने पर भी फीस ले ली गयी थी, जो मार्च की फीस में व्यवस्थित (adjust) कर दी जायगी।

तिलहर तहसील से चकबंदी के खिलाफ शिकायत

*३९—श्री विष्णु प्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री बब्बन सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रण बहादुर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर में सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री ओम प्रकाश यादव, जो कि खेराबजेड़ा, तहसील तिलहर में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वत-खोरी, पार्टीबन्दी आदि की गम्भीर शिकायतें जिलाधीश, बन्दोबस्त अधिकारी, व हाकिम परगना को गत जनवरी मास तथा वर्तमान मास में ग्राम अगरोला, मगनपुर और तहारपुर आदि से की गई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, जांच से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा पार्टीबन्दी इत्यादि की शिकायतें निराधार पायी गयीं।

*४०—श्री विष्णुप्रतापसिंह, श्री बब्बन सिंह तथा श्री रणबहादुर सिंह—

क्या यह भी सही है कि तबादले के आर्डर मिलने के बाद उन्होंने ग्राम अगरोला, ताहरपुर, बाहनपुर तथा मगनपुर के चक काटे जिनमें भी उपर्युक्त शिकायतें रहीं जिस पर बन्दोवस्त अधिकारी को फौरन चार्ज छोड़ने का दुबारा आर्डर देना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर तुरन्त दुबारा उक्त ग्रामों के चकों का प्रबन्ध करायेगी जिस से पीड़ित जनता को राहत मिले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। जो लोग काटे गये चकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे अदालती तरीके से चाहें तो आपत्ति, अपील तथा निगरानी कर सकते हैं।

तरबगंज तथा गोंडा तहसील में तकावी वसूली में सख्ती

*४१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि तरबगंज तहसील, बलरामपुर, जिला गोंडा, में भुखमरी होते हुये भी लगान तथा तकावी कुर्की द्वारा तथा सख्ती से वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कोई निराकरण करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तरबगंज तथा बलरामपुर तहसीलों में भुखमरी की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

*४२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो माह के अन्दर कितनी कुर्कियां जारी की गई और कितने जानवर कुर्क किये गये तथा कितने आदमियों को हवालात में बन्द किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४७२ पर)

*४३—श्री सूरजलाल गुप्त, वकील तथा श्री शुकदेवप्रसाद—

क्या यह भी सच है कि गरीब तथा अशिक्षित किसानों को वारंट-गिरफ्तारी का बहाना करके उनको घर से पकड़ ले जाते हैं और कुर्क अमीन अपनी तथा अन्य जगहों पर उस समय तक बन्द रखते हैं जब तक कि उनके घर वाले लगान या तकावी नहीं देते हैं? यदि हां, तो सरकार इसका कोई समाधान करके अधिकारियों को दंडित करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*४४-४५—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४८—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

[छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर के हर्षनगर कालेज में अध्यापिका की नियुक्ति पर आपत्ति

*४९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत जुलाई, १९६४ में कानपुर में नगर-महापालिका द्वारा हर्षनगर स्थित डिग्री कालेज की छात्राओं को ड्राइंग व पेन्टिंग विषयों को पढाने के लिये किसी अध्यापिका की नियुक्ति विज्ञापित योग्यता के प्रतिकूल की गई है, यद्यपि निर्धारित

योग्यता रखने वाली एक उम्मीदवार साक्षात्कार में आई थी ? यदि हां, तो क्यों ? और नियुक्त अध्यापिका की शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, निर्धारित पूर्ण योग्यता प्राप्त व अनुभवी महिला उपलब्ध नहीं थी। नियुक्त अध्यापिका ड्राइंग व पेंटिंग में प्रथम श्रेणी में एम० ए० हैं।

*५०—श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त नियुक्ति से सम्बन्धित कितने उम्मीदवार बुलाये गये थे तथा उनकी पृथक-पृथक शैक्षिक योग्यता क्या थी और विज्ञापित योग्यता क्या थी ? तथा क्या यह सत्य है कि चुनी गई अध्यापिका के भूतपूर्व अध्यापक, श्री वरथरिया चुनाव समिति के सदस्य थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सूचना संलग्नक 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४७३ पर)

*५१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार विज्ञापित योग्यता के विरुद्ध की गई उपर्युक्त नियुक्ति को रद्द कराके विज्ञापित योग्यता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति करायेगी अथवा पद को पुनः विज्ञापित करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

नगर महापालिका, कानपुर के अनुरोध पर लोक-सेवा आयोग ने उक्त पद को विज्ञापित कर दिया है।

*५२–५४—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

[छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५५–५६—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

[छठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्री मुन्शीलाल, कला अध्यापक, दीक्षा विद्यालय, बीसलपुर का प्रार्थना-पत्र

*५७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९६३ को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ५८ वर्ष की आयु तक एक्सटेंशन देने की खबर पाकर गवर्नमेंट नार्मल स्कूल बीसलपुर, पीलीभीत तथा राजकीय नार्मल स्कूल फरीदपुर, बरेली के किन-किन आर्ट टीचर्स ने अपने प्रार्थना-पत्र वर्ष १९६३ में शिक्षा संचालक, इलाहाबाद को इस आशय के भेजे कि उनकी सर्विस का समय एक्सटेंड कर दिया जाय जिससे कि वे ५८-वर्षीय योजना से लाभ उठा सकें और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

केवल श्री मुन्शीलाल, कला अध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, बीसलपुर (पीलीभीत) का प्रार्थना-पत्र दिनांक ७ अगस्त, १९६३ को प्राप्त हुआ था किन्तु नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् श्री मुन्शी लाल को राजकीय सेवा से रिटायर कर दिया गया।

*५८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उक्त जिनके मामले ६ मास से लगभग एक्सटेंशन के थे, वे स्वीकृत किये गये और जिनके १ मास से भी कम के थे वे अस्वीकार कर दिये गये यद्यपि चरित्र पंजिकायें उत्तम थीं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी कर्जा

*५९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कितना धन सरकार ने केन्द्र से और कितना बाजार से कर्ज के रूप में लिया तथा उन पर कितना सूद दिया जा चुका है और कितना देना शेष है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना काल में आयोजनागत और आयोजनेतर मदों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया जाना था । प्रथम पंचवर्षीय आयोजना काल में केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में कुल मिलाकर ७८.३० करोड़ रुपया मिला था और बाजार से कुल २३.३२ करोड़रुपया उधार लिया गया था । द्वितीय और तृतीय आयोजना कालों में, आयोजनागत योजनाओं के लिये प्राप्त ऋणों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं ।

	केन्द्रीय सरकार से ऋण	बाजार से ऋण
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना ..	८९.४१ करोड़	३३.०८ करोड़
तृतीय पंचवर्षीय आयोजना, १९६१–६२ से १९६३–६४ तक ..	११२.८१ „	१६.४८ „

भारत सरकार और बाजार से प्राप्त इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान प्रति वर्ष निश्चित तिथियों पर किया गया और यह भुगतान वार्षिक आय-व्ययकों में ब्याज के वास्तविक आंकड़ों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं । सम्बन्धित ऋणों की संख्या बहुत बड़ी है और इन ऋणों पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें भी पृथक-पृथक हैं । इन ऋणों के लेखे महालेखाकार रखते हैं और उन भुगतानों को सम्मिलित करके, जो अभी भी करने हैं, ब्योरे इकट्ठे करने में बहुत अधिक समय लगेगा ।

*६०—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन तीन पंचवर्षीय योजना में कितनी पूंजी लागत व्यय निर्धारित हुई थी तथा कितना उसमें से खर्च हुआ और उसके कारण कितने असेट्स प्रदेश में क्रियेट हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना काल में आयोजनेतर और आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में संवितरित ऋणों को सम्मिलित करके कुल पूंजी व्यय १०४·७६ करोड़ रुपया हुआ था जब कि मूल बजट अनुमानों में इस प्रयोजन के लिये १२४.०८ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई थी ।

द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय आयोजनाकाल में, आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में संवितरित ऋणों को सम्मिलित करते हुये पूंजी व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी—

	मूल आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि	व्यय हुई धनराशि
		(करोड़ रुपयों में)
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की योजनायें ..	१५७.००	१५१.०१
तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की योजनायें (प्रथम तीन वर्षों में)	१५१.६२	१५१.८६

भारत सरकार और बाजार से लिये गये ऊपर उल्लिखित ऋणों (३५३.४० करोड़ रु०) की तुलना में ऋण के रूप में संवितरित धनराशि को सम्मिलित करते हुए पूंजी व्यय कुल ४०७·६३ करोड़ रुपया हुआ जिसका उपयोग पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया गया ।

एक ही नाम की चीजों के रजिस्ट्रेशन में कठिनाई

*६१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक ही स्थान तथा नाम की एक से अधिक संस्थाओं के होने से असुविधा एवं कानूनी कठिनाइयां पैदा होती हैं, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि एक ही स्थान की एक से अधिक, एक ही नाम की संस्थायें पंजीकृत न हो सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सरकार इन कठिनाइयों से अवगत है और इनको दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

वेतन अभिनवीकरण समिति की महंगाई भत्ते के लिए सिफारिशें

*६२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण करने हेतु जो कमेटी का गठन किया गया था उसने कोई अन्तरिम रिपोर्ट वेतन वृद्धि के लिये दी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, वेतन अभिनवीकरण समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अन्तरिम वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित सिफारिश की है—

५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लिए .. .. .. ५ रुपया प्रति मास

५१ रु० से १५० रु० तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए १० रु० प्रतिमास

१५१ रु० से ४५० रु० तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए .. .. .. १२·५० रु० ,,

इस आधार पर आदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

*६३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या राज्य सरकार महंगाई को देखते हुये सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कमेटी की जल्द रिपोर्ट मंगाने और वेतन-वृद्धि पर विचार कर कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन अभिनवीकरण समिति का कार्यकाल अप्रैल के अन्त तक बढ़ाया गया है और इस अवधि के अन्दर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है ।

*६४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बिक्री कर विभाग, फर्रुखाबाद में अस्थायी कर्मचारी

*६५—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी), श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग में ऐसे भी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनको ८ वर्ष से भी अधिक हुआ है अस्थायी तौर से कार्य करते हुए और जिनका कार्य भी अच्छा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

*६६—श्री सूबेदारसिंह, श्री महरामसिंह तथा श्री माधोनारायण मुद्गल—

क्या मंत्री जी इस बात को भी बताने का कष्ट करेंगे कि बिक्री-कर कार्यालय, फर्रुखाबाद में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने लगभग ८ वर्ष तक बराबर अच्छा काम किया है फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

बिक्रीकर कार्यालय फर्रुखाबाद में ६ ऐसे कर्मचारी हैं जो लगभग ८ वर्ष से संतोषप्रद कार्य कर रहे हैं पर स्थायी नहीं किये जा सके । इन कर्मचारियों को स्थायी न करने का कारण प्रधानतः स्थायी पदों का अभाव है । पदों के स्थायीकरण पर लगभग प्रत्येक वर्ष बजट पेश होने के पूर्व विचार किया जाता है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री झारखण्डेराय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२—श्री बृजेश्वर सहाय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बड़ा गांव ब्लाक में लड़कियों की प्राइमरी पाठशाला खोलने की आवश्यकता

३—श्री ऊदल—

क्या सरकार गांव देवचन्दपुर तथा रघुनाथपुर, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी में लड़कियों की शिक्षा हेतु प्राइमरी पाठशाला खोलने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की जिलेवार संख्य निर्धारित कर दी जाती है। स्थानों का चुनाव ब्लाकों व जिला परिषदों द्वारा होता है।

श्री केशवसिंह के सम्बन्ध में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के विषय में जानकारी

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आपसे एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। श्री केशवसिंह के संबंध में माननीय हाईकोर्ट का फैसला कल अखबारों में निकला है ? इस केस से संबंधित सदन के सामने अनेक समस्यायें हैं तो क्या आप उस संबंध में सदन के समक्ष कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने यह आश्वासन दिया था कि इस मसले पर सदन में बहस करा देंगे। पहले तो कहा था कि रोज ५ बजे बाद करा देंगे, लेकिन फिर कहा कि ३०–३१ तारीख को करा देंगे। अब इस पर बहस अवश्य करा दें।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक समाचार पत्रों की सूचनाओं से विदित होता है, इसको अंग्रेजी में प्लेजेंट सरप्राइज कह सकते हैं, हृदयग्राही विस्मययुक्त फैसला। लेकिन उससे हमारी सारी समस्यायें समाप्त नहीं हो जातीं। इस वजह से मैं समझता हूं कि हमने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन अभी निर्णय की प्रतिलिपि मैंने मंगाई है उसको अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निश्चय किया जायगा।

प्रश्न के अतारांकित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा आज एक ही तो सवाल था और वह भी अतारांकित कर दिया गया जब कि आपने इस सदन में यह घोषणा की है और नियमों में भी है कि अगर तीन से अधिक प्रश्न होंगे तो उनको अतारांकित किया जायगा। वह भी तीसरे नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों को माननीय उपाध्यक्ष देखते हैं। आप उनसे बातचीत कर लें। यदि उनसे आपको संतोष न हो तो मैं भी देख लूंगा।

सदन में किये गये अभ्यारोपण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, परसों असेंबली के अन्दर धर पकड़ हो गयी। जहां तक हमको सुनाई पड़ा है पुलिस मंत्री जी ने गाली गुफ्ता बकी थी। अगर असेंबली के अन्दर ऐसा वातावरण होगा असेंबली किस तरह से चलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आपका यह व्यवस्था का प्रश्न है तो आप शांतिपूर्वक सुन लें। मेरा निश्चित मत है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर, चाहे वह मंत्री हो अथवा कोई दूसरा माननीय सदस्य हो, जब कोई अभ्यारोप लगाया जाय तो वह तभी लगाया जाना चाहिये जब उसकी पुष्टि में सामग्री हो। मैं तो समझता हूं, उचित यह होगा कि उसके संबंध में मुझे और माननीय मंत्री को पहले अवगत करा दिया जाना चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाय उसको उससे अवगत करा देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से अभ्यारोप लगाने से बहस का स्तर ऊंचा नहीं होता, वह हम सब के लिए अशोभनीय बात है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। मेरे ऊपर भी यह दोष लगाया जा सकता है कि मैंने ऐसे अभ्यारोप के कथन को समय पर क्यों नहीं रोका। अगर मैं कभी चूक भी जाऊं, तो माननीय सदस्यगण इस विषय में मेरी मदद कर दिया करें। लेकिन जो भी हो, एक विधायिका संस्था में बातचीत का जितना ऊंचा स्तर रहेगा उतना ही उसका आदर और सम्मान बाहर होगा और जितनी बातें उस स्तर से गिरी होंगी उतने ही हम समाचार पत्रों और साधारण जन समुदाय की आलोचना के पात्र बनेंगे। तो मेरा सिर्फ निवेदन यह था कि यथाशक्ति व्यक्तिगत बातें न हों और अगर होती हैं तो उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए और उस माननीय सदस्य को मिलनी चाहिए जिसके सम्बन्ध में ऐसी व्यक्तिगत टीका की जाय। इस संबंध में जो मैंने लिखा है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं जो भी महानुभाव किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करना चाहते हों उनके पास उस संबंध में कुछ ऐसे प्रमाण होने चाहिए कि जिससे वह वैसे ही संतुष्ट हों जैसे कि एक साधारण विवेकशील व्यक्ति संतुष्ट होता है। इस विषय में अधिक विवाद न हो और नेतागण अगर चाहते हों तो हम से विचार विनिमय कर लें ताकि हम लोग बैठ कर आचार संहिता का निर्माण कर सकें जिससे कि हमारी, आपके सदन की और हमारे प्रदेश की मर्यादायें और सम्मान ऊंचा हो। यही मुझे निवेदन करता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि नेता लोग आप से बातचीत कर लें; तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आप तमाम पार्टीज के नेताओं तथा सदन के नेता को स्वयं बुलायें। इन दिनों सदन में कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जिनके फलस्वरूप एक माननीय सदस्य सस्पेंड हैं और कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए जो खेदजनक हैं। मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं ऐसी बैठक बुलायें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बुलाऊंगा।

श्री केशवसिंह के सम्बन्ध में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के विषय में जानकारी (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा निवेदन है कि अभी जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है उसे जब आप मंगवा लें तो उसकी एक-एक प्रति सभी सदस्यों में बटवा दें। दूसरे अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा? मुमकिन है केशवसिंह और उनके साथी सुप्रीम कोर्ट में जायं और वहां अपील करें, तो इस तरह से विवाद काफी लम्बा चलने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए मैंने इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५२६/१—क—३०८—६४, दिनांक ८ फरवरी, १९६५ के अधीन प्रख्यापित सशोधनों को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री—कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ७७६/१०—९००/१६/६४, दिनांक १६ फरवरी, १९६५ की उक्त धारा ३—क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

समाचार-पत्र में दल का गलत उल्लेख किये जाने पर आपत्ति

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, यह ११ तारीख का नेशनल हेराल्ड है और उसमें मेरा नाम एस० एस० पी० के साथ जोड़ दिया है । शायद गलती से काशीनाथ जी की जगह मेरा नाम छाप दिया गया है और जो भाषा उसमें छपी है वह मेरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर मुझे भेज दें ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, किसी प्रेस वाले ने अगर माननीय सदस्य को अपग्रेड कर दिया है तो उसमें उनको क्या आपत्ति है ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर द्वारा सदस्यों को भाषण के लिए बुलाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में १० मार्च को राज्य सभा के अन्दर चेयरमैन ने कहा "यु हैव टु कैच माई आईज एन्ड नाट ईयर्स" । लेकिन यहां हम यह देखते हैं कि सदस्यगण आपके मंच पर आ कर आपके ईयर्स कैच करने की कोशिश करते हैं जो कि इस पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के विरुद्ध है ।

कल बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा । अपोजीशन के लोग वाक आउट कर गये तो इधर के २७ सदस्यों को बोलने का मौका मिला जब कि और दिन केवल ६, ७ आदमियों से ज्यादा नहीं बोल पाते थे । कल उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि वह उन आदमियों को ही

---

†छापे नहीं गये ।
*छापी नहीं गयी ।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

बोलने का कल मौका देंगे जिनको पहले बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन साथ ही अपने निर्णय के खिलाफ खास खास आदमियों को, और जो लोग बोल चुके थे उनको, बोलने का मौका दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं । मैं यही करूंगा ।

कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल, टैनरी तथा अन्य मिलों के मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव के बारे में मुझे एक निवेदन करना है ।—

कामरोको प्रस्ताव के लिए यह नियम है कि 'सरकार से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाला कोई विषय कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता । प्राय, मेरे पास कामरोको प्रस्ताव जो आया करते हैं उनमें यह नहीं दिखलाया जाता कि सरकार का क्या संबंध है, सरकार की कहां पर गलती है और इसके कारण ऐसा कामरोको प्रस्ताव महत्वपूर्ण होते हुए भी मुझे अस्वीकार करना पड़ता है । माननीय सदस्यों से इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया वे अपने प्रस्तावों को नियम के अनुसार भेजा करें । एक कामरोको प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है :—

"प्रदेश की मुख्य औद्योगिक नगरी कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल के प्रबंधकों द्वारा तालाबन्दी समाप्त कर दी गई परन्तु वहां के सैंकड़ों मजदूरों को नोटिस दे दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप फिर से मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। न्यू विक्टोरिया मिल के मजदूरों के साथ ही टैनरी एवं अन्य मिलों के कई हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी है । इस प्रकार वहां के करीब पचासों हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और ऐसी महंगाई की स्थिति में बेकार हैं । इससे वहां के मजदूर वर्ग एवं जनता में महान् असंतोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक स्थिति ले रही है ।"

इसे मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह कामरोको प्रस्ताव लाने के नियम के अनुरूप नहीं है, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मैं श्रम मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर वे इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा है । इस विषय में उन्होंने सदन के अन्दर घोषणा की थी कि वह कानपुर जा रहे हैं और कदाचित् वह गये भी, तो जैसा कि समाचार पत्रों से विदित हुआ है और यह भी विदित हुआ कि वहां स्थिति शांतिपूर्ण हो चुकी थी , लेकिन फिर समाचार पत्रों से मालूम होता है कि स्थिति बिगड़ गई है और इस संबंध में इस प्रस्ताव के जरिए सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, शिवनाथसिंह, गयाप्रसाद, राधेश्याम शर्मा, केशरीप्रसाद पांडेय ने भी ध्यान आकर्षित किया है ।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, ६ तारीख को मैं कानपुर गया था और विक्टोरिया मिल के मैनेजर और मजदूरों के नेताओं से इस संबंध में मेरी बातें हुईं । दूसरे रोज दोनों पक्षों ने इस बात का वचन दिया कि वे इस बात की कोशिश करेंगे कि आपस में कोई फैसला हो जाय । इस वक्त उसके दो हिस्से हैं एक तो यह है कि हिंसात्मक अभियोगों के आधार पर दोनों पक्षों के कुछ लोग वारंट के जरिए गिरफ्तार हुए हैं और वे मुकदमे अदालत के अन्दर हैं । तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ से किसी समझौते का प्रश्न पैदा नहीं होता । इस का संबंध तो ला एन्ड आर्डर और आर्थिक स्थिति से है । दूसरा सवाल यह है कि वहां पर लाक आउट लीगल है या इल्लीगल है—इस के बारे में दोनों पक्षों ने माना है कि इसके कानूनी पहलू का अध्ययन किया जाय और गवर्नमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिफर कर दे। तो हम रिफर कर भी रहे हैं कि लाक आउट लीगल था या नहीं। फैक्ट्री तो उसी वक्त खुल गई लेकिन मजदूर काम पर नहीं गये। उस का आधार यह है कि मिल मालिकान का कहना है कि स्टैंडिंग आर्डर के मुताबिक वह मजदूरों को चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन उस के लिए मजदूरों के प्रतिनिधि तैयार नहीं हैं और उन का कहना है कि जब तक मिल मालिकान की ओर से ऐसा कोई आश्वासन न दिया जाय कि किसी को सस्पेंड न किया जायगा या उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही न की जायगी तब तक वह काम पर नहीं आयेंगे, लेकिन इस के लिए मिलमालिकान तैयार नहीं हैं। उन का कहना है कि यह तो उनका कानूनी अधिकार है। जहां तक लेबर विभाग का संबंध है कानून के मुताबिक मामले को एडजुडिकेशन में भेज सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन के लिए वह लोग तैयार हों और जितने वेजेज, बोनस और जितनी शिकायतें हैं, इन्टरवेल में काम करने की बात है, वह सब वहां देखे जा सकते हैं। इन्टरवेल में जिन्होंने काम किया, उन की मौके पर जांच की गई है और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी। और जो मांगों का सवाल है उसके विषय में सेवायोजक और प्रतिनिधि दोनों तैयार हैं। लेकिन दोनों के एक साथ बात करने में मुख्य कठिनाई यह है कि सेवायोजक इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि वह अपने अधिकार को छोड़ दें कि किसी को चार्जशीट न करें। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। यह सही है कि अभी हड़ताल जारी है, केवल लाक आउट वापस हो गया लेकिन मजदूर अभी काम पर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक प्रयत्न जारी है। मुमकिन है कोई रास्ता निकल आये जिस से शांति कायम हो सके और हड़ताल समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि न्यू विक्टोरिया मिल के साथ टैनरी और अन्य मिलों ने भी हड़ताल कर रखी है।

श्री बनारसीदास—

टैनरी या अन्य मिलों के बारे में तो मुझे कोई इत्तला नहीं है। काफी पहले टैनरी के मजदूरों का वेजेज और डी० एफ० ए० का मामला था, लेकिन उन के बारे में वेज बोर्ड कायम नहीं है। टैनरी के या अन्य मिलों की हड़ताल के बारे में हमारे नोटिस में कुछ नहीं आया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अगर उनको जानकारी नहीं है तो वह दूसरे दिन उत्तर मंगा कर यहां दे दें, न्यू विक्टोरिया मिल में जो हड़ताल चल रही है उन की ओर से उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई?

श्री बनारसीदास—

बराबर प्रयत्न जारी है, लेबर कमिश्नर दोनों पक्षों को मिला कर फैसले की कोशिश कर रहे हैं और आर्बिट्रेशन की भी कोशिश है कि कोई रास्ता निकल आये और हड़ताल समाप्त हो जाय।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ झगड़ा एक ही बात का है। हम चाहते हैं कि मिल मालिक चार्जशीट विद्ड्रा करें और कारखाने चालू हों। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की कोशिश करें और इम्प्लायर्स को परसुएड करें कि वह चार्जशीट हटा लें।

श्री बनारसीदास—

मैंने पहले भी अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि इस समय हमारे लिए कुछ कहना मजदू के हित में न होगा, अगर कुछ फैसले की बातचीत करना है। हम आज भी प्रयत्नशील

[श्री बनारसीदास]

दोनों पक्ष बैठ कर अपनी बातें रखें और बातचीत के बाद कोई बीच का रास्ता निकल आये। लेकिन यहां पर इस वक्त कोई कमिटमेंट करना उन ही के हित में न होगा और मुनासिब भी न होगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं उन दिनों में, अध्यक्ष महोदय, कानपुर में था और जो मैंने वहां देखा वह यह है कि वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर और भयंकर है । सरकार को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना है क्योंकि बहुत सारे मिल्स जो ऐसे हैं वे बन्द हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तारपूर्वक लिखियेगा तो देखा जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, इसके लिए कौन सा दिन मुकर्रर किया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई सूचना जब आयेगी, उन्होंने अभी कहा है कि हम विचार कर रहे हैं । इसका डेवलपमेंट तो देखा जाय ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, और मिल टैनरीज के बारे में.....

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है । बात यह है कि कामरोको प्रस्ताव बहुत निश्चित विषय के संबंध में होता है जिसकी पूरी जानकारी अगर नहीं है तो नहीं आ सकता है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने कोई सूचना स्वीकार नहीं की है, लेकिन दो सूचनायें माननीय जेड० ए० अहमद, नेकराम शर्मा, काशीनाथ मिश्र और माननीय बिपिनबिहारी तिवारी जी की है, जो मैं समझता हूं कि उनमें कार्यवाही की आवश्यकता है । जहां तक मुझे ज्ञान है बोर्ड एक आटोनामस बाडी है वह अपनी परीक्षायें चलाता है; लेकिन इस बार परीक्षायें सरकार के प्रबंध के अन्तर्गत चल रही हैं, इसलिए मैं ये सारी सूचनायें माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेज रहा हूं ताकि वे इनमें शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करें । माननीय काशीनाथ जी ने अपने प्रश्न में कहा है कि बुलन्दशहर में संस्कृत का पर्चा आउट हो गया है । इसी संबंध में माननीय विपिन बिहारी का भी है । इस पर भी ध्यान देने की बात है क्योंकि इस समय सारा कार्यक्रम आप ही की (सरकार की) देख रेख में हो रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, ७ बजकर ४० मिनट पर .....

श्री अध्यक्ष—

वह मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री जेड० ए० अहमद और आपका जो लेख हैं इसमें यह मांग है कि विद्यार्थियों को ७ बज कर ४० मिनट पर पर्चा दिया गया और १० बजे उनके उत्तर की जो कापियां थीं वे ले लीं गयीं। उनको पूरा समय नहीं मिला और दूसरी शिकायत उनकी यह है कि कानपुर से टेलीफोन प्राप्त हुआ है कि वहां पर दो कालेजों में जिनमें मुसलमान लड़कियां परीक्षा दे रही हैं, मर्दों को इन्विजिलेशन के लिए नियुक्त किया गया है। यदि इसमें स्थानीय आपत्ति है तो कदाचित् उसके लिए उपयुक्त प्रबंध कर देना होगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, बुलन्दशहर में संस्कृत का पर्चा आउट हुआ और सेकेंड पर्चा इंगलिश का आउट हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह सब बात काशीनाथ जी के प्रश्न में है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह भी हुआ है कि हाई स्कूल वाले लड़कों की कापियां इंटर वाले लड़कों को और इंटर वाले लड़कों की कापियां हाई स्कूल वाले छात्रों को दी गयीं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो लिखकर नहीं दिया गया है। यह लिखकर दीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आप इस पर मंत्री जी का ध्यान दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय अब समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं बयान के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो उचित कार्यवाही थी वह मैंने बतायी। अगर आपको कुछ कहना है तो लिख कर दीजिए।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है गोंडा जिले के संबंध में।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिए।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

*सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १७,९८,७९,२०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई, निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३१,८६,९७,१०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ९,०९,५३,१०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में पहले यह बताना चाहता हूं कि जहां तक सिंचाई का संबंध है वह हमारे प्रदेश के लिये एक बहुत ऊंचा स्थान रखती है । हमारे सूबे के अन्दर पूरा एरिया जो है वह ७ करोड़ २६ लाख एकड़ के करीब है, जिसमें से कल्टीवेबिल एरिया, जिसके अन्दर खेती हो सकती है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी को कुछ तकलीफ है वह बैठ कर बोलें । वह हांफ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप को खड़े होने में तकलीफ हो तो आप बैठ कर ही बोलें, यह कहा जा रहा है ।

श्री गिरधारीलाल—

वह ५ करोड़ २३ लाख ६३ हजार एकड़ हमारे सूबे के अन्दर है और उसमें से इर्रीगेटेड एरिया जो है वह ४ करोड़ २६ लाख एकड़ है । मुझे इस सिलसिले में पहले तो यह बताना है कि आजादी से पहले जो हमारे सूबे में कृषि का काम होता था वह एक कमर्शियल लाइन पर होता था, यानी उस कृषि का मतलब यह था कि वह रिटर्न देखते थे और जहां पर पूरा रिटर्न मिलता था वहां पर कृषि होती थी । यानी उस समय कृषि का काम दूकानदारी की तरह से होता था । और जहां-जहां रिटर्न होता था वहीं-वहीं उन्होंने काम किया है । उस कृषि का परिणाम था कि कहीं हमारे सूबे में फेमिन, कहीं भुखमरी और कहीं अकाल पड़ा करते थे । आजादी प्राप्ति के समय प्रदेश के अन्दर १७ हजार ८ सौ २४ मील लम्बी सिंचाई की नालियां थीं और १८४७ नलकूप थे जिनके द्वारा ६८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी । योजना के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय ही यह रकबा ६८ लाख एकड़ से बढ़कर ७६ लाख ६९ हजार एकड़ हो गया । और सिंचाई की नालियों की लम्बाई १७ हजार ८ सौ २४ मील से बढ़कर १९ हजार ६८ मील हो गई और इसी प्रकार से नलकूपों की संख्या १८४७ से से बढ़कर २३०५ हो गयी । पहली और दूसरी प्लान के अन्तर्गत इस ओर विशेष कोशिश किये जाने के कारण सिंचाई की नालियों की लम्बाई १९ हजार ६८ मील से बढ़कर २६ हजार मील हो गयी । नलकूपों की संख्या २३४३ से बढ़कर ६६६८ हो गयी ।

जहां तक इसके ऊपर खर्चे की बात है, उसके सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं—पहली योजना से पहले तो खर्च जो सिंचाई पर था वह ३६ करोड़ ५४ लाख रुपये का होता था और प्रथम योजना में सिंचाई पर ३५ करोड़ ४४ लाख का धन व्यय किया गया । जहां तक दूसरी योजना का संबंध है उसमें ४० करोड़ १० लाख रुपया खर्च हुआ था और उससे जो लाभ हुआ वह यह है कि उससे १ करोड़ ११ लाख एकड़ भूमि का अधिक सिंचन हुआ । इससे जो कार्य हमारे प्रान्त के अन्दर हुआ और किया जा रहा है वह इस प्रकार है । अहरौरा डैम है, चन्द्रप्रभा डैम है, नौगढ़ डैम है, बेलन तथा टोंस कैनाल है, अर्जुन डैम है, रंगवा डैम है, बानगंगा कैनाल, अफजल गढ़ कैनाल है, और शारदा सागर है, जिरगों जलाशय है, खजुरी जलाशय, बाल्मीकी

जलाशय, तोमड़िया जलाशय और नानकसागर है। इन योजनाओं के अतिरिक्त बहुत सी छोटी-छोटी योजनायें हमारे प्रदेश के अन्दर हैं जिन पर काम चल रहे हैं।

जहां तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध है इस पर ५५ करोड़ ३ लाख रुपया रखा गया था और जहां लघु योजनाओं का संबंध है उन पर २३ करोड़ ७८ लाख रुपया रखा गया था। इनके जरिये से जो काम अभी तक हुआ है उससे १८ लाख एकड़ की क्षमता हमारे सिंचाई के साधनों में बढ़ जायगी और इस योजना के अन्त में करीब १ करोड़ ३० लाख एकड़ पोटेंशियल हमारे सूबे के अन्दर इरीगेशन विभाग के जरिये से बढ़ेगा। योजना के प्रारम्भिक ३ वर्षों के अंदर जो काम हुआ है उससे २३ करोड़ ७८ लाख रुपये की रकम जो थी उसमें से १२ करोड़ बड़ी, मध्यम और लघु योजनाओं के जरिये से खर्च कर दिया गया है। इस प्रकार से बड़ी और मध्यम योजनाओं से ५ लाख ९५ हजार एकड़ अतिरिक्त, यानी ऐडीशनल एरिया सिंचाई की क्षमता हमारे सूबे के अन्दर पैदा हुई है। जहां तक लघु योजनाओं का संबंध है उसमें ४ लाख १४ हजार एकड़ एरिया की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हमारे सूबे के अन्दर पैदा हुई है। चालू वर्ष के संबंध में मुझे इतना बताना है कि योजनाओं पर १४ करोड़ ५० लाख रुपये खर्च किये गये हैं और १ करोड़ ५९ लाख एकड़ की क्षमता हमारे प्रान्त के अन्दर इससे पैदा हुई है। जहां तक छोटी सिंचाई का संबंध है उसमें ५ करोड़ ४५ लाख रुपया खर्च हुआ है और इससे २ लाख ३३ हजार एकड़ की क्षमता हमारे सूबे के अन्दर हुई है।

इसके अलावा जहां तक उन ४ पूर्वी जिलों, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया, जहां गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक टीम आयी थी, का संबंध है उन पर ८५ लाख रुपये की एक पूरी योजना सिंचन वगैरह के काम के लिये इसके अलावा रखी गयी है। तो जैसा मैंने बतलाया इस प्रकार से ४ लाख २७ हजार एकड़ की पूरी क्षमता हो जायगी।

जो काम अभी तक समाप्त हुआ है उसमें माताटीला और शारदा सागर के काम इस वर्ष में संभव है समाप्त हो जायेंगे। जो काम अभी चल रहे हैं उनमें एक तो मेजा रिजरवायर है, बरवा बांध है, बोर रिजरवायर है, मूसाखंड है, चन्दावल बांध है, पीली जलाशय है, पथकौली बांध है, चित्तौड़गढ़ जलाशय है, जमीनी बांध है, हरिपुरा जलाशय है तथा पूर्वी नहगुल जलाशय है। इन पर काम चल रहा है।

इसके अलावा जहां तक ट्यूबवेल का सम्बन्ध है उसमें १९६३–६४ में ७७८८ नलकूप थे और ३२४ नलकूप गन्ने के एरिया में अलग से रखे गये थे। इससे ३८ हजार एकड़ सिंचन क्षमता बढ़ेगी। पूर्वी जिलों में इसके अलावा ११० नलकूप और रखे जाने की योजना है। इस तरीके से सब मिला कर ३७,४०० एकड़ की कुल सिंचन क्षमता हमारे सूबे के अन्दर हो जायगी। जहां तक ट्यूबवेल की बात है उसके विषय में मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि अभी तक हमारे सूबे के अन्दर जैसा कि हर एक को विदित है उसमें सरकार को हर वर्ष करीब ४ करोड़ रुपये साल का घाटा होता है। आगे के लिये हमारा यह तय करने का विचार है कि इसका कोआर्डिनेशन प्लानिंग और एग्रीकलचर विभाग के साथ हो और हम इन विभागों का सहयोग प्राप्त करें। हम हर जिले के अन्दर वहां की क्षमता को देखें और उसकी पूरे तरीके से आजमाइश करें और आजमाइश करने के बाद इस बात का पता लगायें कि वहां पर उसका पूरा इस्तेमाल हो सकेगा या नहीं और उस जगह पर जो पैसा हम खर्च करते हैं उसका पूरा सदुपयोग हो सकता है या नहीं। यह आगे के लिये हम सोच रहे हैं। तब उस स्थान पर हम ट्यूबवेल वगैरा लगायेंगे। जिले के स्तर पर हम यह चाहते हैं कि वहां के जिला अधिकारी प्लानिंग अफसर, हमारे एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, एग्रीकल्चर आफिसर, यह सब लोग मिलकर इस बात को तय करें और जिस स्थान पर ट्यूबवेल बनाना हो वहां की गांव सभा के नुमायन्दे हों। जब तक इस बात का पूरी तौर से इतमिनान न हो जाय तब तक हम सोचते हैं कि वहां पर इस प्रकार से ट्यूबवेल बनाना फिजूल होगा।

[श्री गिरधारीलाल]

इसके अलावा दूसरी बात मुझे खासतौर से फ्लड के सिलसिले में और ड्रेनेज के सिलसिले में कहना है। जहां तक फ्लड की और ड्रेनेज की बात है वह हमारे सूबे का एक बहुत बड़ा मर्ज है और बहुत अरसे से चला आ रहा है। यहां पर ३० लाख एकड़ से लेकर १ करोड़ एकड़ तक जमीन ऐसी हैं जिसमें २०, २५ वर्ष से देखा गया है कि उसमें हर साल नुकसान हो जाया करता था। तो यह खास समस्या इस फ्लड की है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह इस बात का विचार कर रही है कि किस तरीके से इस मर्ज से जल्द से जल्द हमारे पूरे प्रांत को छुटकारा मिले, लेकिन उसके लिये जराय की जरूरत है उसके लिये धन की जरूरत है, जिससे जल्द से जल्द यह काम हो सके। तो आगे के लिये यह एक विचाराणीय बात है जिसके ऊपर हमें कोई निर्णय लेना होगा। लेकिन फिलहाल में इतना बतलाना चाहता हूं कि अभी तक जो हमारे प्रान्त के अन्दर काम हुआ है उस काम में १० करोड़ ७५ लाख रुपया खर्च हुआ है और इससे करीब ११ लाख एकड़ जमीन हमारे पूरे सूबे के अन्दर सुरक्षित की गई है, उसे बाढ़ से बचाया गया है।

इसके अलावा जहां तक ड्रेनेज का सम्बन्ध है और जो पानी भर जाता है उसको निकालने का सम्बन्ध है उसके ऊपर करीब १ करोड़ ८५ लाख रुपया खर्च किया गया है और १ करोड़ ५० हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसको साफ किया गया है और उसकी हिफाजत की गई है। इस वर्ष इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि जो बरसात के दिनों में पानी भर गया था उन इलाकों को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाय। इस बात की कोशिश की गई थी कि कम से कम रबी की फसल उसके अन्दर लगाई जाय। जहां तक मैंने इसको देखा है उसमें बहुत हद तक सफलता हासिल हुई है। यह जो मर्ज है खासतौर से पच्छिमी जिलों का है। कुछ वर्षों से वहां की बरसात की प्रणाली कुछ बदल गई है। वहां पर नहरों से सीपेज भी हो जाता है, हो सकता है किसी किसी इलाके में ओवर ईरीगेशन भी हुआ हो। वाटर लागिंग की प्राब्लम भी कई जगह हुई है। इसको भी हल करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है।

तीसरी प्लान में बाढ़ से रक्षा का भी प्रश्न था। उसके लिये ६ करोड़ ७३ लाख रुपया रखा था। इसमें से तीन वर्षों के अन्दर ३ करोड़ ८६ लाख रुपया खर्च किया गया है और जैसा मैंने अभी बताया। इस वर्ष एक करोड़ ७६ लाख रुपया खर्च होने की उम्मीद है। अगले वर्ष एक करोड़ ३१ लाख खर्च करने का प्रस्ताव है। पिछले ३ वर्षों क अन्दर करीब ९६ लाख एकड़ जमीन को फ्लड से बचाया गया है। इस वर्ष अखबारों के जरिये माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा कि पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से तमाम मथुरा, आगरा, और फतेहपुर सीकरी आदि का पूरा का पूरा इलाका जो गोवर्धन ड्रेन के जरिये पानी से डूबने जा रहा था जिससे कि बड़ा भारी नुकसान होता, उसको हमारे इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स ने मिलकर बचाया और रक्षा की। केन्द्रीय सरकार, राजस्थान तथा पंजाब की सरकारों ने सबने जोर डाल कर उस ड्रेन को रोक कर उसके पानी को राजस्थान के अन्दर भरतपुर नहर में मिलाया और इन इलाकों की रक्षा की।

इस वर्ष करीब २७ हजार एकड़ जमीन की रक्षा की जाने की उम्मीद है। पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत, जिनका मैंने पहले नाम लिया है, उसमें ८५ लाख रुपया इसी काम के लिये रखा गया है। इस तरह से ननीय सदस्य देखेंगे कि हमारे यहां सिंचन की जो समस्या है, बाढ़ से रक्षा करने की जो समस्या है, उसको हर तरह से हल किया जा रहा है ताकि अन्न की पैदावार बढ़े। जो भी कार्य इस विभाग ने किये हैं उनको देखते हुये मेरा विश्वास है कि माननीय सदन इन तीनों अनुदानों को स्वीकार करने की कृपा करेगा। इसके अलावा जो भी सुझाव होंगे उनका फायदा मैं और मेरा विभाग उठाने की कोशिश करेगा।

श्री अध्यक्ष--

(श्री बाबूसिंह से) तीनों एक साथ पेश कर दीजिये।

*श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदानों—अनुदान संख्या ३०, अनुदान संख्या ४९ और अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई । सबसे बड़ी निराशा की बात तो यह है कि यह हमारे सूबे की बदकिस्मती है कि यहां का जो राज्य संचालन करती हैं, हेड हैं, उनको खेती की बाबत कुछ ज्ञान नहीं, उनकी न जानकारी तथा हमारे मंत्री जी की कमजोरी, हमारे सिंचाई के कार्य में बाधा डालती है । माननीय मंत्री जी ने जो यह रिपोर्ट पेश की है यह सब केवल लिखित मात्र ही है । उनकी लिखित रिपोर्ट मिली, निजी ज्ञान की बात जो होती है, वह एक धारा प्रवाह चलती है .....

श्री अध्यक्ष—

इन सब बातों से इस विषय पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ।

श्री बाबूसिंह—

उन्होंने एकमात्र लिखित रिपोर्ट दी है, क्या उसमें वह करेक्शन करेंगे ? मान्यवर, मैं अपनी असल बातों पर आता हूं और वह यह है कि यह तो आप भलीभांति जानते हैं, कि हमारा देश और प्रदेश खेती करने वाला प्रदेश है और इस खेती की पैदावार करने का मुख्य साधन, सिंचाई है, क्योंकि सिंचाई से ही आज खेती की पैदावार बढ़ सकती है और दूसरे तरीके उस सिंचाई से नीचे हैं । खेती में सिंचाई का प्रमुख स्थान है । हमने कितनी तरक्की की है और सिंचाई की तरक्की से हमारा उत्पादन कितना बढ़ा है, यह देखने की चीज है । मैंने, यह अवश्य माना कि सिंचाई मंत्री जी ने कुछ नालियां, नहरें, कुछ ट्यूबवेल बनवाये और कुछ तरक्की इस विभाग में हुई है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि कुछ तरक्की के बावजूद हमने अन्न उत्पादन में कितनी तरक्की की है, जो कि हमारी सुख सामग्री भोजन है, उसके उत्पादन में हमने कितनी तरक्की की है, और हम किस मंजिल पर आज आ रहे हैं ? मान्यवर, नाकामयाबी की वजह यह है कि जिस रफ्तार से हमको चलना चाहिये, सिंचाई के बाबत मंजिल इससे बहुत दूर है, काफी दूर है । सिंचाई में हमारी रफ्तार बहुत धीमी है । दूसरे यह कि हमारी उस मंजिल की दिशा गलत है कि जिस मंजिल से हम बढ़ने के लिये जा रहे हैं, उसकी दिशा धीमी है, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं । तीसरी वजह यह हो सकती है कि हमारा समय विपरीत है, समय खराब है और हमारा विवेक इतना नहीं है कि हम उस संबंध में आंकड़े आंक सकें । हम यह कह रहे थे कि यह हमारी लोकप्रिय सरकार है जब से आई है, तब से आये दिन गल्ले की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, खाने की सामग्री पूरे नहीं हो पा रही है । इस सरकार को जानना चाहिये कि इसकी सब से बड़ी वजह जो है, वह सिंचाई का गलत तरीका है । सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध हो । जो खेती से संबंधित कार्य करने वाले मुहकमें हैं, उनको चाहें थोड़ी देर के लिये बन्द भी कर दें, तो भी केवल सिंचाई के अच्छे प्रबन्ध द्वारा प्रदेश की खेती की पैदावार डेयोढ़ी हो सकती है और डेयोढ़ी ही नहीं दुगुनी पैदावार हो सकती है, बशर्ते इस प्रदेश की भूमि के एक एक इंच पर पानी सस्ता पहुंचे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूसिंह]

मान्यवर, हमारे इस प्रदेश में ७५ प्रतिशत किसान हैं, जिनकी जीविका केवल खेती पर ही है और आज जो गरीबी है वह छोटे-छोटे खेतों की वजह से है और मुनासिब समय पर सिंचाई न मिलने के कारण है। आज जो अन्न का संकट है, वह इस प्रदेश में सबसे बड़ा संकट है, वह आज आपके सिंचाई के साधन की कमी के कारण है। हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी जो बताया कि हमने सिंचाई में कितनी तरक्की की है। मान्यवर, देखना अब यह है कि सिंचाई में हमने इतना खर्च करने के बाद, कितनी तरक्की की है। माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने सुना। आपने बताया कि अंग्रेजों के टाइम में सिंचाई व्यापार की दृष्टि से होती थी। लेकिन, मान्यवर, अंग्रेजों के टाइम में, मैं समझता हूं और मैं ही नहीं प्रदेश की जनता और पार्टी का आधार छोड़कर सही बात सोचने समझने वाले सम्मानित सदस्य जो यहां बैठे है वह भी इस बात को मानते हैं, कि सिंचाई के साधन अंग्रेजों के टाइम में बेहतर थे और आज बदतर हैं। उसका कारण यह है कि घर का आदमी आज मुखिया जरूर है, पढ़ा लिखा है, देशी है, घर का आदमी है, लेकिन घर का इन्तजाम उसका सही नहीं है। घर में भुखमरी फैली हुई है, घर में किसी बच्चे को तालीम नहीं मिल पाती है, तो ऐसा मुखिया कामयाब नहीं समझा जाता है। वह सरकार अच्छी सरकार नहीं समझी जाती जिसके रहते, आये दिन सूबे में हर तरह की परेशानियां हों, वहां के लोग भूखे मरते हों, सिंचाई के रेट बढ़ जायं लेकिन पैदावार न बढ़े, सिंचाई के साधन न बढ़ें। मंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजों के टाइम में १८८२५ मील के करीब नहर अंग्रेजी सरकार ने खुदवायी थी। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में उतनी नहर खोदने के बावजूद काफी मुनाफा अंग्रेज हासिल करते थे, मंत्री जी भी इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार उस पर सत्तारूढ़ हुई तो फिर कौन सी बात है कि करोड़ों रुपया उनसे घाटा देना पड़ता है?

हमारी सरकार सबसे बड़ी डींग आये दिन यह मारती है और कहती है कि हम तो समाजवादी ढांचा इस सरकार का कायम करना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। मान्यवर, मैंने इस मुहकमे में खास तौर से देखा तो इसमें भारी खाई बहुत लम्बे अरसे से है। इस मुहकमें के बहुत से अफसर ऐसे हैं कि जो कोठियों और बंगलों से कभी बाहर नहीं निकलते। लोग कहते हैं कि यह जो आज आला अफसर हैं, चाहे उनमें मंत्री जी भी हों, यह तो उसी तरह से अपना टाइम व्यतीत करते हैं जिस तरह कि नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में लोग कोठियों में पड़े रहा करते थे। बिलकुल ठीक उसी तरह आज के आला अफसर और मंत्री जी करते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि माननीय मंत्री जी जब देहात में निरीक्षण करने जाते हैं दौरे पर तो कितने काश्तकारों से मिलते हैं? मान्यवर, मैंने देखा है कि मंत्री महोदय जब दौरे पर देहात में जाते हैं तो २०–२५ कारें उनके इधर उधर घूमती हैं। मंत्री जी बतायें कि क्या वह किसानों से मिलकर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानियां हैं, हम आपको क्या आसानियां पहुंचा सकते हैं? नहीं,वह उनसे नहीं मिलते और जनता का मनोबल तो इस कदर कमजोर है इस सूबे के अन्दर कि उन दुखियारों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उनके बीच से घुसकर माननीय मंत्री जी से मिलें और आगे बढ़कर उनसे कहें कि माननीय मंत्री जी, हमारी दौलत खर्च करके आये हो तो हमारी तकलीफों को सुनो और उसे दूर करो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि खैर, अब तक जो हुआ वह हुआ, अभी मंजिल दूर है, और मेरा जहां तक खयाल है कि मंजिल को पकड़ना तो आपकी सरकार के लिये बहुत मुश्किल है, लेकिन हां, अगर परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और अब भी उन गरीब खेतिहर काश्तकारों के बीच में पहुंचें, उनकी तकलीफों को सुनें और उन्हें दूर करने का उपाय करें तो कुछ सुधार हो सकता है और अपने प्रदेश की गरीब जनता की हालत कुछ बेहतर हो सकती है। मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किये तो मैंने भी कुछ जानने की कोशिश की। मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सिंचाई पर खर्च हुआ है, वह कितना कीमती पड़ता है। इस संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे मंत्री जी उनमें से हैं या जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं जो १९४२,४४ या १९४६ से पहले अमूमन स्टेज पर खड़े होकर कहा करते थे कि नहर अंग्रेज ने बनाई है, इनकी

खुदाई वगैरह वे ही करवा गये हैं तो अब इनको आबपाशी लेने का हक क्या है। यह कहिये कि हमारी देशी सरकार, हमारे ये सम्मानीय सदस्य व नेतागण, न मालूम "कुर्सीपाय केहि मद' न हो जाय, वही मसल यहां चरितार्थ होती है। यहां पर बैठने वाले हमारे मंत्रिगण और माननीय सदस्य अपनी पार्टी मीटिंग्स में क्या-क्या कहा करते थे और अब क्या कुछ कर रहे हैं। खुदाई नहरों की अंग्रेजों ने की। खैर, उसे जाने दीजिये। अब भी इनको कैसे अच्छा समझें ? इनमें कौन से चार चांद या खूबियां हैं। इनकी सराहना क्या की जाय। आपने देखा कि सिंचाई का रेट पहिले से तिगुना कर दिया गया है। आप भली भांति जानते हैं और मंत्री जी भी इसे जानते हैं कि यहां का किसान ७५ फी सदी है। उनमें भी जमीन बहुत छोटे-छोटे पैमाने पर बंटी हुई है। डा० लोहिया ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि यहां के २७ लाख मजदूरों की ३ आने या १९ पैसे रोज की आमदनी है। हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि ७ या आठ आने है। चाहे आप डा० लोहिया को मान लीजिये या गृह मंत्री जी को मान लीजिये। मैं तो सात आने मानकर भी पूछता हूं कि आपके पास क्या हिसाब है ? जैसा कि रेवेन्यू में नक्शा होता है वैसा ही एक नक्शा आपके महकमें में ज्यों का त्यों होता है। कितनी लैन्ड पर फलां काश्तकार को आबपाशी हुई, कितनी जमीन उसके पास है, कितनी की आबपाशी करनी है। अगर आप ठंडे दिल से सोचें कि ७५ फी सदी जो किसान हैं उनमें वे ही लोग हैं जो तीन आने रोज मजदूरी पाते हैं। फिर मैं आपके माध्यम से पूछ सकता हूं कि आपने जो तिगुना आबपाशी का रेट कर दिया है, इसे देखते हुये वह अपनी आबपाशी का कर कहां से अदा करे ? खैर, मरता क्या नहीं करता। बेचारा आये दिन आपके लिये उस रेट को देता है। यहां जो आपसे मैं कह रहा था कि सवा तीन सौ रुपये फी एकड़ यहां खर्च होता है आबपाशी पर।

मान्यवर, जहां तक आबपाशी का महकमा है उसका ध्यान केवल शहरों की तरफ ही रहता है। जितने बड़े-बड़े शहर हैं या स्थान हैं जहां पर ट्रैफिक हैं, वहीं पर ज्यादा से ज्यादा पुल बनाने की चेष्टा सरकार कर रही है। हरिद्वार में आने का पुल भी है और जाने का पुल भी बना दिया गया है। क्या आपने मालूम किया है, मैं पूछता हूं, कि बड़ी-बड़ी नहरों के दरम्यान में कितने कितने फासले से पुल बने हैं और वहां का जनसाधारण, वहां का मजदूर उसी तरह से परेशान है। वह अगर गांव से हाट, या बाजार को आता है। एक हाट जो उसके लिये दो मील पड़ता है वही उसके लिये पुल न होने के कारण १२ मील का चक्कर हो जाता है। लोअर गंगा कैनाल पर सांकरा के पुल से खड़िया का पुल गालिबन ८ मील है। उस पुल पर बीच का पुल अंग्रेजों के जमाने से इधर उधर से बना हुआ है। जिधर से पुल बनना है वहां नाव रहा करती थी आदमियों के उतरने के लिये, सवारी नहीं उतर सकती थी, लेकिन आज आप मालूम करें कि वह नाव भी हटा ली गयी। जिस आदमी का दो मील पर गांव है और वह एरिया, जो खादर का है, जहां पर कोई हाट नहीं है, बाजार नहीं, वह अगर हाट जाता है तो उसको १२ मील का चक्कर लगाना पड़ता है।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

कहां बड़े-बड़े शहरों में आने जाने वाले पुलों में बढ़ोत्तरी हो रही है और कहीं इतनी बड़ी लोअर गैंजेज कैनाल पर ८,८ मील के दरमियान कोई पुल नहीं है। इसमें आपका दोष नहीं है, बल्कि आपकी नाजानकारी का दोष है, आप को मालूमात नहीं हैं। आपको मालूम नहीं कि जनता को कितनी परेशानी है। मान्यवर, और आपको कहां तक बताऊं काकाबेगपुर में पुल था, मेरी १,२ ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत हुई, हमने कहा कि

[श्री बाबूसिंह]

गर्की बढ़ती जा रही है, लाखों बीघे जमीन ऐसी है जिसमें मेरी आंखों के देखते हुए पैदावार होती थी, आज वहां पर शिकार खेला जाता है, इतनी गर्की बढ़ गयी है कि वहां कुछ पैदा नहीं होता ।

हमारा सूबा और देश अन्न संकट से गुजर रहा है लेकिन आप उस समस्या का हल नहीं निकालते हैं । तो मैं उसी बात पर आता हूं कि जो अधिकारी वर्ग है ऐसे क्लास के लोग हैं जिनको गरीबी से कभी गुजरना नहीं पड़ा, उसकी बाबत कोई बात मालूम नहीं है । मैंने १,२ दफा लिखा कि अगर आप कोई साइफन बनवा दें तो हजारों बीघे जमीन निकल सकती है । एक ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि ५०,००० रु० खर्च होगा । मैंने कहा कि आपके विभाग में कितना रुपया खर्च होता है, अगर कुछ रुपया इस काम में भी खर्च हो जाय तो आप यह देखिये कि कितनी जमीन खेती के लिये निकल आयेगी । अतः जो ड्रेनेज का तरीका है उसके बारे में आप जरा गौर करें कि आप कहां तक कामयाब हैं ।

जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं सब समझदार, और पढ़े-लिखे हैं, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि उसके बाल-बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छी नौकरियां पायें । लेकिन आजकल कौन-सी नौकरी पाने की ज्यादा ख्वाहिश रहती है यह जानकर श्रीमन्, आपको ताज्जुब और दुख होगा । मैं मार्शल रेस के आदमियों को छोड़े देता हूं, शेष लोगों की कुछ ऐसी मनोवृत्ति हो गयी है कि अपने बच्चों को सिंचाई में भेजो, इंजीनियर बनाओ, ओवरसियर बनाओ । वैसे मैं इस विभाग को बेहतर नहीं समझता, और भी किसी विभाग को बेहतर नहीं समझता क्योंकि सभी में भ्रष्टाचार है, लेकिन सिंचाई विभाग में तो चरमसीमा पर भ्रष्टाचार है । जैसा माननीय मुलतान सिंह ने कहा था कि इस सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, मैं इस से सहमत हूं । आपके जो नये ब्लाक्स खुले हैं, जो बिल्कुल देशी हैं इनमें भी भ्रष्टाचार है, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, सब अलग अलग अपना हिस्सा तय कर लेते हैं, सब का रेट मुकर्रर है । लेकिन सिंचाई विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारत में किसी मुहकमे में नहीं है और माननीय मंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगती है, जनता के कान पर जूं नहीं रेंगती, माननीय सदस्यों के कान पर जूं नहीं रेंगती । उसका एक कारण है क्यों नहीं जूं रेंगती । यहां की जनता उतनी जागरूक नहीं है जितना कि इसी देश के एक प्रांत की है जहां अभी चुनाव हुये हैं, यहां की जनता जानती है कि सरकार कोई और है, हम कोई और हैं, सरकार जो कुछ कर रही है हम पर मेहरबानीकर रही है । यहां की जनता को मालूम नहीं कि यह जो कर रही है हमारे पैसे से कर रही है और न मान्यवर, अधिकारी वर्ग यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह जनता से लिये हुए पैसे से जनता की खिदमत कर रहे हैं । इस सरकार ने १८ साल के शासन में कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सरकार के जो अधिकारी हैं वह जन सेवक हैं । बल्कि अधिकारी लोग उसी ठाठ बाट से जनता के बीच में जाते हैं जैसे पहले जाया करते थे, और यह सब इसलिये किया जाता है ताकि लोग हमसे शिकायत न कर सकें ।

मैं कह रहा था कि किस कदर भ्रष्टाचार है । जो धन सरकार यहां से मंजूर करती है उच्च अधिकारियों द्वारा, अपने ठेकेदारों और ओवरसियरों द्वारा उसका बटवारा होता है । यहां तक खयाल है कि जो धन यहां से मंजूर करते हैं उसको ठीक तरह से खर्च नहीं किया जाता । इसीलिये यह कटौती का प्रस्ताव रखा गया है । मैं कह सकता हूं कि धन सही तौर पर खर्च नहीं होता । इस धन का ज्यादातर हिस्सा फालतू मदों में, रिश्वतों में, एक दूसरे के बटवारे में खर्च होता है । मिसाल क्या दूं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे । लोगों का खयाल है कि ४० फीसदी तो सही खर्च होता है, शेष ६० फीसदी का बटवारा हो जाता है ।

मंत्री महोदय ने जो तरक्की की उसकी बाबत जरा रोशनी डाल दूं । हमारा जिला पश्चिमी जिलों में है, अक्सर कहा जाता है कि पिछड़े जिलों में आबपाशी की तरक्की हो रही है

तो हम कहते थे कि चलो हमारे यहां न सही, कहीं तो हो रही है तरक्की। लेकिन जब आंकड़े देखे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो आबपाशी है वह किस रेशियो में है तो मालूम हुआ कि ६.९। पूर्व में २१.८, पश्चिमी जिलों में ४५.५। यह इनकी तरक्की है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां अन्न के उत्पादन की कमी है। अन्न कहां से आवे जब पानी ही नहीं मिलता है। पूर्वी जिले के कुछ आंकड़े देखे तो उससे और भारी निराशा हुई। हम समझते थे कि पूर्वी जिलों में डैम और नहरें बन रही हैं। चलो वहीं के लोग खुश रहें। बहराइच में ६.१ प्रतिशत, गोंडा में ६.९ प्रतिशत, गढ़वाल, चमोली में तो १ प्रतिशत है। यह यहां की तरक्की है।

मान्यवर, जो सालाना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनमें ४,५ साल पीछे के फीगर्स छोड़िये, ४,५ साल में जो इन्होंने तरक्की की है उसके लिये आप देखें १९६०–६१ में हमने तरक्की की थी और हमारी आबपाशी हुई थी १५.५ प्रतिशत। १९६१–६२ में हमने १२,३५,७३,८०० रुपया खर्च किया और हमने तरक्की कितनी की? १४.३ यानी और अवनति की १.२ की, इतना रुपया खर्च करके। १९६२–६३ में हमने १२,२४,४०,८०० रुपया खर्च किया, उसमें हमने कितनी तरक्की की? ३.४ तरक्की की। १९६३–६४ में १९,०६,२४,२०० रुपया खर्च करके भी कोई विशेष तरक्की नहीं की और १९६४–६५ में २५,५३,७४,३०० रुपया खर्च करके आबपाशी निकली १८.८ प्रतिशत। मैंने इसका हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि ६,४७,०५,१०० रुपया ज्यादा खर्च करने के बाद हमने तरक्की की है १.०१ प्रतिशत। यह हमारी तरक्कियों का नतीजा हमारे सामने है। मैं इन शब्दों के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और सम्मानित सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप ईमानदारी के साथ बहस करें और अधिकारियों के रोब में आकर गलत सलत ताईद करने की कोशिश न करें।

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त जनसंख्या का ७५ प्रतिशत कृषि कार्य करता है। अर्थात् हमारे प्रदेश का तीन चौथाई भाग खेती में लीन रहता है। कृषि के जितने प्रधान अंग हैं उनमें भी सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण स्थान सिंचाई का है। जब कभी अनावृष्टि होती है, अथवा जब कभी साधारण वर्षा होती है उस समय सिंचाई के द्वारा ही पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार जब हमारे प्रदेश के सामने अनुत्पादन की सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या का निराकरण एक मात्र सिंचाई विभाग से ही हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंचाई विभाग के कार्य में प्रगति हुई है और इस विभाग के कर्मचारी अपने कार्यों में तत्परता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु सिंचाई विभाग के पास उतने साधन उपलब्ध नहीं जितने साधनों की उसको आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप गाजीपुर और बलिया के दो जनपदों में केवल एक ही बोरिंग मशीन है। गाजीपुर में सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य हो रहा है लेकिन मशीनों के अभाव में जितनी सत्वरता होनी चाहिये, उतनी सत्वरता नहीं आ पाती है। सिंचाई विभाग के द्वारा ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, वही खाद्य उत्पादन में भी सहायता करता है। इसलिये सिंचाई विभाग हमारे प्रदेश का अनिवार्य और आवश्यक अंग है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके लिये जितना भी अनुदान दिया जाय उतना ही अपर्याप्त कहा जायगा। हमारे माननीय मंत्री जी का कथन है कि ये ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करना चाहते थे और चाहते हैं कि प्रदेश में सिंचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें, लेकिन ट्यूबवेल का उतना

[श्री राजनारायसिंह]

उपयोग नहीं होता जितना कि होना चाहिये। इस संबंध में माननीय मंत्री जी को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां भी ट्यूबवेल की बोरिंग करनी हो, पहले आप उस गांव के रहने वालों से तथा गांव सभा से एकरारनामा इस तरह का लिखवा लें कि अगर ट्यूबवेल में किसी तरह की क्षति हुई तो उसकी पूर्ति गांव सभा को करनी होगी। मैं समझता हूं कि आज किसान पानी के लिये व्याकुल और आतुर हैं। जहां के भी किसान पानी चाहते हों, वहां के लिये पानी की व्यवस्था अविलम्ब करनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद गाजीपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जनपद में करीब साढ़े ८ लाख एकड़ भूमि कृषि के योग्य है जिसमें से करीब साढ़े ७ लाख एकड़ भूमि में खेती होती है लेकिन अब तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वहां केवल १ लाख १० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है। उस जनपद में भी मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र शादियाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां लगभग डेढ़ लाख एकड़ भूमि में कृषि का कार्य होता है। उस क्षेत्र के अन्तर्गत तीन ब्लाक्स सादात, जखनिया और मनिहारी हैं। सादात ब्लाक में तीन पंचवर्षीय योजना के लगभग समाप्त होने के बाद भी केवल ३ ट्यूबवेल्स की बोरिंग हो सकी है। सादात ब्लाक में लालगंज डिस्ट्रिब्यूटरी का निर्माण हुआ है जहां किसानों की बहुत ही उपजाऊ भूमि नहर में लगी है और उससे संबंधित १८ गांवों में चकबन्दी भी नहीं हो सकी है। इस प्रकार न तो वहां के लोग पानी से लाभान्वित हो सके हैं और न चकबन्दी कार्यक्रम ही उन लोगों के लिये कोई उपयोगी सिद्ध हुआ है। लालगंज तथा ठेकमा डिस्ट्रिब्यूटरीज से पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। पहले यह आश्वासन मिला था कि सन् ६४ तक वहां पानी की व्यवस्था हो जायगी लेकिन सन् ६५ में यह आदेश मिला है कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां के किसानों की भूमि नहरों की खुदाई में गयी, और जहां के किसान चकबन्दी से भी वंचित रहे, कम से कम उस क्षेत्र में आपको उदारतापूर्वक स्पेशल ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करनी चाहिये। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्रीजी का ध्यान इधर अवश्य आकृष्ट होगा।

इसी प्रकार से जखनिया में ठेकमा डिस्ट्रिब्यूटरीज से भी पानी मिलने की आशा नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग से आदेश आ चुका है कि पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसलिये उस क्षेत्र में भी स्पेशल ट्यूबवेल्स की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे किसान जो अपनी उपजाऊ भूमि नहरों में दे चुके हैं और जो चकबन्दी से भी वंचित हो चुके हैं, कम से कम उनको निराश होने का अवसर न मिले और वे हतोत्साहित न हों। इस अवसर पर मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से विशेष अनुरोध करता हूं कि वे वहां स्पेशल ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करें ताकि उन उपजाऊ भूमि वाले किसानों के लिये खेती करने की अच्छी व्यवस्था हो सके। मैं यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने उस क्षेत्र का भ्रमण किया है और देखा है कि वहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है लेकिन सिंचाई के अभाव में वहां उत्पादन शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। उस समय माननीय राममूर्ति जी जो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने घोषित किया था कि इस क्षेत्र में लगभग ४५ ट्यूबवेल्स की यदि व्यवस्था कर दी जाय तो यहां का उत्पादन दुगुना हो जायगा और यहां के किसान सुखी हो सकेंगे। लेकिन यह आश्वावन देने के बाद भी जिन-जिन स्थानों के लिये उन्होंने यह घोषणा की थी उन स्थानों पर आज तक भी ट्यूबवेल्स की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यद्यपि उन सारे स्थानों का सर्वेक्षण हो चुका है और आपकी प्रस्तावित सूची में भी उनके नाम हैं, लेकिन तो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना के समाप्त होने के बाद भी जितने ट्यूबवेल्स की वहां व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के ४ वर्ष समाप्त हो रहे हैं और पांचवें वर्ष का समय आपके सामने उपस्थित है। हम आशा करते हैं कि उस क्षेत्र को अब तो आप सिंचित

करने की कृपा करेंगे। अब भी उस क्षेत्र में ४०,००० एकड़ भूमि असिंचित है। इससे हम वहां अधिक उत्पादन की क्या आशा कर सकते हैं?

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। बोरिंग मशीनें कम होने से काम नहीं हो पाता। दूसरे सीमेंट की कमी भी है। जिससे नालियां नहीं बन पाती हैं। मेरी प्रार्थना है इनका प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उत्पादन में तीव्रता आवे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ठेकेदार लोग बजाय पास की चिमनी से ईंटा लेने के ८,१० मील से लाते हैं ताकि उन्हें कार्टेज का दाम ज्यादा मिले। अगर मार्ग में नदी पड़ी तो ३० रुपये ईंटे का भाव और ३० रुपये ही कार्टेज के लगाकर ६० रु० हजार ईंटा पड़ा। इससे पंपिंग हाउस के निर्माण में अधिक समय लगता है और खर्चा भी अधिक आता है। यदि इस ओर ध्यान दिया जायगा तो काम के करने की गतिविधि में तीव्रता आवेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे राज्य का सबसे उत्तम अनुदान पेश है। सिंचाई की व्यवस्था से हमारे सूबे की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे देश में विदेशी राज्य रहा और उस समय की सरकारों ने यह नहीं सोचा कि देश कैसे ऊपर उठ सकता है। हमारी जनता की चुनी हुई सरकार १५,१६ वर्ष से कार्य कर रही है। उस वक्त हर क्षेत्र से आने वाले लोग राजकीय कुर्सियों पर विराजमान हुए और यह सोचना शुरू किया कि कैसे हम अपने देश और जनता की भलाई कर सकते हैं। सारे तपे-तपाये लोग थे, कुछ तो चले गये, कुछ अभी हैं। जोश के साथ काम शुरू हुआ लेकिन बाद में हम लोग पसपा होते चले गये। अभी बाबूसिंह जी ने बहुत कुछ कहा कि हमारे इंजीनियर लोग जब पढ़-लिख कर अपने अधिकारों पर आकर विराजमान होते हैं, तो उन्हें जनता की कठिनाइयों का अनुभव नहीं होता है। सिवाय इसके कि वे नहरों के नक्शे बना लें, बड़ी-बड़ी योजनायें बना लें और उनको कार्यान्वित करें। हम सब लोग चुनकर आते हैं। चाहे कोई अपोजीशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो, सबकी बातों को मंत्री जी को नोट करना चाहिये ताकि विभाग में सुधार हो सके।

अब से १५ वर्ष पहले हमारे सूबे में सिंचाई की अच्छी प्रगति हुई लेकिन उसके बाद सरकारी तौर पर जो कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति रुक गई और उसका कारण यह है कि विभाग में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका मंशा यह नहीं रहा कि राज्य के किसान की तरक्की हो, बल्कि उनका मंशा केवल धन उपार्जन करना रह गया है। मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बताया कि ट्यूबवैल विभाग की अवनति हुई है और यह हानि में चल रहा है। हमने कभी यह नहीं विचारा कि क्यों ऐसा है। यदि ऊंचे सरकारी कर्मचारी कमर कसकर खड़े हों जावें वह चाहें कि इस विभाग की उन्नति हो और इस अपने विभाग में काम करने वाले सभी लोग अपने-अपने काम को सक्रिय रूप से करें तो शायद इसमें नुकसान न हो। अब से १५ वर्ष पहले मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि अगस्त के महीने में ट्यूबवैलों की नालियां बन कर ठीक हो जाती थीं और ट्यूबवैलों का ओवरहालिंग हो जाता था लेकिन अब जब आबपाशी का समय आता है, गेहूं की फसल खड़ी होती है, उस वक्त हमारे ट्यूबवैलों का ओवरहालिंग होता है और नालियां ठीक होती हैं। नये कुएं बनाते समय कहां ३७५, व ४०० फीट बोरिंग दिखाया जाता है लेकिन मौके पर

[श्री श्रीराम]

शायद २०० फुट होते हैं, ६ इंच या ८ इंच की बोरिंग करके उसमें ६ इंच का पाइप डाला जाता है। लेकिन कहीं-कहीं ५ इंच का पाइप ही डाल दिया जाता है और इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है। बोरिंग करने वाले और पाइप डालने वाले साकेट, जाली तथा पाइप बेंच डालते हैं। बहुत से मिस्त्री जिनके पीछे यह चक्कर लगा हुआ है वे ६,६ महीने की छुट्टियां लेकर दारुलशफा के कमरों में चक्कर काटते हैं। ऐसे आदमियों को सजा देनी चाहिये।

श्री बाबूसिंह जी ने बतलाया था कि अंग्रेजी राज्य में अच्छी सिंचाई होती थी। जब मैं रिहन्द डैम गया और प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में मैंने भाग लिया तो वहां कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया था कि अंग्रेजी राज्य में अधिक आबपाशी होती थी। यह बात जब लोगों ने सुनी, तब इस पर हमारे मंत्री जी रामसूर्ति जी बिगड़ गये। उन्होंने उस अधिकारी से कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हम १५ साल में आगे नहीं बढ़े हैं। मैंने कहा था कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है चूंकि आज हमारा नक्शा ही दूसरा हो गया है। आज हमारा तरीका ही दूसरा हो गया है, उस वक्त हमारे यहां यह बात नहीं थी कि नलकूप नहीं थे तो सिंचाई ही नहीं होती थी। पहले भी हम रहट से या छाज से सिंचाई करते थे लेकिन आज बात यह हो गई है कि जो गन्ने की मिलें खड़ी की गई हैं हम उनकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं और गेहूं आदि अनाजों की सिंचाई की तरफ ध्यान न देकर गन्ने की सिंचाई पर ही ध्यान देते हैं। आप सिंचाई के महकमे में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप किसानों में इतना प्रचार भी अवश्य करें कि गेहूं की फसल के लिये भी आबपाशी करना चाहिये। आज किसान गेहूं की आबपाशी नहीं करते क्योंकि सरदी के मौसम में वह समझते हैं कि एक न एक पानी तो बरस ही जायगा और न भी बरसेगा तो काम चल ही जायगा। जब हम रुपया नलकूप के लिये भेजते हैं तो गन्ने की सिंचाई का ही प्रचार करते हैं कि रामपुर, सिबहारा या अमरोहा शुगर मिल के लिये हम इतना रुपया भेज रहे हैं। किसान आज यह समझते हैं कि नलकूप ईख के लिये ही बने हैं और उसी की सिंचाई उनसे होना है। हमारा जो नलकूप विभाग है वह बिलकुल चौपट हो गया है इस तरह से।

अब मैं नहर के विषय में भी बताऊंगा कि अभी हमने यह देखा कि हमारे जो डैम और बांध बन रहे हैं उनमें क्या हो रहा है। रैनी, बिजनौर में ऐसे लोगों को ठेके दिये गये जिनके कि कोई टेंडर तक नहीं थे, एक-एक, दो-दो लाख रुपये के गबन हुये। एक इंजीनियर जिन से यह मामला संबंधित था उनके विरुद्ध जब शिकायत की तो उनका तबादला हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरे पास खबर भेजी कि अब तो हम चले आये अब तो माफ करो। बांध में दो दो आने के नमक के बोरे लगाये गये और उनके लिये ८० रुपये सैकड़ा का रेट दिया गया। हमें देखना चाहिये कि इस विभाग में जो पैसा लगता है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। आज हमारे सामने जगह-जगह पर भ्रष्टाचार है, सारे काम कमीशन पर चलते हैं। जिस कम्पनी से नलकूप के मोटर लेते हैं उनका कितना ही खराब मोटर क्यों न हो लेकिन उसका लाभ किसी को मिलना चाहिये वह ले लिया जाता है, जो ज्योति मोटर फिट किये गये हैं उनमें ऐब है कि वह जल्दी ही धड़ाधड़ फुंक जाते हैं। प्राइवेट नलकूपों के लिये आपके सरकारी नलकूपों के पुरजे बिकते हैं। यह चीज तभी ठीक हो सकती है कि आपरेटर को मिस्त्री और सुपरवाइजर दोनों को ट्रेनिंग देना चाहिये और एक आदमी की ही पूरी जिम्मेदारी रहे, जब जिम्मेदारी २ जगह रहती है तो एक दूसरे के ऊपर काम की उपेक्षा करते हैं, सुपरवाइजर कहता है कि मिस्त्री मोटर ठीक करेगा और मिस्त्री कहता है कि सुपरवाइजर ठीक करेंगे और इसी में सिंचाई का समय निकल जाता है और उनके मुंह में रिश्वत का जोरा लग गया है, वे जानबूझ कर नलकूप को खराब किये रहते हैं, आपरेटर कहता है तुम्हारी आबपाशी का समय निकल जायगा, मिस्त्री और सुपरवाइजर उसे ठीक नहीं करते और नतीजा यह होता है कि किसान रुपया इकट्ठा कर सुपरवाइजर को देते हैं और मिस्त्री या सुपरवाइजर के पास जाते हैं तब वह ठीक करते हैं।

वैसे कोई नहीं पूछता, यह विभाग की दशा है। इन शब्दों के साथ में माननीय बाबूसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिंचाई विभाग के जो अनुदान पेश हुये हैं उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जब कि अन्न का संकट है नलकूप और दूसरे सिंचाई के सामान देकर किसानों का बहुत लाभ कराया है। खास तौर से मैं माननीय शांति प्रपन्न शर्मा का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने नलकूपों के लिये बिजली देने में बहुत अधिक सहयोग दिया है। अब मैं श्रीमन्, आपके द्वारा चन्द सुझाव सिंचाई विभाग के लिये रखना चाहता हूं। निजी ट्यूबवेल लगाने पर आपने जो सरकारी ट्यूबवेल के चार फर्लांग के फासले पर पाबन्दी लगा रखी है उससे काश्तकार बहुत परेशान हैं। बाज-बाज जगहें इतनी ऊंची पड़ती हैं कि आपके ट्यूबवेल का जो पानी है वहां नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो इस समय जो पाबन्दी है उसको तुरन्त समाप्त किया जाय।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो आपने ट्यूबवेल्स से नालियां बनायी हैं, उनकी वजह से भी काश्तकार को बहुत दिक्कत है। बहुत जगहों पर चकबन्दी हो चुकी है लेकिन नालियां नहीं बनी हैं। काश्तकार नहरों और ट्यूबवेलों के पानी को ले जाने में परेशान हैं। इसलिए निवेदन है कि वहां पर जमीन को एक्वायर करके काश्तकार को पानी देने के लिए नालियां बनायी जायं। एक बात मुझे यह भी निवेदन करना है कि जहां से पानी चालू होता है, वहां पर ही पानी काट लिया जाता है और दूसरे काश्तकारों को परेशान करते हैं। गेहूं के लिये बहुत से काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है। जो दरख्वास्त डी० आर० ओ० के यहां पर दी जाती है, वे खारिज कर दी जाती हैं। जिन कास्तकारों के खेत आखिर में पड़ते हैं वहां पर पानी बहुत कम पहुंच पाता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि ४ फर्लांग आखिर तक ट्यूबवेल लगाने के लिए इजाजत दी जाय। मेरा गांव आखिर में है और वहां पर ईख को सिर्फ २ पानी मिल पाये हैं जब कि कम से कम १० पानी लगने चाहिए। गेहूं को एक या २ पानी ही मिल सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए इम्दादी ट्यूबवेल लगवाये जायें।

एक बात यह भी देखी जाती है कि कहीं-कहीं पर दूसरे कुलाबे से आबपाशी की जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिस कुलाबे से तोड़ रकबा की आबपाशी हो सके उसको उसी कुलाबे से पानी दिया जाय।

श्रीमन्, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जितने भी सहकारी ट्यूबवेल्स हैं वे करीब-करीब सभी खराब पड़े हुये हैं। उनके इंजिनों को चोर चुरा ले गये हैं और वे बन्द पड़े हुये हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनको सरकार अपने तहत में ले ले जिससे उनकी दशा सुधर जाये और काश्तकार को भी लाभ हो।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इस अनुदान की ताईद भी करता हूं। मैं आज बड़े हर्ष के साथ कहूंगा कि हमारे दोनों मंत्री और उच्च अधिकारी भी पश्चिम के हैं। मैं ताइद इसलिए कर रहा हूं कि काश्तकार को छूट की आवश्यकता है। मैं सरकार से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि सिंचाई

[श्री चन्दनसिंह]

विभाग यह तय करे कि रबी की फसल को कितना पानी चाहिये और खरीफ की फसल को, कितना। अगर ईख के लिये हमारा विभाग ६ पानी निर्धारित करे और विभाग दे पायें २ पानी तो आपको ४ पानी के लिये कृषकों को छूट देनी चाहिये, जिससे आम कृषकों का लाभ होगा, उपज बढ़ेगी तथा देश को भी लाभ होगा। हमारे पश्चिम का काश्तकार जमींदारी खत्म होन के पश्चात् अपनी जमीन बनाने की तरफ चला और फिर अपना मकान बनाने की ओर, उसके बाद अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ बढ़ा और अब वह अपने लिये सिंचाई का अच्छे से अच्छा प्रबन्ध चाहता है। क्योंकि पानी कृषि के लिये बड़ा महत्व रखता है। जिस प्रकार से मनुष्य हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार से कृषि भी बिना पानी के नहीं हो सकती इसलिये उपज के लिये काश्तकार को पानी सबसे ज्यादा आवश्यक है। मंत्री जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कनेक्शन देने की बहुत कोशिश की किन्तु अधिकारियों ने कुछ ऐसी अड़चन लगायीं कि कृषकों को कनक्शन की प्राप्ति में सफलता नहीं हो सकी। अड़चनें यह थीं कि स्टेट ट्यूबवेल से ४ फर्लांग की दूरी होनी आवश्यक है अन्यथा कनेक्शन नहीं देंगे। जहां स्टेट ट्यूबवेल होगा वहां कनेक्शन नहीं मिलेगा। राजकीय ट्यूबवेल का बोरिंग ७ सौ फुट, गहरा है और किसी का बोरिंग १ हजार फुट गहरा ह। प्राइवेट ट्यूबवेल ६० फुट बोरिंग का होता है। विभाग के ट्यूबवेल का बोरिंग अधिक गहराई तक होने के कारण प्राइवेट ट्यूबवेल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी है कि जहां २ नहरें हैं वहां दो फर्लांग तक कनेक्शन नहीं देंगे, यह एक अन्याय है। मेरा ट्यूबवेल नहर से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है और हमारे इंजीनियर साहब फर्माते हैं कि यह नहर का पानी खींचता है जब कि बड़ी नहरों के पास कम से कम मेरे गांव में २५ ट्यूबवेल चल रहे हैं, जो कि प्राइवेट हैं और तिस पर भी नहरों में पानी ज्यों का त्यों है। समझ में नहीं आता कि हमारा ट्यूबवेल जो ६० फुट की बोरिंग पर है, वह नहर का पानी कैसे कम करता है।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि काश्त के लिए पानी का दोहरा साधन होना चाहिये, जिस प्रकार एक मनुष्य के पास साइकिल और मोटर दोनों रहें तो अच्छा होगा। जिस आदमी के पास सायकिल और मोटर दोनों होंगी तो किसी भी समय मोटर खराब हो जाय या उसकी बैट्री खराब हो जाय तो सायकिल पर जाकर बैट्री बाजार से ला सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि २ साधन सिंचाई हेतु होना काश्तकार के लिये बहुत आवश्यक है उसकी सहायता के लिये तथा कृषि की सहायता के लिये। जिससे अपने देश को कृषि में भी काफी लाभ होगा। यदि गेहूं में ३ पानी आप निर्धारित करते हैं और दे पाते हैं एक पानी तो ऐसी दशा में एक ही पानी का महसूल लें। गन्ने पर यदि आप निर्धारित करें कि ६ पानी इसके लिये आवश्यक होते हैं और ३ पानी ही आप दे पाते हैं तो तीन बार के पानी की छूट दी जाये। सिंचाई मंत्री जी कहते हैं कि हम सिंचाई साधनों में कोई तिजारत नहीं करते हैं, लेकिन ६ करोड़ के घाटे को देखने से स्पष्ट है कि इसमें तिजारत वाली बात नहीं है। इसलिये मैं आपसे बहुत नम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे लिये दोहरे पानी का प्रबन्ध कर दें और ४ फर्लांग वाला जो नियम है उसे खत्म कर दें। और कृषक बिजली की जितनी यूनिट प्रयोग करें उतना ही खर्च उससे लिया जाना चाहिये। हर पुराने कमान्डों में ऐसी जमीन आपको मिलेगी जो सिंचित नहीं हो पाती। क्योंकि उन ट्यूबवेल के कमान्डों में लगभग ७ सौ एकड़ रकबा है लेकिन वह आबपाशी ढाई सौ एकड़ से ज्यादा नहीं कर रहे हैं।

माननीय बाबूसिंह जी ने कहा भ्रष्टाचार है। है, परन्तु कहां पर है? सब से ज्यादा ठेकेदार पर है। क्योंकि ठेकेदार संबंधित कर्मचारियों तथा ओवरसियर को ओबलाइज कर देते हैं। हमारे जिले में एक छोटा-सा ड्रेनेज ग्राम सिलावर सिवका में है। चीफ साहब उसके बारे में भली प्रकार जानते हैं। सही तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ११ लाख रुपया उस पर खर्च हो चुका है और शायद ५ लाख रुपया और खर्च होने जा रहा है लेकिन, उसमें

कई ठेकेदार ६०, ६० हजार रुपया जमानतें देकर भाग गये। एक ओवरसियर का फ्रेश ऐप्वायंटमेंट हुआ वह पहले पैदल आये, फिर साइकिल पर, फिर मोटर साइकिल पर और अब कार पर चलने लगे। इसका यही कारण है कि योजना का अधिक धन तो हमारे ओवरसियर और ठेकेदार पर आता है और चीफ साहब और मंत्री जी को तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है परन्तु सबसे ज्यादा बदनाम चीफ साहब और मंत्री जी हैं। ज्ञात हुआ है कि योजना का ४ या ५ फीसदी धन ओवरसियर के लिये बहुत दिनों से तय है परन्तु अब ज्ञात हुआ है कि यह मात्रा १० फीसदी तक पहुंच गई है।

हमारे यहां ओसरे बन्दी के लिए आदेश जारी हुये, लेकिन उसमें यह अड़चन पैदा हुई कि विभाग के छोटे कर्मचारी को तरक्की देकर भेजा गया जो विभाग में बदमाशियों के साधन भली प्रकार जानता था क्योंकि वहां पर वह कर्मचारी पहुंचा जो अमीन से जिलेदार और जिलेदार से हो गये मैजिस्ट्रेट। उसने जो बात वहां की मैं तो चीफ साहब से और मंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि भाई इन मैजिस्ट्रेटों से तो कृषकों को बचाओ। मैजिस्ट्रेट आई० सी० एस०, पी० सी० एस० होना चाहिए परन्तु यह बिना डिग्री के मैजिस्ट्रेट कैसे हुये, कभी-कभी आप भी देख लिया करो, कुछ उनका वेतन बढ़ा दो और जरा उन्हें वहां ठीक से काम पर लगा दिया करो तो हम गरीबों का भला हो जाये। तो हमारे यहां यह हुआ कि ओसरेबन्दी होगी। पहले यह आदेश हुआ कि सिलसिले से ओसरा बन्दी होगी। ठीक है, भाई आरम्भ करो। फिर कहा, नहीं थोक के अनुसार, फिर आदेश हुआ गूल से राइट लेंगे और फिर कहा कि गूल से लेफ्ट लेंगे। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अंकुश अवश्य होना चाहिये ताकि कार्य ठीक प्रकार से चल सके। मैं ब्रिटिश राज्य की प्रशंसा तो नहीं करूंगा क्योंकि पराये तो पराये होते हैं, हमारा राज्य अच्छा है लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही हुई है। इस लिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आप भी और चीफ साहब भी बिना प्रोग्राम कभी दौरा किया करें, जैसे मन्त्री जी जब दौरे पर जाते हैं तो ८ दिन पहले से शोर मच जाता है, उससे उस कार्य की जांच नहीं हो पाती, बिना बताये दौरा होना चाहिये ताकि जांच हो सके कि काश्तकार को क्या जरूरत है तो बहुत काम चल जावें। यह देखा जाना बहुत जरूरी है कि काश्तकार को कब क्या जरूरत है। पलेवा का समय कब है और कोर का समय कब है, इसका ध्यान हमारे आफिसरों को रखना अतिआवश्यक है। हमारे जिले में देहरादून तक का पानी बह कर आता है, यदि हमारे यहां (जिला मुजफ्फरनगर) ड्रेनेज का प्रबन्ध हो जाय तो जनता को काफी सुविधा हो जाय। १५ जून से १५ अक्तूबर तक रेनी सीजन डिपार्टमेंट का होता है यदि विभाग बरसाती नालों की अप्रैल में सफाई कर दिया करें ताकि पानी निकल जाया करे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जो अनुदान पेश किया गया है वह इस कृषि प्रधान प्रदेश के लिये एक प्रकार से बहुत थोड़ा है लेकिन फिर भी प्रदेश के वित्तीय साधनों के देखते हुये जितना किया जा रहा है वह काफी है और उसके लिये हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं सिंचाई विभाग में जो कमी है और जिनके बारे में अधिक ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, उसी के सिलसिले में अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। उस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि हमारे जिले सुल्तानपुर में अब एक नहर डिवीजन में कायम हो गया है। पहले यह डिवीजन सुल्तानपुर जिले का प्रतापगढ़ और फैजाबाद डिवीजन में बंटा हुआ था जिससे उस जिले के काश्तकारों

[श्री उमादत्त]

को बहुत कठिनाई पड़ती थी। एक अलग डिवीजन कायम होने के बाद आज भी जिले का कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ और जौनपुर डिवीजन में बंटा हुआ है जिससे काश्तकारों को बहुत कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि वह भी इस जिले के डिवीजन में सम्मिलित कर दिया जाय।

(इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

दूसरी बात नलकूप के सम्बन्ध में निवेदन करना है। वहां पर एक असिस्टेंट इंजीनियर रहता है जिसका सम्बन्ध लखनऊ से रहता है तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि उसका सम्बन्ध भी उसी जिले के डिवीजन से कर दिया जाय। जब सिंचाई विभाग का एक डिवीजन चलता है और वहां पर एक्जिक्यूटिव इंजीनियर भी रहने लग गये हैं तो यह मुनासिब होगा कि उसको भी वहीं सम्मिलित कर दिया जाय। इससे किसानों का लाभ होगा और उनको वहां जो असुविधा होती है उससे वह बच जायंगे। यह मुझे डिवीजन के सम्बन्ध में निवेदन करना था। एक बात यह भी निवेदन करना है कि हमारे जिले में सिंचाई के साधनों की अभी तक कमी थी लेकिन अब काफी साधन हो रहे हैं और काफी सुविधा हर साल पहुंच रही है लेकिन उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जो माइनर खुले हुये हैं उनमें आखिर तक पानी नहीं पहुंचता है। उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी और चीफ इंजीनियर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ऐसे माइनर सुल्तानपुर जिले में कई हैं उन सबका नाम तो याद नहीं है लेकिन एक माइनर मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था। वह रिछौरा माइनर है वहां उसके आखिर तक पानी नहीं पहुंचता है। वहां के किसानों ने मुझको बतलाया कि वहां की यह हालत है कि पानी अन्त तक नहीं पहुंचता है। ऐसे माइनर किसानों के लिये बेकार साबित होते हैं। इसी प्रकार से बमनगवां माइनर है उसकी भी यही हालत है कि उसके आखिर तक पानी नहीं पहुंचता है। अगर थोड़ा बहुत पहुंचता भी है तो वह बहुत मुश्किल से पहुंचता है क्योंकि आगे उसकी जमीन ऊंची है। इस वजह से आगे पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक सरीसर माइनर है उसकी भी यही हालत है कि उसके आखिरी हिस्से में पानी नहीं पहुंचता है तो किसानों को बहुत तकलीफ होती है। अक्सर किसान ऐसा करते हैं कि वे एक बन्धा बना लेते हैं जिससे वहां पानी थोड़ा जमा हो जाता है लेकिन उस के आगे पानी नहीं पहुंचता है। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है। मेरे जिले की यह दशा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वहां पर नहरों को गहरा किया जाय जिससे आखिर तक पानी आसानी से पहुंच सके और किसान उससे लाभ उठा सकें।

एक बात पानी के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष ऐसा हुआ था कि नहर विभाग से पानी कम मिला जिससे रबी में ऊख की फसल खराब हो गई। पानी न मिलने की वजह से बहुत नुक्सान हुआ। किसानों के लिये यह आवश्यक है कि ऊख की सिंचाई के लिये उनको ६ पानी मिलना चाहिये। अप्रैल, मई और जून के महीने में ६ पानी मिल जाय तो किसानों को इससे बहुत लाभ हो सकता है। गत वर्ष उनको पानी नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी फसल नष्ट हो गई और उनका नुक्सान हुआ। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं और खासतौर से ट्यूबवेल की सिंचाई का कोई साधन नहीं है। कुछ नाले हैं जिससे आरपार जाना भी मुश्किल है। वहां पर कई गांवों में बड़ी उपजाऊ भूमि है लेकिन उनमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। मेटुवां ब्लाक, में अमेठी ब्लाक में और भादर ब्लाक में पानी के साधन नहीं हैं। भादर ब्लाक में भादर, पीपरपुर, भावलपुर और छोड़ा व इस्माइलपुर गांव ऐसे हैं कि जहां पर सिंचाई के साधन होना बहुत आवश्यक है। अमेठी ब्लाक में भी कोई साधन नहीं है, वहां पर ट्यूबवेल की आवश्यकता है। एक बात नहर के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि रामगंज रजबहा पर एक लहना, एक स्केप बना हुआ है। जब उससे पानी छोड़ते हैं तो नाले से रास्ता बन्द हो जाता है और नाले में पानी भरा रहता है। वहां पर

कोई पुल न होने की वजह से रास्ता बन्द हो जाता है। उसके ऊपर अगर पुल बना दिया जाय तो इससे बड़ी सुविधा होगी। उस पर पुल न होने की वजह से वर्षा में विशेषकर जनता को आने-जाने में बड़ी परेशानी है। बारहों महीने वहां पानी भरा रहता है। वहां पर एक पुल की अत्यन्त आवश्यकता है, मैंने इसके लिये कई बार लिखापढ़ी भी की, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां एक गांव अलीपुर है जो सकरसी माइनर के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। यहां पर भी एक पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रतापगढ़ के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को मैंने इसके लिये कई बार लिखा है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसे तुरन्त बनवाया जाय।

कुछ और स्थान हैं जहां पानी भरा रहता है। वहां पर ड्रेनेज की आवश्यकता है। करहवा तालाब, देहली मुबारकपुर तालाब, असरवन तालाब, लहिया से कन्हईपुर होते हुये मुकुन्दपुर तक एक ड्रेनेज की अवश्यकता है और लम्बुआ ब्लाक में परसरामपुर से खजुआ तालाब होते हुये अमरूपुर तक एक नाला खुदवाने की व्यवस्था की जाय। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा और सैकड़ों एकड़ जमीन खाली हो जायेगी और खरीफ में पानी डूबने से फसल बच जायगी।

हमारे यहां भदैय्या ब्लाक में सकवा एक गांव है, उसके पास एक नहर है जिसके कट जाने से अक्सर गांव का बहुत-सा भाग पानी से भर जाता है। रबी और खरीफ दोनों की फसलों को इससे बड़ा नुक्सान होता है। इस ओर भी ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)––

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां भ्रष्टाचार की ओर अभी इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया, मैं भी इस ओर कुछ निवेदन करूंगा। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री सिंघल, झांसी डिवीजन, कैनाल, भ्रष्टाचार के चार्ज में मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये, जबकि यहां की सरकार को उस के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यह बड़ी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और हमारे यहाँ के मंत्री जी को उस की कोई सूचना तक नहीं है। यह उस सरकार का काम था कि वे इस सरकार को सूचित करते। मध्य प्रदेश की पुलिस ने झांसी में भी आफिसरों के पास कोई इसकी सूचना नहीं भेजी। क्या यह शासन की ढिलाई का कारण नहीं है। आपका कर्त्तव्य था कि आप मध्य प्रदेश की सरकार से इस बारे में जानकारी कराते। आप वहां से वह सब कागज मंगायें और उनको देखें कि क्या बात है। जो चार्जेज लगाये गये हैं वे सही हैं भी या नहीं। इतना बड़ा स्टाफ होते हुये भी आप लोगों में इतनी शिथिलता दिखाई पड़ती है। इस मामले को मैं चाहता हूं आप पूरी तरह जांच करायें, चाहे तो सी० आई० डी० द्वारा करायें या और किसी जरिये से करायें। यह चीजें आपको बदनाम करने वाली हैं। दूसरे प्रान्त की सरकार आप के इतने बड़े कर्मचारी को गिरफ्तार करे और आपके कान पर जूं भी न रेंगे, यह बड़े अफसोस की बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। जो आपके नलकूप लगे हुए हैं वे सही जगह पर नहीं लगे हैं। इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। जहां सर्वे होता है, जहां पर नलकूप लगना चाहिये, वहां नहीं लगता है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लोग रुपया देकर नलकूप को दूसरी जगह लगवाने की कोशिश करते है। और वह रुपया लेकर वहां से शिफ्ट कर देते हैं। यह जनता के बड़े अहित की बात है। नालियों में भी इसी तरह से बहुत भ्रष्टाचार है, १० परसेंट सीमेंट उसमें मुश्किल से खर्च होता है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है, ५–७ साल हो गये मैंने सिंचाई कमेटी में भी कई दफा निवेदन किया लेकिन आज तक नालियां सही नहीं हो पाई। इसका कारण भ्रष्टाचार है। इंजीनियर, ओवरसियर वगैरह सब का कमीशन का परसेंटेज बंधा हुआ है, उसी की वजह से ठीक काम नहीं हो पाता है, और नालियां टूट जाती हैं। जैसा अभी एक साथी ने ईंटों के संबंध में कहा, ईंटें, नहर और ट्यूबवेल के निर्माण के लिये पास के भट्ठों से न लेकर दूर से मंगाई जाती हैं, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? इंजीनियर और ओवरसियर मिलकर इसमें कमीशन तय कर लेते हैं। अभी-अभी हमारे यहां दो साल पूर्व नहर शाख इटावा पर पुलजेड़ा बना था, उसमें दो दर बढ़ाये गये थे, २०–२५ हजार रुपया उस पर खर्च हुआ होगा, दो साल तक रास्ता रुका रहा, जनता को काफी परेशानी हुई, लेकिन अभी दो तीन महीने की बात है, वह टूट गया। तो क्या इसमें सीमट का ब्लेक नहीं किया गया? अगर न किया गया होता तो टूटने का कोई कारण नहीं था। जैसा बाबूसिंह जी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में इन्तजाम अच्छा था, तो जरूर ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि ५०–५०, ७०,७०, ८०–८० साल पहले के तीन दर के पुल बने हुए हैं और वह आज भी खड़े हुये हैं जबकि आपके विभाग द्वारा बनाये हुए दोनों दर दो साल में खत्म हो गये। इसका क्या कारण है, माननीय मंत्री जी इसको देखें। अपने यहां जो बरसाती नाले निकाले गये हैं उन पर भी पुलियां नहीं बनाई जा रही हैं, जिससे जनता को बड़ी परेशानी है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। सिंचाई कमेटी में भी हमने दो एक पुलियों की बात रखी थी, लेकिन आज तक उनका निर्माण नहीं हो पाया है।

दूसरी बात मैं सिंचाई की दरों के संबंध में कहना चाहता हूं, एक तरफ तो हमारी सरकार और जनता अन्न संकट से पीड़ित है, अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी के साधन बढ़ाये जाने चाहिए। मगर जो पानी उपलब्ध भी हैं, मैं इस को मानता हूं कि हमारी सरकार ने काफी पैसा खर्च करके काफी साधन सिंचाई के बढ़ाए हैं, लेकिन जनता उसका फायदा नहीं उठा पाती है। उसका कारण यह है कि एक तो नालियां वगैरह सही नहीं हैं, और दूसरे पानी वैसे ही काफी मंहगा है, नालियां सही न होने के कारण दो दो, तीन तीन रुपया बीघा तक पानी की कीमत देनी पड़ जाती है। इसलिए काश्तकार पानी लेने के लिये तैयार नहीं होता और साधन होते हुए भी फसल खराब हो जाती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई की दरें कम की जायं। यह जरूर है कि सरकार कहती है कि ट्यूबवेल घाटे में चल रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा सिंचाई विभाग व्यापार के लिये नहीं है तो आपका तो मुख्य उद्देश्य पैदावार बढ़ाना होना चाहिये। पैदावार बढ़ाने के लिये पानी की जरूरत है तो आपका कर्त्तव्य है कि सिंचाई की दरों को आप कम करें। हमारे यहां शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में सिरसा नदी की बाढ़ से हजारों बीघा जमीन नष्ट हो जाती है, जिसका कि प्लान ३–४ साल पहले गवर्नमेंट के पास आ चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक तरफ तो इतना अन्न संकट है, और दूसरी तरफ जो एरिया गरकी से पीड़ित है, उस तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते। एक नाला है, मछरिहा से कोंडर तक जो जाकर सेंगर नदी में गिरता है, सैकड़ों बीघे जमीन उससे डूब जाती है। दो तीन गांवों में बरसात में दरवाजे तक पानी रहता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये मैं माननीय मंत्री जी और बड़े-बड़े अफसरान से निवेदन करूंगा कि उनका जो सम्पर्क जनता से है, वह न के बराबर है। आप लोग दौरा करते हैं, तो डाक बंगलों में गये, अपने अफसरान से बातचीत की, देखाभाला और चले आये। मैं कहूंगा कि आपका यह कर्त्तव्य है कि देहात में जिस ट्यूबवेल या केनाल डिवीजन में आप जायं, वहां की जनता को पहले से सूचित करें और प्रधान वगैरह को इकट्ठा करके उनकी तकलीफों को उनसे पूछें, तब भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि नलकूप जो आपने लगाये हैं, वह ऐसी जगह लगाया जाना चाहिये था, जहां पानी की गहराई ज्यादा है, हमारे क्षेत्र में पानी १०-१२-१५ फुट गहरा है। तो वहां पर अगर लघु सिंचाई योजना की तरफ आप ध्यान देते तो हमको उससे अधिक लाभ कम पैसे में हो सकता था। तो आप लघु सिंचाई योजना के लिये अनुदान देकर हमारी मदद करें। हालांकि इस समय भी आप अनुदान दे रहे हैं, लेकिन वह न के बराबर है, अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दें तो हमारे क्षेत्र की काफी उपज बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात मई और जून के महीने में खाली खेतों में जो नहर का पानी चला जाता है, उसकी भी आबपाशी आप लगा देते हैं, यह काश्तकार के साथ ज्यादती है। आप कहते हैं, कि वह उन खेतों की जुताई करता है लेकिन यह तो मजबूरी में करता है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि खाली खेतों में जो इस तरह पानी चला जाता है, उसकी सिंचाई आप न लें। फसल के वक्त जो पानी काश्तकार को नहीं मिलता है, इससे काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इस लिए उस समय इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात माइनरों और रजबहों के जो कुलाबे आखिर में होते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंचता है। सारी फसल में एक पानी आप देते हैं। जब आप पूरी सिंचाई लेते हैं, और सिंचाई अच्छी नहीं होती तो इससे नुकसान होता है। कुलाबे बढ़ाने की जो स्कीम है, उसको गवर्नमेंट ही आगे बढ़ा सकती है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय।

*श्री रामलाल (जिला देवरिया)—

सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान सिंचाई के लिये पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के उस जिले का निवासी हूं जो समस्याओं की खान है, जहां पर हर साल बाढ़ आती है और ४ लाख एकड़ जमीन पर पानी फैल जाता है। एक-एक हफ्ते में १३-१३ इंच तक पानी बरस जाता है। केन्द्रीय सरकार के पटेल कमीशन ने जांच कर यह लिखा है कि अगर सरकार ने इस देवरिया जिले पर ध्यान नहीं दिया तो यहां जो गरीबी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ रही है, वह इस जिले को बरबाद कर देगी और यहां पर ऐसा अकाल पड़ेगा कि ५० प्रतिशत लोग मर जायंगे अन्न के बगैर। पटेल कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन सुझावों को जल्दी से जल्दी लागू करे।

बड़ी प्रसन्नता हुई पिछले साल सिंचाई विभाग ने नैपाल से बड़ी गंडक के करीब ५३ लाख रुपया खर्च करके बांध बांधा और देवरिया जिले की बाढ़ १/४ कम हो गई। कमीशन ने सरकार से सिफारिश की है कि छोटी गंडक जो लगभग १५० मील बहती है, अगर उसका प्रोजेक्ट स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य किया जाय तो ४ लाख एकड़ जमीन बच सकती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलाल]

है। ढाई करोड़ रूपये का खर्च किया है, जिससे ४ लाख एकड़ जमीन बचाई जा सकती है और दो फसलें उसमें से काटी जा सकती हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे छोटी गन्डक के प्रोजेक्ट को जिसके किनारे रेगुलेटर लगेंगे, बांध लगेंगे, अगर वहां दो-चार जगहों पर भी काम शुरू कर दिया जाय तो लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से बचाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि बड़ी गंडक की नहर देवरिया में चल रही है। वह पडरौना तक बनाई जा रही है २० मील तक। वहां से २० या २५ मील देवरिया तक जाती है। अभी तक उस पर सरकार यह निश्चय नहीं कर पाई है कि वह कच्ची बनाई जाय या पक्की बनाई जाय। बिहार के लोग एतराज कर रहे हैं कि कच्ची बनाई जाय। कच्ची नहर के बनाने में कितना नुकसान होगा यह सरकार के लोग जानते हैं। मैं यह चाहूंगा कि किसी भी हालत में वह कच्ची न बनाई जाय। वह नहर पक्की ही बनाई जाय। पक्की नहर बनाने से यह फायदा होगा कि लाखों एकड़ जमीन गरकी से बचाई जा सकती है और नहर की चौड़ाई भी ७०–८० फीट से ४०–५० फीट तक आ जावेगी।

एक बात श्रीमन्, मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन ने देवरिया में ५०० ड्रेनों की योजना बनाई है और १०५ योजनायें हैं। उनमें बहुत धीमा काम हो रहा है। वहां पर इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स की कमी है। जमीन लेने में भी कठिनाई होती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जल्द से जल्द जमीन एक्वायर की जा सके और जून तक जो काम प्रारम्भ होने वाला है वह शुरू हो जाय। हमारे जिले की हालत यह है कि हमारे जिले में सिंचाई केवल सात पर्सेन्ट जमीन पर होती है। अगर अनाज की पैदावार तिगुनी न बढ़ाई गई तो हमारा जिला खाने के बगैर मर जावेगा। श्रीमन्, हमारे जिले की आबादी और जिलों की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह आबादी २० लाख से २५ लाख तक हो गई है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवरिया जिले की तरफ अपना ध्यान दिया है। पटेल कमीशन की सिफारिश है कि जो नये कुएं और ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, और जिनमें काफी पैसा दिया जा रहा है, अगर वे बनें तो तीन या चार वर्षों के भीतर ही दुगुनी या अढ़ाई गुनी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। वहां पर कुओं के बनाने में दिक्कत यह है कि सीमेंट नहीं मिल रहा है। दूसरे रेवेन्यू विभाग के जो कागजात दस्तखत होने के लिये जाते हैं उनमें काफी देर हो जाती है। सरकार तहसीलदार को आदेश करें कि वे ऐसी दरख्वास्तों को जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया करें। श्रीमन्, एक और दिक्कत है कि ट्यूबवैल्स में बोरिंग के लिये बोरर्स नहीं मिलते हैं। सरकार इसकी भी व्यवस्था करे और दो तीन वर्षों के अन्दर देवरिया जिला पर, जो सबसे घना और गरीबी का जिला है और जो बाढ़ के लिये भी प्रसिद्ध जिला है, यदि सरकार ने और वहां की जनता ने ध्यान नहीं दिया तो वहां बड़ा भारी अकाल पड़ सकता है। इसके बाद सरकार ने जो अनुदान आज स्वीकृति के लिये पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुलतान सिंह (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बाढ़ की समस्या हर क्षेत्र की है। अगर आप समय पांच मिनट का रख दें तो सभी अपने सुझाव दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

पांच-पांच और सात-सात मिनट बोलें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि जिसके पास जैसी सामग्री हो उसको वैसा ही समय दिया जाय।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। मंत्री महोदय ने चैलेन्ज किया था। अभी मैं भ्रष्टाचार पर बोलने के लिये तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पास सुझाव बहुत हैं। मगर भ्रष्टाचार के बारे में मंत्री जी ने खुद कहा कि मिसाल बताइये। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं। आपके डिपार्टमेंट को जितना सीमेंट का कोटा मिलता है उसका ५० प्रतिशत ब्लैक में चला जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसको साबित कर सकता हूं अपने जिले में। आपके ट्यूबवेल विभाग में जिस रोज कुआं किसी गांव में रखा जाता है उसी दिन जिलेदार ५०० रुपया रखा लेता है। मिनिस्टर साहब या चीफ इंजीनियर साहब जो भी जानना चाहें मुजफ्फरनगर में मैं उनको बता सकता हूं। जहां तक सर्विस रोड गूलों का संबंध है। पहले उनके लिये एक फर्जी नक्शा तैयार करके लोगों को बताया जाता है फिर लोगों से रुपया ऐंठ कर उन्हीं को फिर सही जगह दिखा देते हैं। आपके विभाग में अजीब बाजीगर लोग हैं। जैसे देहात में बाजीगर एक रुपया के आठ रुपया बनाकर दिखा देता है और लोगों से रुपया ऐंठ लाता है उसी प्रकार ये आपके विभाग के अजीबो गरीब बाजीगर लोग हैं। एक काश्तकार को रात में पानी मिला। वह मेरे पास आया और कहा कि मेरा पानी दिन में करा दीजिये। मैंने कहा कि पानी तो दिन में भी मिलेगा और रात में भी मिलेगा। रात में तुम्हें मिला है तो रात में ले लो। वह चला गया और दूसरे रोज मेरे पास आया और कहा कि देख लो हो गया रात का दिन। मैंने कहा, कैसे? १०० रुपया दिया और रात का दिन हो गया। इस तरह से आपके विभाग में १०० रुपये में रात का दिन कर दिया जाता है।

और भ्रष्टाचार की मिसाल बताऊं। ६४ में डी० आर० ओज० का चुनाव हुआ था। आप फाइल मंगा कर देख लें आपके यहां दो जिलेदार हैं जमीलुर्रहमान और मोहम्मद नईम खां, वे सीनियर भी हैं और पासशुदा हैं, उनको डी० आर० ओ० नहीं बनाया गया। इसके अलावा श्री निवास शर्मा, तेजराम शर्मा और सोहनलाल शर्मा बहुत पुराने हैं, समझदार हैं और तजुर्बेकार हैं, इनकी कारगुजारी भी अच्छी है लेकिन इनको भी डी० आर० ओ० नहीं बनाया गया। इनकी जगह जैन्ती प्रसाद और जोगराज गुप्ता को बना दिया गया है। ये दोनों तजुर्बेकार भी नहीं हैं और पासशुदा भी नहीं हैं, ये नये हैं और इनकी कोई कारगुजारी भी नहीं है। इसके बाद समयाभाव से मैं भ्रष्टाचार के बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता।

इसमें कोई शक नहीं कि पानी बढ़ा है। लेकिन आपने जितनी आबपाशी मुकर्रिर की उस हिसाब से पानी नहीं बढ़ा। हमारे यहां जो जमन नहर चलती है उसको ही ले लीजिये। उसको ६–७ साल हो गये। इस नहर पर पुराना पुल था जो बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया। मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको चौड़ा किया जा रहा है। इससे पानी ड्योढ़ा हो जायगा। लेकिन ४७ से अब तक उसमें पानी की कमी हो गयी। पुल तोड़ा गया, लाखों रुपया बरबाद किया गया और पानी कम हो गया और रकबा बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा आपने नहरों के किनारे किनारे ट्यूबवेल लगाने की एक स्कीम बनायी थी और मेरा खयाल है कि अगली योजना में आप आठ हजार ट्यूबवेल्स लगाने जा रहे हैं। अतः इन कुओं की बहुत बड़ी संख्या आप नहरों के किनारे किनारे ही लगाइये और बाकी उन स्थानों पर जहां पर पानी की कमी है।

नहरों और ट्यूबवेल्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इंजीनियरों का कोई भी सम्पर्क काश्तकारों से नहीं होता। वे लोग शहरों में पैदा होते हैं, शहरों में ही तालीम

[श्री विजयपालसिंह]

पाते हैं और इंजीनियर हो जाते हैं। उनको कम से कम ३ महीने के लिये किसानों के बीच में रख दिया जाय। वे फावड़ा चलायें किसी झोपड़ी में रह कर। यह तो देख लेंकिन खेती कैसे की जाती है। फिर ऐसी बात न होगी कि पुल तोड़ कर बड़ा बनाया गया और पानी थोड़ा हो गया। ये सीमेंट के गोले जो ८ इंच और ९ इंच के गोल होते हैं उनको आप विकास समितियों को दे दीजिये और ५० परसेंट या ३० परसेंट या २० परसेंट छूट देकर किसानों से कहें कि वे उनको खरीद लें। जगह जगह जहां नालियां चलती हैं और पानी टूटता है, जिससे एक तरफ तो रास्ते खराब हो जाते हैं और दूसरी तरफ पानी भी जिसे खेत में जाना चाहिये, वह इधर उधर बिखर जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे पश्चिमी जिलों में इस तरह से जितना पानी आप ट्यूबवेल्स या नहरों के द्वारा हमें देते हैं उसका कम से कम एक चौथाई पानी गलत जगहों पर चला जाता है और बेकार हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आपकी नालियां अच्छी नहीं हैं, आपकी पुलिये का प्रबन्ध ठीक नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसकी फौरन जांच करवायें कि रास्ते में जहां कच्ची नालियां चल रही हैं वहां पुलियों की आवश्यकता कितनी है। अगर आप पुलियों को नहीं बनवा सकते हैं तो कम से कम आप सीमेंट के गोले ही उनको अनुदान के रूप में थोड़ा बहुत दे दिया करें ताकि उनको लेकर वे स्वयं उसका इन्तजाम कर लिया करें।

आज गूलों की भी एक बड़ी समस्या है। उसमें भी काफी भ्रष्टाचार चलता है। गूलों को बनाने के लिये जो ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार एक फुट के बजाय ९ इंच का कुछ ऊपर उठा कर ही बना देता है और उसका पैसा ठेकेदार व ओवरसियर की जेब में चला जाता है। इस तरह से करीब ३० प्रतिशत नालियां जिनकी ऊंचाई ९ इंच से नीचे रहती है, उनको ऊंचा होना चाहिये। नालियां खराब होने की वजह से पानी जमीन से कुछ ऊपर उठ कर बहता है जिससे पानी रास्ते पर इधर उधर बिखर जाता है। इस तरह से आज भी नालियों की बहुत कमी है। आप नालियों को पक्की बनाने के लिये कुछ अनुदान किसानों को दे दिया करें जिससे वे कच्ची नालियों को पक्की बना सकें। कच्ची नालियां बहुत पानी पीती हैं तथा वे टूट भी जाती हैं जिससे बहुत-सा पानी बर्बाद हो जाता है।

नालियों के बारे में मुझे आपसे एक बात और कहनी है। आपका एक जी० ओ० गया है कि नालियों की सफाई सरकार करेगी। लेकिन आप अपने जी० ओ० में यह भी लिखवायें कि चकबन्दी द्वारा जो नालियां बिलकुल खतम हो गयी हैं और काश्तकारों को नालियां नहीं मिलती ह और उनकी फसल बर्बाद होती है उन नालियों की जमीन के एलाटमेंट का अधिकार भी आप B. D. Os. को दे दें।

इसके अलावा एक प्वाइंट और भी है। माननीय मंत्री जी ने सिंचाई की सुविधा के लिये जो कुछ किया है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन जहां उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को ४–४ फर्लांग के फासले पर लगाने की योजना बनायी है वह सफल होने वाली नहीं है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपके द्वारा ४-४ फर्लांग वाली रोक लगाने के बाद भी एक एक फर्लांग के फासले पर मेरी जानकारी में ३० कुयें बने हैं जिनको मैं साबित कर सकता हूं और वे आगे भी बनते रहेंगे। आप इसके नाम पर किसानों को भले ही लूट लें या जो कुछ कहें कि यह टेक्निकल बात है, इससे पानी रुक जायगा, लेकिन यह चीज रुकने वाली नहीं है। हमारी तरफ एक कहावत है कि एक चौधरी पड़ोस के एक गांव में गया जहां हलवाई अपनी दूकान पर बैठा हुआ था चौधरी ने उसकी तरफ यह सोंच कर अपना डंडा उठाया कि शायद यह अंधा है जो इतनी मिठाई के होते हुए भी उसे खा नहीं रहा है। बाद में हलवाई ने उसको डंडे को उठाते हुए देख कर कहा कि यह क्या कर रहे हो, तो उसने बतलाया कि मैं समझ रहा था कि तुम अन्धे हो जो मिठाई नहीं खा रहे हो। फिर उसने हलवाई से कहा कि तुम मिठाई क्यों नहीं खाते हो। इस पर हलवाई ने कहा कि अगर मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरा नाश हो जायगा। इस पर

वह चौधरी मिठाई उठा उठा कर खाने लगा तो हलवाई ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, इस पर चौधरी ने कहा कि मिठाई को मैं इसलिये खा रहा हूं कि मेरा नाश हो जाय। इसी तरह से आपके इंजीनियर लोग भी कहते हैं कि अगर ट्यूबवेल का लगाना हम फ्री कर देंगे तो किसान बर्बाद हो जायेंगे और जमीन का बरबन्ड हो जायगा। श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आज तो ५०-१०० इंजीनियर हैं लेकिन हम किसान तो करोड़ों की संख्या में हैं, हम लोगों को बरबंड हो जाने दीजिये, लेकिन हमें इसकी इजाजत दीजिये कि हम जगह-जगह ट्यूबवेल्स बना सकें। ४-४ फर्लांग के फासले पर ट्यूबवेल लगाने की शर्त को हटा लीजिये। वर्ना इससे बड़ा भारी नुकसान हो जायगा।

साथ ही मेरे क्षेत्र में ऐसे तालाब काफी तादाद में हैं जिनकी गहराई बहुत कम है और उनमें से कई तालाब तो कई कई सौ बीघे जमीन को घेरे हुए हैं। अगर आप गांव पंचायतों को तकावी के रूप में या कर्ज के रूप में रुपया देकर उन तालाबों को गहरा करावें तो उससे सिंचाई हो सकेगी। तो आपकी सिंचाई का बहुत बड़ा साधन तालाब भी बन सकते हैं। एक बात यह कहनी है कि हर महीने बिजली की वसूलयाबी होती है प्राइवेट नलकूपों पर इसको हर ६ महीने कर दी जाय।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा पेश की गयी मांगों का समर्थन करती हूं। सिंचाई के साधनों पर ही खेती की पैदावार निर्भर है लेकिन हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। इसलिये यह जरूरी है कि इस कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाय।

सिंचाई के लिये जहां तक सम्भव हो नहरों का विस्तार किया जाय और जहां नहरें नहीं बन सकती हैं वहां नलकूप लगाये जायं। आगरे जिले के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बिजली लगायी गयी है जिसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। यह एक पिछड़ा हुआ इलाका है और इसमें सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। इस क्षेत्र में बिजली के नलकूप लगाये जायं। यों तो इस इलाके में हो कर आगरा नहर निकलती है लेकिन इस नहर में यहां तक आते-आते पानी बहुत कम रह जाता है जिससे किरावली तहसील के कुछ ही हिस्से में सिंचाई हो सकती है। खास कर किरावली तहसील के पश्चिमी क्षेत्र में जो राजस्थान से लगा हुआ है सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। यह अब तक सिंचाई से वंचित रहा है और केवल वर्षा पर ही निर्भर करता है। मेरा अनुरोध है कि आगरा नहर की फतेहपुर सीकरी वाली शाखा से एक माइनर निकाला जाय। यदि यह संभव न हो तो नलकूप लगाये जायं क्योंकि बिजली वहां तक आ ही चुकी है। इससे यहां की निर्धन ग्रामीण जनता को काफी आर्थिक लाभ होगा और अन्न की पैदावार बढ़ेगी।

इस आदरणीय सदन को यह मालूम होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ के पानी से हर साल काफी नुकसान होता है। खरीफ की फसल तो बरबाद होती ही है लेकिन रबी की फसल समय पर नहीं बोई जा सकती। इस सम्बन्ध में सरकार ने बाढ़ के पानी को निकालने के लिये कुछ योजनायें बनाई हैं लेकिन उन पर तेजी से अमल होने की जरूरत है। किरावली तहसील में बाढ़ का पानी भरा रहने से बड़ी हानि होती है। फतेहपुर सीकरी के आस-पास के क्षेत्र में हर साल बाढ़ का पानी भर जाता है जिससे खेती के बरबाद होने के अलावा बीमारी भी फैलती है। गरकी में रहने के कारण इस इलाके को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गत वर्ष सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यहां कुछ नाले निकालने के लिये जांच-पड़ताल की थी लेकिन खेद इस बात का है कि सरकार की बहुत-सी स्कीमें

[श्रीमती चम्पावती]

कागज पर ही रह जाती हैं और उन पर अमल नहीं होता। हमारी योजनायें तो ठीक ही बनाई जाती हैं और उचित धनराशि की भी व्यवस्था की जाती है लेकिन योजनाओं पर अमल करने में बड़ी ढिलाई रहती है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन योजनाओं को उत्साहपूर्वक तथा दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाय क्योंकि सिंचाई में पूर्ण विकास की आवश्यकता है। आशा है कि सिंचाई मंत्री जी अपनी योजनाओं को अमल में लायेंगे और अपने विभाग के अधिकारियों में भी तत्परता से काम करने की आदत डालेंगे ताकि सिंचाई के साधन तेजी से बढ़ सकें और उनका ठीक से उपयोग किया जा सके तभी उत्तर प्रदेश के किसानों का भला होगा और तभी हमारा प्रदेश अन्न के मामले में आत्म-निर्भर बन सकेगा।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह सभी का निश्चित मत है कि बगैर पानी के कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। सर्व प्रथम १९०७ में केन नहर से आबपाशी प्रारम्भ हुई और वहां बरियापुर बांध बनाया गया। फिर रंगवा और गंगऊ बांध बनाये गये। केन नदी पर इन तीनों बांधों से बांदा जिले की आबपाशी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी लेकिन इन तीनों बांधों में रेत आ गया है और रेत निकाला नहीं जा सकता है। इसलिये सरकार ने रनवा बांध के नीचे एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई है। उसका सर्वेक्षण भी किया है और सरकार को मैं भी लिख चुका हूं। यदि यह बांध बनाया जाय तो इससे मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की आबपाशी अधिक बढ़ सकती है। इसके लिये जरूरत है कि दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री, चीफ इंजीनियर तथा सिंचाई मंत्री मिल कर कोई निर्णय शीघ्र ही लें क्योंकि यह बांध मध्य प्रदेश में बनना है। यह बांध बन जायगा तो बांदा जिले का तथा मध्य प्रदेश का अधिक हित होगा। इस क्षेत्र की तहसील करवी, मऊ वगैरह में आबपाशी की कोई व्यवस्था नहीं है हालांकि जमीन उपजाऊ है। इन तहसीलों के लिये ट्यूबवेल अथवा छोटे-छोटे बांध बनाये जांय। करवी तहसील में एक बांध बनाने की योजना बन भी चुकी है और उसको मंत्री महोदय देख भी आये हैं। उसकी उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है लेकिन वह इस योजना के अन्तर्गत नहीं है। चतुर्थ योजना में वह बनाया जायगा।

नरैनी कालिंजर क्षेत्र में इसके अलावा भवानीपुर बांध तथा सगरा बांध हैं। इनके बन जाने से करवी तहसील के पाठा भट्ठा एरिया को अधिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा यहां पंपिंग सेट भी लगाये जांय क्योंकि बिजली वहां के करीब पहुंच गयी है। इससे भी पाठा भट्ठा क्षेत्र काफी सिंचित हो सकता है, आबपाशी बढ़ सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है।

इसके अलावा करवी तहसील में छोटे-छोटे बांध बनाये जांय। एक, दो छोटे बांध बनाये भी गये हैं। ये काफी नहीं हैं, इसलिये अधिक बांध बनाये जायं। एक बांध पैसुनी नदी के पास असुइया में बनाने की तजवीज है। इसको अविलम्ब बना कर पानी की कमी को दूर किया जाय। तहसील नरैनी में कोल्हुवा बांध की तजवीज है उसे भी जल्द बनाने की आवश्यकता है अगली योजना में। नहर की आबपाशी बहुत है उसे कम किया जाय।

बांदा जिले में नहर के चारों तरफ घिर जाने से बहुत-सा रकबा ऐसा है जो पानी में डूबा रहता है और इससे कृषि को नुकसान होता है। पानी निकालने के लिये सरकार तहसील नरैनी, पनगरा ग्राम से अनथुआ ग्राम तक नाला बनवा दे तो जो ४००, ५०० एकड़ जमीन पानी से भर जाती है वह बच जायगी, इसी तरह से बड़ाखेर, तहसील नरैनी के पूर्व में इसी तरह से पानी भरा रहता है। और थोड़ा-सा उस से खेती को नुकसान होता है, मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर भी कोई नाली बनवा दें। दूसरे नहरी क्षेत्र में जब फसल कट जाती है तो फतेहपुर, कानपुर

और बुन्देलखंड के सब जिलों में मवेशियों को छुट्टा या अन्ना छोड़ देते हैं लेकिन अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाना है और जमीन को चरने से रोकना है तो सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना होगा कि जिस से लोग मवेशियों को छुट्टा न छोड़ें ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप का समय समाप्त । अब श्री दलजीत सिंह बोलेंगे ।

श्री मतोलासिंह---

मैं भाषण देना नहीं जानता, कभी-कभी बोलता हूं, एक बात और मुझे कहने दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अब आप मंत्री जी को लिखकर भेज दें, अब आप बैठ जायं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

उपाध्यक्ष जी, अगर आप हमें बोलने की इजाजत न दें तो हम अपने सुझाव लिख कर भेज दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा करें, ठीक है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

जो न बोलना चाहें और लिख कर दे दें तो उस को कार्यवाही का पार्ट बना दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी, इस में आप को कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

हमें कोई एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, अगर लिख कर दे देंगे तो हम उसको कार्यवाही का भाग बना देंगे ।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय जे० पी० मिश्र के कथन को मान लेने पर और आप की व्यवस्था हो जाने पर कि जो कुछ माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो वह असेम्बली की प्रोसीडिंग का पार्ट बन जायगा तो अब चूंकि शासक पार्टी के सारे सदस्य मंत्री जी की पार्टी के ज्यादा नजदीक हैं, वह सब लिख कर दे दें यह ठीक है, लेकिन अब अच्छा हो कि आप उधर वालों को बोलने की इजाजत न दें और विरोधी पक्ष वालों को ही दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

लिख कर केवल सुझाव ही दिये जायेंगे और कुछ नहीं ।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण सिंह—

मेरा सबमिशन यह है कि उधर की पार्टी का तो पार्ट नहीं बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं नहीं, सब का बनेगा ।

श्री ऊदल—

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री जे० पी० मिश्र ने कहा कि सुझाव लिखकर भेज दें तो वह क्या असेम्बली की प्रोसीडिंग का भाग बन जायगा, आप ने मंत्री जी से पूछा, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और आपने उसपर अपनी भी स्वीकृति दी, लेकिन मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आपने किस नियम के अन्दर प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने की इजाजत दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अर्ज करूं । मैं जब लोक सभा में था तो वहां सदस्यों के सुझाव मानकर, लिखित सुझावों को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया था ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आप वह नियम तो बता दें कि कैसे आप कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो लोग अपने ३–३ सुझाव लिखकर भेज देंगे उनको कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायगा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

केवल जिन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा वह ३–३ सुझाव लिखकर भेज दें, वह कार्यवाही का भाग बन जायगा ।

श्री ऊदल—

आपने जो व्यवस्था दी है.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मुझे आजतक बोलने की इजाजत नहीं मिली, मेरी क्या गलती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

गलती केवल यह है कि आप ४३१ में से एक हैं ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह तो आप नई परम्परा डाल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह नई नहीं है, पुरानी है । यहां नई हो लेकिन लोकसभा में यह माना गया है कि लिखित सुझाव आने पर कार्यवाही का हिस्सा बनें हैं ।

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, जितने ये लोग बोल रहे हैं सब से अपने-अपने सुझाव लिखवा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जांय । देखिये जिन लोगों को मौका मिलेगा, वे तो बोलेंगे और जिनको मौका नहीं मिलेगा वे अपने ३-३ लिखित सुझाव देंगे । मेरी यह व्यवस्था है और ये इस प्रोसीडिंग के पार्ट बन जायेंगे ।

श्री ऊदल--

मैं, श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के अनुसार आप यह व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, आपकी गलत व्यवस्था है और इस व्यवस्था के खिलाफ मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री ऊदल सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री दीपनारायणसिंह--

आप सब को समझना चाहिये कि बहुत बढ़िया रूलिंग है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जो व्यवस्था आपने दी है वह किस नियम के अन्तर्गत दी है ? कृपया इसको बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब समय कम होता है और हम चाहते हैं कि किसी विषय पर ज्यादा से ज्यादा विचार आ जायं तो उसके लिये यही तरीका है कि सब को मौका मिल जाय कि अपने-अपने विचार और सुझाव रख सकेंगे । लोक सभा में भी यह व्यवस्था हुयी है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, जो व्यवस्था आपने दी है वह शिरोधार्य है कि माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे दें जिनको समय नहीं मिला है । और वह प्रोसिडिंग का पार्ट हो जायगा चाहे इधर के माननीय सदस्य सुझाव दें या उधर के माननीय सदस्य सुझाव दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

केवल सुझाव और वह भी केवल ३-३ , इससे अधिक नहीं ।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, मैं जहां तक जानता हूं, गत १३ वर्ष में ऐसा नहीं हुआ है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में दिया हुआ है या हमारे नियमों में है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपसे निवेदन किया है कि लोक सभा म मेरे सामने हुआ और मैंने सुझाव दिया और वह पार्ट बन गया।

श्री मुलतानसिंह—

श्रीमन्, वैसे तो आप ५ मिनट देते हैं लेकिन सुझाव तो ५० दिये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

आज शाम तक इन अनुदानों पर डिबेट होगी और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है वे केवल ३ सुझाव लिख कर दे देंगे हमारे दफ्तर में और वे इसके पार्ट बन जायेंगे।

श्री झारखण्डेराय—

क्या यह व्यवस्था आज के लिये है, या प्रति दिन के लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल आज के लिये है। सिंचाई के मामले में बहुत से लोग इन्टेरेस्टेड हैं, बहुत लोग बोलना चाहते हैं। सब को मौका नहीं मिल सकेगा, तो जिनको मौका नहीं मिलेगा वे अपने ३-३ सुझाव दे दें।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, यह तो आप नया इतिहास बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था अच्छी है, बुरी नहीं है। इससे फायदा ही होगा।

श्री भगवानसहाय (जिला बिजनौर)—

सवाल यह है कि आपकी व्यवस्था नियमानुकूल होनी चाहिये। अगर हमारे नियमों में कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि हम लिखकर सजेशन दें जो प्रोसिडिंग का पार्ट बन जाये तो जरा आप गौर करें कि आपकी जो व्ययस्था है वह नियमों के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाजहांपुर)—

आप कृपया उस नियम को बतलाने की कृपा करें कि कौन से नियम के हिसाब से मंत्री जी को दिये गये सुझाव प्रोसीडिंग के पार्ट बन जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। मंत्री को नहीं, हमको सुझाव दिये जायें।

श्री भगवान सहाय—

अच्छा, वही बता दीजिये कि किस नियम के अनुसार आपको दिये गये सुझाव प्रोसिडिंग के पार्ट बनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय झारखंडे राय जी के एतराज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रक्रिया नियमावली . . .

श्री बांकेलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब एक व्यवस्था दे दी तो उसको शिरोधार्य करना चाहिये । अब माननीय कल्पनाथसिंह कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं प्रक्रिया नियमावली के पृष्ठ ३३ की तरफ माननीय राय जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ लिखा है, नियम ११३–बिना सूचना के प्रस्ताव के अन्तर्गत उप नियम ६ 'किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव' और उप नियम ८ 'किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव' । तो इसको देखने से यह स्पष्ट है कि यह बिना सूचना के भी आ सकता है । इस प्रकार यह सदन इस बात का प्रस्ताव करने के लिये और इसको पारित करने के लिये सक्षम है और जैसी आपने व्यवस्था दी लिखित सुझावों के बारे में तो वे प्रोसीडिंग के पार्ट बन सकते हैं । मैं समझता हूं आपकी व्यवस्था बिलकुल ठीक है और सभी को शिरोधार्य करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

४–४ साहब खड़े हैं, यह कौन सी व्यवस्था है ? विजयसिंह जी आप बैठ जाइये ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इस व्यवस्था के लिये जिसको आपने आज के लिये रखा है सदा के लिये रखा जाय, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां आगे भी आती रहेंगी ।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी सुविधा के लिये एक नियम कोट कर रहा हूं । नियम ३०२ में दिया हुआ है असेम्बली के बारे में । उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि लिखित सुझाव प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है । जब नहीं है तो वहां पर आपकी व्यवस्था ही नियम बन जायेगी और उसके अनुसार लिखित चीजें भी प्रोसीडिंग का पार्ट बनेंगी । समय बचाने के लिये आपने व्यवस्था दे दी है, वह ठीक है, उसे चलने दिया जाय ।

*श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य समयाभाव के कारण आज की कार्यवाही में भाग न ले सकें, वे यदि अपने तीन लिखित सुझाव मुझको भेज दें तो वे कार्यवाही के भाग माने जायंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर न तो किसी ने कोई प्रस्ताव रखा न आपने इसे पास कराया, यह कैसे हो सकता है ?

श्री भगवान सहाय--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। मैं यह जानना चाहता हूं, बस आप एक मिनट सुन लें, कि आपने अभी जो वोटिंग ली वह इस बात पर ली कि आपकी व्यवस्था के कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। तो क्या अब आपकी व्यवस्था वोटिंग से तय होगी ? और हर व्यवस्था पर वोटिंग कराई जायगी ? चेयर से दी गयी व्यवस्था क्या सब्जेक्ट आफ वोटिंग है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने वह प्रस्ताव रखा था....

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव किया था।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आपने प्रस्ताव पेश किया था मैंने उसको रखा था और उस पर वोटिंग हुई और पास हो गया। अब उसपर टाइम बरबाद करने से क्या फायदा ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री दीपनारायणसिंह--

आपकी व्यवस्था के बाद सदन ने भी निर्णय दे दिया, उसके बाद जो आप लोग प्रश्न उठाते हैं, वह तो किसी भी प्रकार प्रोसीडिंग्ज का पार्ट नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री लखपतराम शर्मा के खड़े होने पर) शर्मा जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा--

आपने मुझे दो बार समझा दिया और अब आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ। यह तो ठीक नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, यह सुन करके कि आपने ऐसी व्यवस्था यहां पर दी कि जो माननीय सदस्य न बोल सकें वह अपने सुझाव लिखकर दे दिया करें और वह प्रोसीडिंग्ज का पार्ट हो जायगा।

---

*लिखित सुझावों के लिय देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४७४–४८५ पर।

श्री उपाध्यक्ष--

केवल सुझाव और वह भी आज के लिये ही है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

तो नियम की बात तो दूर रही, थोड़ा सा विवेक से भी काम लें तो इसका परिणाम मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह होगा कि किसी माननीय सदस्य को सदन में बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, यह बात नहीं है, केवल सिंचाई के मामले में जो सुझाव हों और जो माननीय सदस्य न बोल सके हों वे अगर तीन सुझाव लिखकर भेज देंगे तो वह पार्ट हो जायेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं चाहता था कि आप उसमें संशोधन कर दें कि बजाय आपके माननीय सदस्य अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देते और वे उस पर आपकी आज्ञानुसार कार्यवाही करते तो अच्छा होता । श्रीमन्, यह पार्लियामेंटरी पद्धति के बिलकुल विरुद्ध जायगा । यद्यपि आपकी व्यवस्था हो गयी है लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि इस प्रकार सदन का कार्य कैसे चल सकता है ? कोई भी माननीय सदस्य घर बैठे अपनी स्पीच लिखकर भेज देंगे और वह कार्यवाही का पार्ट हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्पीच के लिये नहीं है, स्पीच पार्ट नहीं बनेगा । यह किसी ने नहीं कहा है कि वह पार्ट हो जायगा । केवल यह बात है कि सिंचाई के मुताल्लिक अपने जिले के मुताल्लिक अगर कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वह दे दें, वह पार्ट बन जायगी ।

श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)--

तीन साल के बाद.....

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो यह व्यवस्था दी है वह आपने मजाक में दी है या गम्भीरता से है ?

श्री उपाध्यक्ष--

गम्भीरता से है ?

श्री झारखण्डेराय--

मेरा एक निवेदन है, मान्यवर,.....

श्री दीपनारायणसिंह--

माननीय बलवानसिंह ने जो सदन में अभी आपसे प्रश्न किया कि आपने यह निर्णय गम्भीरता से दिया है या मजाक में, आप उसे प्रोसीडिंग्ज का पार्ट न बनने दें ।

श्री झारखण्डेराय--

मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो व्यवस्था आपने दी है और उसकी व्यवस्था पर वोटिंग करा लीं ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो निर्णय दिया था उसपर सदन का मत भी व्यक्त हो गया। मैं फिर इस संबंध में बता दूं कि जो साहब आज सिंचाई के मसले पर न बोल सकें और जिनको टाइम न मिले, वे अपने सुझाव भेजे दें, मेरे दफतर में रख दें और वह तीन सुझाव तक कार्यवाही का पार्ट बन जायंगे। लोक सभा में भी इस प्रकार का निर्णय हो चुका है और मैं जानता हूं कि वह सही है.....।

श्री झारखण्डेराय—

जहां तक हम लोगों की जानकारी है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिये थी और उस व्यवस्था पर जिस प्रकार से आपने वोट लिया वह भी मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कभी हुआ है। मेरा सुझाव यह है कि आप अगर लिखकर लेंगे तो वह भी देंगे और हम भी देंगे। इससे नुकसान नहीं है और तरीका आसान हो जायगा, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह पार्लियामेंटरी सिस्टम के खिलाफ जाता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर अभी कार्यवाही रोक दें और अध्यक्ष महोदय से राय लें ले और दूसरे लोगों की राय भी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब निर्णय हो गया है और इसको चलने दीजिये।

(व्यवधान)

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने जो आदेश दिया वह यह है कि जो सदस्य यहां पर सदन के चलते रहने तक बोल न पायें और अगर वे कोई सुझाव लिखकर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर वह कोई सुझाव देंगे तो हम उनको कंसीडर करेंगे। वैसे भी कोई सुझाव आता है तो हम उसके ऊपर गौर करते हैं और अब अगर आयेंगे तो हम जरूर गौर करेंगे और गौर करने के बाद जो उचित कार्यवाही होगी करेंगे। आपने जो हमारी विधान सभा में यह कुछ और अधिक सुविधा और सहूलियत माननीय सदस्यों को दी वह दो तरह की हो सकती है। एक तो यह कि सारे सदस्य हमको लिखकर दे दें और यदि हमको न दें तो आपको दे दें, जैसे कि और प्रस्ताव आदि दिये जाते हैं। जिस समय वह आपके दफ्तर में पहुंच गये तो वह आपके दफ्तर का हिस्सा हो गये। चाहे तो वह अपनी मारफत भेज दें या अपने पास रखें। आपने बतलाया था कि तीन प्रति दे दें जिसके लिये कहा गया कि बहुत अधिक सदस्य लिखकर दे दें और वह बड़ा भारी काम हो जायगा। जो हमारे पास सुझाव आयेंगे उनको हम गौर करेंगे। इसमें बहुत भारी काम का प्रश्न नहीं है। हमारे पास जो सुझाव आयेंगे उन पर गौर किया जायगा। इस समय जो आपने व्यवस्था दी है उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

एक बात यह है कि इसमें जो मत लिया गया वह कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव पर लिया गया। अगर हमारे हाउस का यह सेंस है कि इसको स्थगित करके ले लें, वह प्रस्ताव मानकर कल्पनाथ सिंह जी ने बात कही। और सभी लोग अगर यह चाहते हैं तो इसको भी मान लें। अगर वह आपको न देकर मुझे ही दे दें तो जो सुझाव दिये जायेंगे हम ईमानदारी के साथ उन पर गौर करेंगे। जो उचित कार्यवाही होगी वह जरूर करेंगे। मैं समझता हूं अब सदन का कार्य आगे चले।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपने व्यवस्था दी है वह अव्यावहारिक है। एक तो मेरी आपत्ति यह है कि कोई व्यवस्था एक दिन के लिये नहीं हो सकती। आप बारबार यह कह रहे हैं कि यह आज के लिये है। दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जब सदस्य आपके दफ्तर में सुझाव देंगे तो मैं समझता हूं जो लोग प्रोसीडिंग्स लिखते हैं वह बेचारे क्या करेंगे? आप कैसे भेजेंगे इसको प्रोसीडिंग का भाग होने के लिये? तीसरी बात यह है कि आपने बिना प्रस्ताव के इस पर वोट कराया जो नियम के अनुकूल नहीं है? उसका प्रस्तावक कौन था? (व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र—

(व्यवधान के बीच) मैंने प्रस्ताव रखा था....

एक सदस्य—

मैंने समर्थन किया था ।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था । हाउस में बिना किसी प्रस्ताव के वोट लिया गया है । यह सारी व्यवस्था अव्यवस्था है । इसलिये आप इस पर पुनः विचार करें । केवल आज के लिये आपकी यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी । आप सदन का समय और क्यों नहीं बढ़ा देते ? जो आज आपने व्यवस्था दी है यह गलत परम्परा होगी, और नियम के विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

ीमन्! आपकी व्यवस्था पर टीका नहीं होना चाहिये । यह सदन का अवमान है ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं मान्यवर, आपसे निवेदन कर दूं कि माननीय मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा था कि जो नहीं बोल सकते उनको क्या आप यह परमिट करेंगे कि वे सुझाव दे दें और आप कार्यवाही में जोड़ दें ? ो आपने यह कहा कि आज के लिये वह हो जाय । प्रक्रिया नियमावली के नियम ३०३ में भी यह है—"सचिव सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेगा तथा उसको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेगा ।" तो आपने यह निर्देश दे दिया, वह आज के ही लिये है, यह ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

फिर आपने अपनी व्यवस्था पर वोट क्यों लिया ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, वैसे तो सदन को यह अधिकार है कि वह जो भी प्रस्ताव चाहे पास करा ले । वह इस सदन की कार्यवाही का भाग भी बन जाय । आपने मान्यवर, लोक सभा की रूलिंग की तरफ भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा ही नहीं, वरन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कोई मेम्बर चाहे बोले चाहे न बोले, केवल सुझाव दे दे लिख कर और वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन जायें । मैं आपकी व्यवस्था के बारे में नहीं कहना चाहता, मगर यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि आप इस पर पुनः विचार कर लें और उसके बाद ऐसी परम्परा डालें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपना मत दे दिया है, आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)]

श्री दलजीतसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने ३ साल के बाद आज मुझे बोलने का अवसर दिया । मुझे खेद है कि आज जब मैं बोलने के लिये पहले पहल खड़ा हुआ तो

[श्री दलजीतसिंह]

माननीय मित्रवरों को कुछ आपत्ति हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जनता की कुछ कठिनाइयां पेश करना चाहता हूं। मेरा जिला बहराइच उपरहर का जिला है जहां बिला सिंचाई के साधन के खाद्यान्न उत्पन्न नहीं हो सकता। कुछ राजकीय ट्यूबवेल जो बनाये गये हैं, उनकी समस्या भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। अधिकारी नालियां ठीक तरह से मेनटेन नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्यूब वेल लगावें और एक सरजू कैनाल की योजना जो बन रही थी, वह अगर मुमकिन हो जाय, तो उससे हमारे जिले को बहुत लाभ होगा। मेरे यहां की जनता गरीब है, बिला सिंचाई के साधनों के खाद्यान का उत्पादन करना असम्भव है। दो-चार साल पेश्तर हमारा जिला बचत का जिला कहा जाता था, लेकिन पारसाल से कुछ दैवी आपत्तियों के कारण वह बचत का जिला न रह करके कमी का जिला हो गया। खेती का जो मुख्य साधन सिंचाई है, वह किसानों के पास न होने के कारण खाद्य उत्पादन की पूर्ति न हो सकी। हमारे यहां कुछ ट्यूबवेल की नालियां ऐसी हैं, जो ऊंची और नीची हैं, जिससे वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। कर्मचारियों से कहने पर भी वह लोग असावधानी से काम करते हैं, लिहाजा उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

माननीय बाबूसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या बजट की कार्यवाही बिना किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के चलाई जा सकती है? इस समय हाउस में कैबिनेट रैंक का कोई भी मंत्री नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

गिरधारी लाल जी थे, वह अभी-अभी गये हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस प्रकार की बात जो कही जाती है, वह माननीय सदस्य की ना जानकारी के कारण होती है। अगर आप नियम को पढ़ेंगे तो 'मिनिस्टर' में 'डिप्टी मिनिस्टर' इन्क्लूड होता है। फिर मिनिस्टर साहब अभी अभी गये हैं, लेकिन उपमंत्री जी तो (शांतिप्रपन्न शर्मा) बैठे ही हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इनके कहने का मतलब यह है कि यह अहमियत सिंचाई के इस मसले को दी जा रही है कि एक भी मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है, यह कितने दुर्भाग्य की बात है?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ऐसी बात नहीं है। वह यहां थे, अभी-अभी चले गये हैं।

श्री जे० पी० मिश्र--

विरोधी दलों के नेता कितने हैं इस समय इस सदन में, यह भी जरा देख लें? कितनी दिलचस्पी इनकी सिंचाई में है यह इससे मालूम हो जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता झारखंडे राय जी बैठे हैं और एक इनके उपनेता बठे हैं, बाकी कोई नेता या उप नेता यहां मौजूद नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, अपोजीशन के उपनेता मौजद हैं, लेकिन आपके उप-नेता कहां मौजूद हैं, यह बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये, वह कोई बात नहीं है ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय में माननीय बाबूसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि उनके विभाग में जो यह रुपया खर्च के लिए मांगा गया है उसका ६० फीसदी ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियरों की जेबों में जायगा । यह भ्रष्टाचार का नमूना है । और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । मैं कहता हूं कि स्वयं मंत्री जी ही भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर से ४०० बोरा सीमेंट पकड़ा गया (व्यवधान) शर्मा जी, आपके घर से नहीं, मंत्री जी के घर से, चौधरी गिरधारी लाल जी के घर से चार सौ बोरा सीमेंट पकड़ा गया । ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भ्रष्टाचारी हो, उसको उसके विभाग में भ्रष्टाचार कैसे दिखाई देगा ? भ्रष्टाचार का प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं । शर्मा जी बेचारे डिप्टी मिनिस्टर हैं अगर उनसे उनके विभाग के बारे में कोई शिकायत की जाय, तो कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरा तो वश चलता नहीं और यहां बहस का जवाब देने के लिये वे बैठे हुए हैं, जबकि कोई दूसरे मंत्री को यह विभाग सुपुर्द है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी सुबह के वक्त अध्यक्ष जी ने एक मशविरा दिया था, इस तरफ के सदस्यों को भी और उस तरफ के सदस्यों को भी कि जब तक उनके पास इस तरह के मजबूत प्रमाण न हों किसी के बारे में तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का लांछन अनुमान के आधार पर न लगाया जाय । सुबह ही अध्यक्ष जी कह गये हैं और श्रीमन्, कोड आफ कान्डक्ट के लिए उन्होंने तय किया है कि सब नेताओं के साथ बैठकर वह स्वयं बात करेंगे । तो मैं इस बात के ऊपर आपत्ति प्रकट कर रहा हूं । अभी माननीय सदस्य ने चौधरी साहब के ऊपर अनर्गल, बगैर सबूत के प्रमाण रहित जो लांछन लगाया है, उसको आप प्रोसीडिंग से डिलीट करा दें ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रमाण इसका हमारे पास है । हमारे पार्टी के एक व्यक्ति ने कलेक्टर को भी लिखकर दिया है कि चौधरी गिरधारी लाल जी के खिलाफ जांच की जाय, उनके घर से ४०० बोरा सीमेंट निकली थी, लिखकर दिया गया है, उसकी कोई जांच नहीं हुई । मेरे पास प्रमाण है, उनके घर से सीमेंट पकड़ी गई है, इसकी जानकारी चौधरी गिरधारी लाल जी को भी है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि सच्चाई के साथ कह रहा हूं । सीमेंट पकड़ी गई, और ऐसा व्यक्ति यह कहे कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है यह हम कैसे मान सकते हैं, जब तक कि इसकी जांच न हो जाय और वह जांच सदन की मेज पर न रखी जाय ? यही नहीं, महानगर में सिंचाई विभाग के सीमेंट से दो-दो कोठियां इन्होंने खड़ी की हैं और सिंचाई विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार उसमें काम किये हैं, इसकी जांच होनी चाहिये । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी अविलम्ब जांच कराये । एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आज ६ महीने से यह मामला

[श्री उमाशंकर तिवारी]

पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है। उसके बाद कहा जाय सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। सिंचाई विभाग के मंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी हैं तो उनके विभाग में भ्रष्टाचार कैसे न होगा ?

श्रीमन्, इसके बाद मैं सिंचाई विभाग की कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां के ७५ या ८० प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। इसीलिये सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्रधानता दी है। हमारी पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें तो बीत गईं और तीसरी पंचवर्षीय योजना बीतने जा रही है। चौथी प्लान की रूप-रेखा भी बन गई है, परन्तु सिंचाई के साधन नाममात्र हैं। खेतों की ठीक से सिंचाई न होने से आज भी गल्ले के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बन सके हैं। यहां होता यह है कि योजनायें बनती हैं और फिर बिगाड़ी जाती हैं। लाखों रुपया सर्वे और नाप में ही खर्च हो जाता है। इस के बारे में मैं दो, तीन बातें बताना चाहता हूं।

हमारे जिले में कटवा और गौरी ताल हैं। पुराने जमाने में ये बंधियां थीं जिनसे सिंचाई का काम लिया जाता था। सन् १९५२ से इनके पानी की निकासी की योजनायें बन रही हैं और हर साल उसका सर्वे होता है। कुछ समय बाद जब अधिशासी अभियंता बदल जाता है और दूसरा उसके स्थान पर आ जाता है, उसमें जो ठेकेदार ओवरसियर और जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, सब रुपया व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वे सब की सब योजनायें खटाई में पड़ जाती हैं। इन योजनाओं के लिये जिला परिषद् में सिंचाई समिति में तथा विकास खंडों में हर साल प्रस्ताव पास होते हैं। पानी की निकासी न होने से हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। अगर इन सुझावों को लेकर मंत्री जी के पास जायं तो मंत्री जी कहते हैं कि किस जात के लोग हैं जिनको नुकसान हो रहा है ? यह हालत है हमारे सिंचाई मंत्री की। वे तो श्रीमन्, शराब के नशे में मस्त रहते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं। सरकार ने ऐसा सुझाव मुख्य विभाग ऐसे आदमियों के कन्धों पर दे दिया है यह बिल्कुल उचित नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वे तुरन्त इस विभाग से त्याग-पत्र दे दें जब तक कि उनके कारनामों की जांच पूरी न हो जाय।

एक बात और है कि जहां नहर बन गई और वहां कुलाबा नहीं, वहां भी रात-दिन रेट की ही पर्चियां बांटी जाती हैं। दरख्वास्तें दी जाती हैं तो कहा जाता है कि जांच होगी, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं है। श्रीमन्, इसके अलावा मैं इस सम्बन्ध में कानपुर जिले का एक उदाहरण पेश करता हूं। कानपुर जिले में जब नगरमहापालिका बनी तो १५० के ऊपर गांव नगर महापालिका में चले गये। महापालिका के अन्तर्गत गांवों की सिंचाई होती थी। इस सम्बन्ध में सरकार से लिखापढ़ी की गई तो उन्होंने कहा कि हम उसी हिसाब से रेट चार्ज करेंगे जैसा पहले लिया जाता था। वहां का रेट था साढ़े सात रुपया प्रति बीघा, परन्तु उनसे १५ रु० प्रति बीघा के हिसाब से मांगा जा रहा है। कोई पुरसां हाल नहीं है। यहां तो कोई कानून नहीं, मुगलाई सल्तनत है। यहां जो बादशाह के मुंह से निकलता है वही कानून बन जाता है। जहां साढ़े सात रुपया बीघा है वहां १५ रुपया प्रति बीघा लिया जा रहा है। गोरखपुर के एक सिंचाई अभियंता और उसके भ्रष्टाचार का एक पर्चा छपा हुआ है। इस के सम्बन्ध में तो असेम्बली में सवाल भी किया गया था। इस बारे में हमने सिंचाई मंत्री से भी कहा था, परन्तु उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। वे इंजीनियर महोदय मंत्रियों के आगे दौड़ धूप कर लेते हैं और उनका कुछ नहीं होता है। एक पर्चा मैं आपके सामने पेश करता हूं। यह है—"गोरखपुर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार—छितौनी बांध, देवरिया में लाखों रुपयों के गबन के कारण सुपरिन्टेन्डिंट इंजीनियर के वि द्ध जनता में असंतोष।"

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है। आप बैठ जाइये। (श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा परचा पढ़ने पर) आप बैठ जाइये, यह नहीं लिखा जायगा। माननीय रामबलीसिंह, आप बोलिये।

(श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा पुनः पर्चा पढ़ने पर) यह रिकार्ड में नहीं आयेगा। आप बैठ जाइये।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में और विधान सभाओं में विरोधीदलों का एक बहुत बड़ा स्थान होता है लेकिन मैं प्रायः देखता हूं कि रोजमर्रा हमारे यहां विरोधीदल एक न एक व्यक्तिगत बात उठाकर उछलकूद मचाता रहता है। आज भी मैंने देखा कि हमारे माननीय उमाशंकर जी जो कि एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और असेम्बली के बहुत पुराने सदस्य हैं, उन्होंने एक व्यक्तिगत बात उठाकर ऐसा तूमार पैदा किया जो यहां की शोभा के अनुकल नहीं था। उनको चाहिये था कि अगर वैसी बातें हैं तो उनके लिये वे किसी न्यायालय में जाते या उनके खिलाफ हमारे मुख्य मंत्री जी को लिखते। किसी भी माननीय सदस्य या किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर ऐसी बात होगी तो सरकार के द्वारा उसकी अवश्य जांच की जायगी।

अब मैं कुछ सुझाव अर्पित करना चाहता हूं। जो नहरें अथवा नाले किन्हीं दो गांवों के बीच में से जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके ऊपर पुलिया नहीं होती, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। सुल्तानपुर जिले में शारदा नहर के ऊपर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ४–५ फर्लांग तक कोई पुलिया ही नहीं है, इससे बड़ी दिक्कत होती है, घूम कर जाना पड़ता है। इंजीनियर साहब से उनके बारे में कहा लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो आजकल ड्रेन बनायी गयी हैं उनके दोनों ओर भी ऐसे स्थान हैं जहां एक ही आदमी के खेत इधर और उधर हो गये हैं लेकिन फिर भी कोई पुलिया नहीं बनायी गयी है।

सुल्तानपुर जिले में समरथपुर ड्रेन की खुदाई हुई थी। एक बहुत गहरा तालाब था जिसमें बरसात में पानी भर जाता था। उस ड्रेन के खोदने से तो और भी ज्यादा पानी भरने लगा है। ब्रहमौली, नरसड़ा आदि ग्रामों में पानी भर जाता है और गांव डूबने लगते हैं।

कई बार मैंने वहां के इंजीनियर महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तो उन्होंने कहा कि जहां तक खुदाई की योजना हमारे पास थी वहां तक हमने खुदाई कर ली, इसके बाद हमारे पास खुदाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वहां पर धन की कमी है तो स्पेशल तरीके से आप आर्डर दें और उस तालाब को खोद कर नदी में गिरा दें तो हमारे दो, तीन गांव पानी में डूबने से बच जायं। भूमैनी में हर साल बरसात का पानी भर जाता है और वह पानी रेलवे के पुल से नहीं निकल पाता और इस तरह से हर साल बरसात में वहां एस० डी० ओ०, एस० पी०, तहसीलदार और थानेदार पहुंचते हैं और रेलवे लाइन की पुलिया के ३ ईंटे निकाल कर उस भरे हुये पानी को निकालते हैं, और जब बरसात खतम हो जाती है तो फिर रेलवे वाले आकर उस पुलिया को बन्द कर देते हैं। हर बरसात में उसकी यही हालत हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और उनके कर्मचारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देकर आप उस पुलिया को जरूर गहरा करावें ताकि वहां के किसानों को राहत मिले और वहां के खेत तथा गांव डूबने से बच जायं। इससे वहां का काम आसान हो जायगा।

ट्यूबवेल का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे यहां गोमती के किनारे न तो नहरों का ही कोई इंतजाम है और न ट्यूबवेल का ही कोई इंतजाम है। वहां का कभी सर्वे भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है लेकिन कहा यह जाता है कि उस एरिया में न तो नहरें बन सकती हैं और न ट्यूबवेल ही बन सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि वहां पर नहरों की नालियां नहीं जा सकती हैं, इसलिये अगर उसको नहर एरिया में शामिल किया गया हो तो उससे उसको निकाल कर वहां ट्यूबवेल्स अवश्य बनवा दिये जायं। क्योंकि वहां का सर्वे हुआ है। आज से दो साल पहले महमूदपुर डैम के लिये २० हजार रुपया मंजूर हुआ था और आपके इर्रीगेशन डिपार्ट-

[श्री रामबली मिश्र]

मेंट द्वारा उसका सर्वेक्षण भी हुआ था, लेकिन अब कहा जाता है कि वहां डैम नहीं बन सकेगा। जब मैंने सवाल किया था तो मुझे जवाब मिला था कि इसका सर्वेक्षण हो रहा है, लेकिन जब रुपया व्यय करने की बात आयी तो यह कहा जाता है कि उसका सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। बल्दीराय ब्लाक और धनपतगंज ब्लाक में ५-५ मील नहर की पटरियों को पक्की करने के लिये ५० हजार रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर हुआ है, लेकिन आपके नहर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हमारा नहर विभाग उसको पक्की सड़क बनाने में समर्थ नहीं है क्योंकि इस प्रकार से अगर यह सड़क बन जाय तो बाद में फिर पब्लिक को वे उधर से जाने से रोक नहीं सकेंगे। मेरा सुझाव यह है कि यदि यह सम्भव न हो तो उसी क्षेत्र में ५०-५० हजार रुपये की लागत से दोनों ब्लाक्स में दो सड़कें जरुर बना दी जायं ताकि वहां के लोगों को राहत मिले।

नहर की पटरियों पर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा रास्ता न रहने पर कुछ लोग बैलगाड़ी, एक्का या रिक्शा उस पर चलाने की कोशिश करते हैं ताकि इसके लिये उनको इजाजत मिल जाय, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जाती है। या दूसरे तरीके से वे लोग वहां के कर्मचारी को कुछ ले देकर इजाजत ले लेते हैं और उनको चलाते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जहां ऐसी बात हो वहां पर जरूर इजाजत दी जाय और अगर आप जरूरत समझें तो उनसे कुछ किराया ले लें। किराया देने के लिये किसान तैयार हैं लेकिन आप उसे इजाजत दे दें।

इसके अलावा दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जहां नहरों के किनारे टेलिग्राम के तार लगे होते है वहां ऐसे भी स्थान हैं जहां २०-२० मील तक कोई टेलिग्राम आफिस नहीं है जिससे पब्लिक को कभी ऐसा समय आने पर जैसे कहीं कोई कत्ल हो जाय, या कहीं कोई डकैती पड़ जाय तो उसे शहर के अधिकारी को इसकी इत्तिला देने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये इस बात की इजाजत दे दी जाय कि ऐसे मौके पर संबंधित कर्मचारी पबलिक को उस टेलिग्राम आफिस से एस० पी० या डी० एम० को तार भेजने की सुविधा अवश्य दे दें और उससे टेलिग्राम की उचित फीस ले ले। आज हालत यह है कि वहांके कर्मचारी किसी बाहरी आदमी को उसे छूने की भी इजाजत नहीं देते। इसलिये इस बात की इजाजत जरूर होनी चाहिये। आशा है आप व्यवस्था करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूं। यह सही है कि खाद्य समस्या के समय इस विभाग का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और यह विभाग प्रान्त की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या के हल में काफी सहयोग दे सकता है अगर आप तत्परता, और ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें। सिंचाई के बगैर कोई किसान अपने गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि भारत की जमीन की रबड़ की तरह बढ़ा दें। आबादी तेजी से बढ़ रही है इसलिये पैदावार बढ़ाने में यह विभाग का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इसलिये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यह दोनों विभाग मिलाकर एक कर दिये जायं। अलग रहने की इसकी जरुरत नहीं है। मैं मानता हूं कि सिंचाई के लिये आपने प्रयास किया, रुपया लगाकर कुछ काम भी हुआ, मैं यह नहीं मानता कि सिंचाई के साधनों को आगे नहीं बढ़ाया गया। आपके इंजीनियरों ने जहां भ्रष्टाचार के काम किये वहां अगर १० लाख रुपये की चीज में १५ लाख रु० खर्च किया तो ८ लाख की चीज उन्होंने जरूर बना कर दी। जो कुछ भी थोड़ा काम इस विभाग ने किया उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। जहां पानी नहर के जरिये आप नहीं दे सकते वहां बंधियों के जरिये बरसाती पानी को इकट्ठा करके हजार, दो हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिये। मेरे फतेहपुर जिले में गंगा और जमुना के किनारे तलहटी में ऐसी जगह हैं जहां नहर नहीं जा सकती,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंयें नहीं खोदे जा सकते, वहां यह तो कर सकते हैं कि बरसात का पानी जो इकट्ठा होकर के फसल को सुखा देता है उस पानी को बंधियों द्वारा बांध कर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। कभी कभी नहर का पानी कटकर जाता है, या ऐसी जगह चला जाता है जो बाहर फेंका जाता है जिससे यातायात के साधन अस्तव्यस्त हो जाते हैं, साथ ही फसल को भी खराब करता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोदकुल्ली के बीच नहर गंग का पानी चला जाता है, मैंने पिछले साल प्रश्न पूछा था कि इसका उपयोग किया जाय। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बरसाती पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के काम में लायें ताकि तलहटी की जमीन बोयी जा सके और पैदावार बढ़े।

यातायात की सुविधा आपका विभाग प्रदान कर सकता है जिससे सार्वजनिक विभाग का कुछ बोझ ही हल्का हो सकता है। आपकी एक स्कीम चली थी कि नहर की पटरियों को चौड़ा करके थोड़े-थोड़े से खर्च में पक्की कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप यह स्कीम चलावें। मिट्टी नई जगह डलवाने से खर्च आपका बहुत होगा। अगर पटरी को चौड़ा करके पक्का बना देंगे तो इससे कटाई कम होगी और दूसरे यातायात क साधन भी सार्वजनिक हित के लिये उपलब्ध होंगे। चकबन्दी के कारण बहुत सी नालियां खराब हो गयी हैं, ऐसी नालियां हैं जो ३०, ३० साल से पड़ी हुई हैं, विकास वाले इस काम को नहीं कर सकते, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप नालियां बनवायें क्योंकि नालियों के ठीक तरह न होने से सिंचाई में झगड़े होते हैं, वह झगड़े भी खत्म हो जायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बना दें असेम्बली के मेम्बर्स की जो प्रान्तव्यापी सर्वे करवाये कि कहां कहां बरसाती पानी के जरिये, नलकूपों के जरिये, नहरों के जरिये नहरों के जरिये सिंचाई हो सकती है। चूंकि नहरों से जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि नहरी इलाके में आपको नलकूप लगाने और कुयें खोदने की इजाजत दनी चाहिये। कुंआ खोदने के लिये जो लोगों को रुपया दिया जाता है आधा रुपया लोग खा जाते हैं। जिस काम के लिये लेते हैं उसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसलिये मेरी राय में विभाग अपनी तरफ से कुयें खुदवायें ताकि सिंचाई की समस्या भी हल हो और पैदावार भी बढ़े।

एक बात और कहना चाहता हूं कि नहर की जो पटरियां कटती हैं इसमें किसान का दोष नहीं है। विभाग पानी ठीक तरह से नहीं दे पाता, इसलिये किसान पैदावार बढ़ाने के लिये ऐसा करता है। चूंकि उसको समय पर और जरूरत के मुताबिक पानी जब नहीं मिलता और नहर कहीं काट दी जाती है तो उसके लिये तावान लगाना मेरी राय में अन्याय है।

एक बात और यह है कि, कानूनी रिश्वत जो १५, १२ फीसदी चलती है, मंत्री जी जरा इसकी गुप्त रूप से जांच करें। ईमानदार तबका जो आपके यहां है वह मर रहा है। इसिलये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी विभाग के शुद्धिकरण की तरफ कदम उठायें। हमारे समाज के अन्दर भ्रष्टाचार है इसलिये अगर आपके यहां भी है तो उसकी सफाई करें, ईमानदारी को प्रोत्साहन दिया जाय, मेहनत करने वालों को पानी मिले चाहे नलकूप से दिया जाय, कुयें से दिया जाय या नहर के जरिये दिया जाय, इस दिशा में मंत्री जी आप काम करना शुरू कर दें। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं उस जिले से आता हूं जो पूर्वी क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है और उस जिले में भी मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। करीब १५, १६ साल बाद आज उस क्षेत्र में ३,४ ट्यूब वैल लगे हैं। सलेमपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र में पटेल आयोग की सिफारिशों के अधीन जो वहां काम शुरू हुआ है उससे हमारे क्षेत्र में लोगों को मालूम होने लगा है कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। साथ ही मैं यह भी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जिले में १४ चीनी मिलें हैं। आज भी १३ मिलें चल रही हैं, लेकिन भटनी

[श्री कैलाश]

मिल आज बन्द हो गयी है । उस क्षेत्र में अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायं तो लगभग ८,१० लाख मन अधिक गन्ना पैदा हो सकता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस क्षेत्र में ८,१० ट्यूबवेल और लगवा दें ।

साथ ही मुझे यह भी कहना है कि उस क्षेत्र में ३,४ नदियां हैं जैसे बड़ी गंडक, छोटी गंडक, घाघरा और खनुआ । इन तमाम नदियों की वजह से ३,४ लाख एकड़ जमीन की फसल हर साल बाढ़ से खराब होती है । हमारे क्षेत्र से सोमपुर पूर्वी से करीब ३०,४० गांव ऊंचा करने के लिये गये हैं । लेकिन काम बहुत शिथिलता से हो रहा है । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो पटाई का काम शुरू है मजदूरी कम होन की वजह से उसमें तेजी नहीं आती है । और मजदूरी बढ़ा दी जाय तो ऊंचा करने का काम तेजी से चलने लगेगा । गंडक और खनुआ के बीच में एक गांव है खैराट जो हरसाल पानी से घिर जाता है और लोगों को निकाला जाता है । मैं चाहता हूं कि उस गांव को ऊंचा कराया जाय, साथ ही ३,४ छोटे छोटे ड्रेन निकाले जायं । मायापुर ड्रेन में कार्य चालू है । बंगरा और छितौनी ड्रेनों की नपाई हो रही है लेकिन उनमें भी काम शुरू होना चाहिये । बेलपार पंडित और धनौती ड्रेन और खोल दी जावें तो उनमें हजारों एकड़ जमीन काम आ सकती है ।

देहातों में जो अनुदान कुंए बनने के लिये दिया जाता है वह सीमेंट और ईंट की कमी की वजह से किसान काम में नहीं ले आते हैं । और उसे सीमेंट तथा ईंट मिल जाय तो अनुदान का सदुपयोग और कुंएं बनाकर सिंचाई हो सकती है और गांवों में तालाबों पर खुदाई का काम शुरू हो जाय तो उससे भी सिंचाई का काफी काम चल सकता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भटनी मिल जो सरकार के अधीन है, कम से कम सिंचाई विभाग से ही एक पुल वहां बनवा दिया जाय और नदी के उत्तर तरफ ट्यूबवेल बनने के लिये वहां सारा सामान पहुंचाया जाय और वहां लगभग १० ट्यूबवेल लगा दें तो भटनी मिल के लिये गन्ने की उपज काफी बढ़ जायगी ।

इन शब्दों के साथ में मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री बलवानसिंह—

मैं श्री बाबूसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

हमारे सूबे में ४।। करोड़ एकड़ जमीन खेती की है जिसमें से आप १,२१,००,००० के करीब की सिंचाई पर पहुंचे हैं १८ साल क अन्दर । अंग्रेजों के बाद जितना एरिया बढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उस रफ्तार से ४।। करोड़ एकड़ की सिंचाई पर आप ७०, ८० साल में पहुंचेंगे । क्या आपकी कोई योजना या पालिसी या कोई कैबीनेट डिसीजन है कि आप कितने समय में, खास तौर से किसानों के लिय, सिंचाई का प्रबन्ध कर देंगे ? आपके चीफ इंजीनियर जैन साहब ने आपको राय दी होगी । पिछले साल जो कहत पड़ा और पाला पड़ा, अगर आपके पास सिंचाई के साधन होते तो अरहर को इतना नुकसान नहीं होता । कल मेडिकल का बजट था, मैं था नहीं । लेकिन आज हिन्दुस्तान में, और हमारे सूबे में खास तौर हर ३ बच्चों में से १ अन्धा होता जा रहा है । खास तौर से आदमियों में जितनी आबादी पैदा हो रही है, कृष्णानन्दजी, मैं आपको सूचना दे दूं कि हर तीन बच्चों में से १ अन्धा होता जा रहा है । यह क्यों हो रहा है ? हमारे बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल रहा है । दाल नहीं मिल रही है । आनेवाली संतान की तन्दुरुस्ती में इतनी बड़ी गिरावट का संबंध सिंचाई से है ।

श्री मुरलीधर कुरील—

आपके आंकड़े ठीक नहीं हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बलवानसिंह—

मुरलीधर जी को ये आंकड़े ठीक नजर नहीं आ रहे हैं।

देहात की खूराक इतनी कमजोर हो गई है कि उसमें कोई दम नहीं रह गया है। इसलिये सरकार को सबसे ज्यादा गम्भीरता से सिंचाई के मामले पर सोचना चाहिये।

एक मेरा कहना सरकार से और गिरधारीलाल जी से, खास तौर से यह है कि अंग्रेजों ने जो नहर खोली थी, उसके रूल्स और प्रोसीजर को आप देखें तो मालूम होगा कि उसने कहत को रोकने के लिये नहर खोली थी। दक्षिण में, चाहे मैसूर को लें, आन्ध्र को लें, मद्रास को लें, वहां यह रूल है कि गारन्टीड वाटर है। काश्तकार से पहले यह पूछ लिया जाता है कि वह क्या बोयेगा और उसके लिये सरकार पानी उपलब्ध करती है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, कि क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है जिससे वह काश्तकारों को गारन्टीड वाटर दे सकें, सुरक्षित पानी दे सकें, जिससे काश्तकार निश्चिन्त रहे। क्या सिंचाई मंत्रीजी हर फसल के लिये सुरक्षित पानी देने के लिये तैयार हैं? गन्ने की बोवाई उत्तर प्रदेश से दुगुनी दक्षिण में है। गेहूं की ९ मन प्रति एकड़ हमारे यहां है जबकि पंजाब में २१ मन आ जाती है। उसी मुताबिक पैदावार का रेशियो दक्षिण में ज्यादा है। सारांश यह है कि वहां पानी का इंतजाम ज्यादा है। आज यू० पी० की सरकार अगर यह चाहती है कि ४॥ करोड़ एकड़ खेती के लिये गारन्टीड वाटर दिया जाय तो उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। १,२१,००,००० एकड़ जो आंकड़े आपने दिये हैं, उसमें से मेरा ख्याल है कि २०, २२ लाख एकड़ जमीन पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, यानी कि २ फसल होने के लिये इस सूबे में उनके पास कोई जरियामाश नहीं है। अगर आप इंटेंसिव कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकते तो इस तरह के सिंचाई विभाग से कोई फायदा नहीं है। क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि इस सूबे में सघन खेती कितने एरिया में होती है? सघन खेती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पानी को इन्तजाम न हो।

अगर मंत्री जी पुराने जमाने में जावें तो महाभारत के समय भी खेती होती थी तालाबों के जरिये। गहरे तालाब थे। आज यह सरकार तालाबों को पटवा रही है। अगर आप तालाबों की और कुंओं की मदद लें और उनमें बोरिंग करावें तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंचाई में काफी सफल हो सकते हैं। लेकिन जितने आंकड़े आज आ रहे हैं उनसे साबित होता है कि इस सूबे की खेती की पैदावार में गिरावट है और मैं गिरधारी लाल जी से और शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से कहता हूं कि उनकी योजना फेल हो रही है। २०० करोड़ से ज्यादा का गल्ला बाहर से आ रहा है। अमरीका से करोड़ों रुपये का गल्ला यू०पी० में आ रहा है। दुनियां के तमाम देशों में हिन्दुस्तान की जमीन और आबोहवा खेती के लिये अच्छी है लेकिन फिर भी अगर करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मगांया जाय और लोग भूखे रहें, तो इसका सीधा संबंध सरकार की पालिसी से है। इसलिये इन बातों पर ध्यान देते हुए आप मेरी बातों को सोंचें।

श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)—

(कुछ शोर होने पर) उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो साल में कम से कम और केवल शायद एक ही बार बोले तो उसके बोलने में मेहरबानी से कोई अड़चन न डाले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं और आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान अपने जिले और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ दिलाना चाहती हूं। मंधना और ईसरीगंज और सिंहपुर कछार से जो रजबहा नहर गंगा से जोड़ी जा रही है और उस में कानपुर नगर (बिजली घर) बनाया जा रहा है उसके लिये जो जमीन किसानों की ली जा रही है उसका जो भी मुआवजा दिया जाय उस रेट से दिया जाय

[श्रीमती बृजरानी]

कि आज का जो बाजार का भाव है इसके अलावा उन लोगों पर लगान बराबर पड़ रहा है वह माफ किया जाय । इसके अतिरिक्त नलकूप भी लगाये जायं क्योंकि वह हमारे जिले में सफल भी हुये हैं, वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारे यहां छोटे छोटे कुयें भी लगाये जायं । इधर ४–६ सालों में कुछ बने भी हैं और उनके अतिरिक्त अगर नलकूप भी लग जायं तो सहूलियत हो सकती है ।

दूसरी बात मैं यह भी कहूंगी कि पानी की निकासी की योजना बनाई जाय । हमारे यहां लोअर गंगा नहर के कारण पानी बिल्हौर में चौबेपुर और शिवराजपुर ब्लाक, घुटनों तक भर जाते हैं । वहां छोटे छोटे साइफन बन जायं और नालियां बना दी जायं क्योंकि वहां पर फसल को बहुत नुकसान होता है और परेशानी होती हैं, पानीकी निकासी का इन्तजाम हो जाय तो बड़ी सहूलियत होगी । मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि हमारे नगर में जो गांव थे वह कुछ कारपोरेशन के अन्तर्गत लिये गये हैं, लेकिन उन में जो नहर के पानी से सिंचाई की गई है उसकी सिंचाई दर वही लगाई गई है जो नगर के लोगों के पीने के पानी की लगाई जाती है, उसी दर से सिंचाई भी ली जाती है । हमें मालूम यह भी हुआ है कि मंत्री जी इस पर विचार कर रहें हैं और मैं वहां के लोगों की तरफ से मंत्री जी को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि जल्द ही उन लोगों को यह सहूलियतें दी जायंगी और सिंचाई दर कम करके ली जायगी । कुछ जमीन उन लोगों की ली जा रही है और कुछ ले भी ली गई है । वह बेचारे परेशान हैं और सही दर पर उन्हें पानी दिया जाय और ट दी जाय ।

इधर बिजली घर की टंकी के पास जो जमीन ली गई शाहपुर और रतनपुर में, उसका मुआवजा भी ठीक से दिया जाय और वह सही दर पर आज के रेट पर दिया जाय क्योंकि यह समस्या बहुत दिन से वहां चल रही है । जब हमारे यहां के कुछ लोग और हम मंत्री जी से मिले तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम कोशिश करेंगे । इसलिये हमें आशा है कि वह शीघ्र ही उनको मुआवजा दिलायेंगे । इधर सिंगपुर का कुछ क्षेत्र गंगा के किनारे हैं, वहां पर कछार है और अधिक वर्षा में वहां पानी भर जाता है और लोग नहर का पानी कभी भी नहीं लेते । लेकिन जिस वक्त बहुत ज्यादा बाढ़ होती है तो नालियों से निकल कर पानी बरसात में खेतों में भर जाता है और नहर गंग वाले उन से आबपाशी वसूल कर रहें हैं । इसकी मैंने मंत्री जी से शिकायत भी की थी और लोग भी आये थे, इस पर आप ने इन्क्वायरी के लिये कहा था पर वह अब भी वसूली जा रही है, आप उन को इससे छुटकारा दिलायें । कुछ उससे हठकर जो ऊंचे पर खेत है उनमें पानी नहीं आता है । सिंगपुर गांव है वहां पर सिंचाई नहीं होती है क्योंकि पानी वहां पर भर जाता है । तो मैं यह कहना चाहती हूं कि यह परेशानी है हमारे क्षेत्र में । सिंचाई अधिक करने से हमारे यहां के किसान घबराते नहीं हैं । हमारे इलाके में एक पतवन स्थान है । वहां पर किसान परेशान नहीं है । उनको सिंचाई के लिये अधिक पानी मिल जाता है पर दुःख है कि किसानों को उचित समय पर पानी नहीं मिलता है ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और इस मांग का समर्थन करती हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मै स्वयं हिचक रहा था क्योंकि गत चुनाव में माननीया मुख्य मंत्री जब हमारे यहां गयी थीं तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई हमारी तरफ से चुना जायगा तो मैं उसकी बात सुनूगीं यानी जो दूसरी तरफ से जायगा उसकी बात नहीं सुनी जायगी । तो सुझाव देने समय मुझे डर है कि मेरी बात सुनी भी जायगी अथवा नहीं । फिर भी मैं अपने विचार और सुझाव माननीय मंत्री जी के सम्मुख रख रहा हूं ।

श्रीमन्, हमारा जिला ऐसा है कि जिसके बारे में रिपोर्ट भी है कि ९८ प्रतिशत जनता बिलो पावर्टी लेविल पर रहती ह और उसका जीवन आधार केवल खेती है । जो चीनी का व्यापार है वह तो बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है अतः खेती की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । खेती

की उन्नति के लिये आवश्यक है कि सिंचाई का प्रबन्ध हो, अतः वहां पर सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे जिले में नदियों का जाल बिछा है। एक ओर तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और दूसरी ओर नदियों से बाढ़ में फसल पानी से ढक जाती है।

दूसरी बात ट्यूबवेल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जितने भी ट्यूबवेल हैं उनमें से आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बांसी के ट्यूबवेल का देता हूं जिसका नं० ५ है। उसके लिये जो नालियां बनायी गयी थीं वे सब गिर गयी हैं। उस कुयें से कोई काम नहीं लिया जाता है। किसी ने झूठी ही रिपोर्ट दे दी कि यहां के लोग पानी नहीं लेना चाहते। भला ऐसा कहीं हो सकता है कि जहां पर सिंचाई की और कोई व्यवस्था न हो वहां पर किसान पानी न लेना चाहें। बस्ती में खास सिंचाई तालाबों और कुओं से होती थी। कुयें अब पटते जा रहे हैं। कम से कम माननीय मंत्री जी उनको यह साधन तो दीजिये कि उनको गहरा कीजिये। इस इलाके में दो रियासत थीं, एक शोहरतगढ़ और दूसरी बर्डपुर। वहां पर एक समरा ताल था जिससे वहां के किसान अपनी जमीनों को पानी देते थे। उन लोगों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता था। मालगुजारी में ही शामिल था वह ले लिया जाता था। पर आज हमारी सरकार ने यह प्रबन्ध किया है कि जितनी नालियां हैं वे सब टूटी हैं जिससे पानी के वितरण की दुर्व्यवस्था है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अब जो उन्होंने सिंचाई का रेट फिर से लगा दिया है वह न लगाया जाय और जितने ऐसे रिजरवायर बने हुये हैं उनको ठीक से रखा जाय और जो रेट आप बढ़ाना चाहते हैं उनको इन रिजरवायर्स से पानी लेने पर न लगावें।

तीसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि बस्ती जिला नदियों से घिरा हुआ है। इसे अंग्रेजी में नेपू वर्क आफ रीवर्स कहा जा सकता है। गांव इनके कारण गिरते जाते हैं पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। अरड़ी गल्हरिया ऐसे कितने ही गांव गिर गये, मैं बार बार कहता हूं किन्तु सरकार ध्यान नहीं देती है। पहले जो जुमला मैंने कहा था कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि वहां हमारा आदमी जीतेगा तो काम होगा वरना नहीं, और हम देख रहे हैं हमें मालूम पड़ता है सरकार उसी पर चल रही है। सरजू नदी से भी कई गांव गिर गये हैं। यदि वहां की जनता कहती है कि आधा पैसा सरकार खर्च कर दे और आधा हम खर्च करेंगे और हमारा काम हो जाये। तो सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और जो सुविधायें वह चाहते हैं वह उनको दी जाये, जिससे वह बाढ़ और दुर्भिक्ष की तबाही से बच सकें। सिंचाई के एक नियम की ओर मैं आप का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं जिसके कारण बेचारा गरीब आदमी पिस रहा है। आपका नियम है कि पानी जिस खेत की तरफ से जा रहा और उसने पानी लिया भी नहीं तो भी उससे उसका चार्ज पड़ जाएगा। यदि उसका पानी किसी गड्ढा तालाब में भी चला जाये तो उसमें से भी पानी लेने पर चार्ज देना पड़ता है। तो ऐसे अनेक नियम हैं जिसके कारण जो गरीब किसान डेकुल चलाकर अपनी सिंचाई कर लेता है, घोर परिश्रम करता है क्योंकि वह पैसे देने में असमर्थ है तो उससे भी चार्ज लिया जाता है।

चौथी बात यह है कि बस्ती जिले में बाढ़ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि २-२ वर्ष तक काम में नहीं आ पाती। मिसाल के तौर पर १ तो कोड़र-ताल है और दूसरा चंन्वर ताल है जिसमें पानी जमा रहता है। मैंने इन्जीनियर और कलेक्टर को ले जा कर भी उसे दिखाया कि उसमें चैत के महीने में तालाबी चिड़ियां बैठती हैं तो सैकड़ों हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या यह सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि फसलों की रक्षा हो और उपज अधिक से अधिक बढ़े और उस की क्षति न हो, इस हेतु पानी निकाल दे।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने पंत जी की तरह से कोई एफीसेन्शी स्कावयड बनाया है जो इसके बारे में पता लगाये कि क्या कार्य एफीशेयन्टली

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि आज तक अपने प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यह अवश्य होना चाहिए। मैं मंत्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से खासतौर से कहना चाहता हूं। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने करप्शन के बारे में कहा वैसा कहते तो मैं डरता हूं। जब यहां पर सदस्यों द्वारा करप्शन की बात कही जाती है तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे देते हैं और उस बात को उड़ा देते हैं, पर उस पर उन्हें हृदय से सोचना चाहिये कि बहुत भ्रष्टाचार हमारे डिपार्टमेंट में है और मैं उस को दूर करने का प्रयास करूंगा। सीमेंट की आज कमी है उस की कमी चारों तरफ है और उस के कारण कुवें नहीं बन पाते, बनते हैं तो खराब बनते, हैं नालियां बनती हैं वह शीघ्र टूट जाती हैं। तो यह सीमेंट की कमी है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन रुपया दे दिया जाये तो चाहे जितनी बोरी सीमेंट कोई चाहे, मिल सकती हैं। लोग कहते हैं २० रुपये बोरी के हिसाब से मैं इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से दिला सकता हूं। आज इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की यह हालत है। इतना ही नहीं। वह चोरी से डिपार्टमेंट की ट्रक से पहुंचा भी दिया करते हैं, जिससे कि लेने वाला पकड़ा न जाये। तो ऐसी स्थिति जब डिपार्टमेंट की है तो कैसे उद्धार हो सकता है? एक बार मैंने इस विषय की सूचना माननीय शांति प्रपन्न शर्मा को भी दी थी। मैं एस० पी० से भी मिला था। मैंने उनसे कहा कि ट्रक पर लद कर रात में पाइप जा रहे हैं जिनकी मैं एक्जेक्टली तादात तो नहीं बता सकता हूं। इस पर मंत्री महोदय ने कहा, आप तो एक्सजेजेरेट करते हैं। मैंने कहा कि प्रथम बार आपके कमरे में आया हू और प्रमाणित रूप से कहता हूं और आप कहते हैं कि मैं एक्जेजेरेट करता हूं। मैंने उन को बढ़ने नहीं दिया और कहा कि आप इस एक्जेजेरेट शब्द को वापस लीजिये। तो उन्होंने एक्जेजेरेट शब्द को वापस लिया। तब मैंने उन को बताया कि एस० पी० ने कहा कि २४५ फीट है जब कि सौ की बात पहले थी। तो मैं कहता हूं कि अगर आप अपने महकमें के लोगों को इस तरह से खुली छूट देंगे तो भगवान ही इस प्रदेश का कल्याण करेंगे। मेरे पास अखबार है किन्तु मैं उसको नहीं दिखलाना चाहता, लेकिन एक मथुरा के इंजीनियर हैं उनके खिलाफ कई लाख के भ्रष्टाचार का मामला था। आपने उन को अलीगढ़ बदल दिया और फिर २२ दिन बाद उनको वापस बुला लिया। तो मैं आप से कहूं कि आप को चाहिये कि अगर कोई ईमानदार आफिसर भी है और जनता उस पर लांछन लगाती है तो आप उस को वहां से अलग कर दें। जिससे जनता को विश्वास पैदा हो जाय। मेरी प्रार्थना है कि विभाग में जो गन्दगी है उसे दूर किया जाय और मैंने जो कुछ आप के मकहमें के बारे में कहा है उसे माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी और माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनें और गांवों की ड्रेनेज आदि ठीक कर के रक्षा करने का प्रयत्न करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्.....

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा ऐसा अनुभव है कि आप चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैले क्योंकि आप ने मुझसे कहा, वादा किया और फिर भी आप मुझे बोलने नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जरा बैठ जाइये, पांच मिनट में शर्मा जी खत्म कर लें।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्.....

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो जोर जोर से बोलने लगे उस को तो वक्त मिल गया और जो सुबह से शाम तक उठक-बैठक करते रहेंगे उनको वक्त ही नहीं मिलेगा, क्या यह बात है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। शर्मा जी को बोलने दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव का समय नहीं है। आप बैठ जाइये, शर्मा जी बोल रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

मैं तो प्रस्ताव इस बात का कर रहा हूं कि सदन का समय १ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आध घंटे दूसरा काम है इसलिये यह नहीं बढ़ सकता।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पर लम्बी बहस होनी चाहिये क्योंकि बड़ा गड़बड़ घुटाला है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। इसीलिये तो वह प्रस्ताव किया गया था।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं ....

श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात अगर कल तक के लिये हो जाय तो हम कल तक अपना सुझाव दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, आज खत्म होने तक।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि हर पार्टी के लोगों को आप बुलाते हैं। कांग्रेस दल के तीन चार आदमियों को बुला चुके हैं, मेरी पार्टी के एक ही आदमी बोले, मेरा नाम लिख कर भी दिया गया .....

श्री उपाध्यक्ष—

उसके होने से क्या होता है। जितने लोग बोल सकते हैं बोलेंगे, आप बैठ जाइये।]

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं आप के समक्ष, माननीय सदस्यों के समक्ष, सदन के समक्ष कुछ गम्भीर मामले रखना चाहता हूं। यह वही है कि हिन्दुस्थान और प्रदेश की गरीब आत्माओं को विदेश के अन्दर गिरवीं रखा जा रहा है .....

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि आपने उप मंत्री महोदय को बुला लिया। उसके बाद उन को छोड़ कर दूसरे माननीय सदस्य को क्यों बोलने दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उनकी सलाह से किया है जब वे बैठ गये थे ।

श्री बृजबिहारी--

किस नियम के अनुसार आपने उनकी सलाह लेकर दूसरे माननीय सदस्य को बोलने दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, शर्मा जी को बोलने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा--

तो, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस मौजूदा प्रदेश को और इसकी साढ़े सात करोड़ जनता की आत्माओं को और इस प्रदेश के देशवासियों की आत्माओं को विदेशों के अन्दर गल्ले के बदले गिरवी रखा गया है और खाने के लिये करोड़ों रुपये का गल्ला प्रतिवर्ष मंगाया जाता है। मैं समझता हूं देश को इसके व्याज की अदायगी में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार को हमारे सुझावों पर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि अगर कोई सही सुझाव सदन के समक्ष रखता है और ठोस सुझाव देता है तो उस पर सरकार को विचार करके कार्यवाही करनी चाहिये। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उसको अपने विभाग से भ्रष्टाचार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि कोई सदस्य भ्रष्टाचार के सही आंकड़े और सही उदाहरण सदन के समक्ष रखता है तो सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिये। अभी मैंने देखा कि लाबी के अन्दर माताटीला के अभियुक्तों को बचाने के लिये प्रचार किया जा रहा था। अगर कोई गलत बात है तो उस को सपोर्ट नहीं करना चाहिये और सही बात को सदन के सामने आना चाहिये। इस प्रकार से जहां पर भ्रष्टाचार हो उस को बचाने का प्रचार नहीं करना चाहिये। ट्रक नम्बर १७६४ यू० एस० आर० पकड़ी गई थी जिसके लिये कहा जाता है कि उसमें बैठे निर्दोष व्यक्ति पकड़े गये। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी ट्रक के अन्दर सीमेन्ट पकड़ी गई तो फिर प्राइवेट कम्पनी में पड़ा ठेला २ बजे कैसे आगया ? मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब सरकारी ट्रक में सीमेंट पकड़ी गई तो झांसी में कई लाख की बिल्डिंग तोड़ डाली गई इस वजह से कि यह दिखाना था कि सीमेंट उस बिल्डिंग के लिये था और उस इमारत के लिये सीमेन्ट की आवश्यकता थी। लाखों की इमारत तोड़ दी गई।

श्रीमन्, मैं आप को क्या बतलाऊं, अगर माता टीला के लिये कोई जांच कमेटी बिठाई जाय तो आप को वहां पर एक करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले यदि बारीकी से जांच की जाये, तो मिल सकता है। इस तरह के मामले वहां पर हुये हैं कि जिनकी रिपोर्ट मैंने गृह मंत्री जी से लेकर माननीय मुख्य मंत्री तक भेजी है लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि उन्होंने उन पर कार्यवाही की। इस तरह के मामले पकड़े गये हैं और उनके सम्बन्ध में मेरे पास फाइल है और मैं साबित कर सकता हूं कि किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार के मामले लोगों ने किये हैं तो आप को जानकर ताज्जुब होगा। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले खुले तौर पर हुए हैं कि इस विभाग का लाखों रुपया अफसरों ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को दे दिया है। इस तरह के मामले होते हैं फिर भी हमारे मित्र यहां पर लाबी में उनको बचाने का प्रचार करते हैं। यह कितने दुःख की बात है।

इर्रीगेशन वर्कशाप झांसी की शिकायत ३-१२-१९६४ को और २६-१२-१९६४ को की गई। वहां के इंजीनियर अपने रिश्तेदार और मित्रों को काफी तादाद में सरकारी पैसे का नाजायज तरीके से पेमेंट करते चले जा रहे हैं। ट्यूब वेल के लिये ९० प्रतिशत सामान पीतल का वर्कशाप से लिया जाता है। पीतल की बियरिंग के लिये २० फीसदी पीतल अधिक लिया जाता है। एक मन पीतल गलाने में ६ पौंड जल गया बताकर काट देते हैं जब कि एक मन पीतल पर सिर्फ १५ छटांक ही जल सकता है। पीतल के नाम पर तांबे के तार व स्टेनर में जाली पीतल के साथ जला दी जाती है। ट्यूबवेल के वर्क आर्डर के रजिस्टर पकड़े जायं तो सच्चाई सामने आ जायगी। ५१३, ५४१, ५९०, ५६९ के वर्क आर्डर के कागज पकड़े जायं तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जायगी। इम्प्रेस्ट बुक और वाउचर भी पकड़े जायं तो भी मालूम हो जायगा कि किस तरह की गड़बड़ है। वर्क आर्डर ७५२ जो पावर हाउस का है उसमें ८,००० रुपया बुक हो चुका है। उतना वह सामान कागज से गायब है। १८ क्रास बीम पर। ७५ रुपये पर क्रास बीम के हिसाब से चार्ज किया गया। यह काम सरकारी व्यक्तियों के द्वारा कराया गया है लेकिन पेमेन्ट बाहर के एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके पर बहुत बड़ी तादाद में किया गया है। हजारों रुपये का सामान वर्कशाप से बाहर बिकवा दिया गया। मडेर डिवीजन में दमोह गेट फिट कराया गया है जिसका लेबर चार्ज ४०७६ रुपये के था, किन्तु २०,६७७ रुपया लेबर पर खर्च किया दिखाया गया है। इसी प्रकार इसी तरह गेटों पर मैटीरियल के इस्टीमेट १७,६७४ रुपये के थे, परन्तु उन्हीं सड़कों पर सरकार ने २९,६६५ रुपये मैटीरियल पर दिखाया है।

इसी तरह केवल एक ही डीजल इंजिन माताटीला से गया था जिस पर ६ हजार का खर्चा बताया गया है, यह खर्चा वर्क एरिया में किये गये इस्टीमेंट से नहीं दिखाया गया है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी संबंधित कागजात मंगा कर इस चीज को देखें तो सारा सत्य सामने आ जायेगा।

इर्रीगेशन वर्कशाप, झांसी में माता टीला डैम पर १-११-१९६४ से काम कर रही है। १२-५-१९६५ तक जो काम हुआ वह इस प्रकार है —१२ ट्रेसेस बनायी गयीं, २६ क्वा सबिम बनाये गये, १० ट्रेस रैक बनाये गये, ४० ट्रेस रैक लेवर द्वारा बनाये गये। यह सब काम माताटीला बांध पर ही किया गया और सरकारी ट्रक से भेजा गया। इसके अलावा २५ एम० एस० तथा १२ एम० एस० की प्लेटें कन्ट्रोलिंग रूम के लिये काटी गयीं। यह सब काम यहां हुआ, मगर ९ हजार रुपये का पेमेंट किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया। इसकी भी माननीय मंत्री जी जांच करने की कृपा करें।

विल्डिग राड्स पर २१ हजार का वेल्डिंग का खर्चा दिखाया गया है, इतने खर्च पर १२ हजार फुट वेल्डिग हो सकती थी, किन्तु वह बहुत कम है। यदि इसे नापा जाय तो सत्य सामने आ जायेगा।

बांदा (मानकपुर) टिकरिया स्टेशन के पास एक ६० फिट का चैनल बनना था। लेकिन वर्कशाप से १२० फुट चैनल भेजा गया। ६० फुट चैनल गायब है।

इसी प्रकार माताटीला के लिए लाखों रुपये का लोहा, विदेशों से ९०० रुपये प्रति टन के हिसाब से मंगाया गया और बाद में उसे सर्पलस दिखा कर १५० रुपये प्रति टन के हिसाब से बिकवाया गया। मैं चाहता हूं सरकार इस सब के बारे म जांच करे। श्रीमन्, यह सरकार भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी तरह से रक्षा करने पर तुली हुई है जो प्रजातंत्र के लिये बड़ा ही घातक हैं।

इसी प्रकार से जामिन डैम के अधिशाशी अभियन्ता के विरुद्ध २७ गम्भीर आरोप सरकार को लिखकर दिये गये जिसकी जांच विभागीय तौर पर चीफ इंजीनियर द्वारा की गई,

[श्री लखपतराम शर्मा]

आज ही डाक से एक पर्चा जो मुख्य मंत्री के नाम से है जिस पर अनेक राजनैतिक दल और प्रतिष्ठित नागरिकों के द्वारा मांग की गई है कि विभागीय जांच सही तरीके पर नहीं हुई है और उस पर विश्वास नहीं है। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये शीघ्र गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराई जाय और सम्बन्धित अधिकारियों का जांच से पूर्व वहां से ट्रान्सफर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब शर्मा जी आप बैठ जाइये, समय समाप्त हुआ।

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा का नाम पुकारे जाने पर, कई सदस्यों ने बोलने के लिये समय की मांग की।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जब माननीय सदस्यों की इच्छा है तो आधा घंटे के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिसमें यह था कि यदि किसी झूठ बात के लिये बार बार कहा जाय और उस पर जोर दिया जाय तो यह यकीन होने लगता है कि वह सही है। जो भाषण मैंने आज सुने मैं यह नहीं कहता कि वे झूठ थे, लेकिन जितने आरोप भ्रष्टाचार के लगाये गये हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि सभी सही नहीं थे। मुझे उससे बड़ा दुःख हुआ। थोड़े दिनों पहले हमने रिहंड में एक मीटिंग की थी, उस वक्त गेंदासिंह जी उधर नेता थे, वह उस मीटिंग में थे। उन्होंने उठकर के यह कहा कि प्रस्ताव ऐसा किया जाय कि जिन लोगों ने इस रिहैंड को बनाया है, हम उनको बधाई देते हैं और वह प्रस्ताव आज हमारे रेकर्ड क पार्ट है। हमारे इंजीनियर्स ने जो काम किया है, मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग चलें, भाई श्रीपाल जी हैं, राय साहब हैं, दो चार और लोग चलें, चलकर देखें। जमुना के ऊपर जो काम हो रहा है और जिन परिस्थितियों में हो रहा है, जिन परिस्थितियों में हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उस की तरफ मैं आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां जो सड़क बनायी गयी उस के बनाने में ३२ आदमियों की मत्यु हो गई, उस में ठेकेदार भी थे, और कुछ हमारे और लोग भी थे। अन्वेषण करने के लिए जो इंजीनियर्स गए उसमें दो इंजीनियर्स हमारे इर्रीगेशन विभाग के मर गए। जहां काम हो रहा है वहां न रहने का स्थान है, न पीने के लिये पानी है, न सब्जी पहुंचती है, ऐसे ऐसे स्थानों पर रात दिन रह कर इस विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं। १४-१४ मील दूर तक दूरबीन से देखते हैं कि इधर से सुरंग जायगी, उधर से आयेगी या नहीं. किस किस तरह से काम हो रहा है? मैं यह भी सुनता था, हमारे जमाने में श्रीपाल जी जानते होंगे कि एक छोटे से ताल को भी कहते थे कि बहुत बड़ा ताल है। लेकिन आज हमारे प्रदेश में १८० मील का रिहैंड बन गया, ४० स्क्वायर मील का माताटीला बन गया, और फिर भी आप कहते हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं। आज आप जो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, आप यकीन मानिए, भ्रष्टाचार को हम बचाने वाले नहीं है। अगर सुराग लगे तो हम जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो वह देने के लिये तैयार हैं। मैं इस बात का आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे आप के दिलों में भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है उस से कम हमारे अन्दर वह नहीं है। अगर देश के लिये आपने त्याग किया है तो हम भी कोई ऐसा नहीं हैं, जब छोटे से थे तब से इसमें लगे हैं, और भ्रष्टाचार को दूर करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, न हम किसी को बचाने वाले हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमुना पर जो काम हो रहा है उस के बारे में हमसे बताया गया कि यहां से सीमेंट की चोरी होती है, मैं देहरादून गया, वहां जो एस० पी० थे उनसे कहा कि तुम परसनली जाओ और देखो, इसकी जांच करो और यह भी मैं आप को बताऊं कि जांच करके एक सीमेंट की ट्रक को उन्होंने पकड़ भी लिया। मैंने अपने इंजीनियरों से भी पूछा। वह कहने लगे कि एक बात बतलाइए कि यह कोई छोटा सा काम नहीं है। जहां दस हजार बोरी सीमेंट रोज लगती हो लगातार और उसमें ठेकेदार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं वहां १०० बोरी अगर किसी दिन चोरी हो गई, तो यह चोरी हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है।.....(शोर).....जहां और भी बातें होती हैं, वहां यह भी हो जाती है। मगर फिर भी हमने यह किया कि हमारा यह आदेश है कि सड़कों के चारों तरफ इसको देखा जाय और इंजीनियर्स भी सख्ती के साथ इसको देखें।

जहां-जहां यह शंका थी कि सीमेंट निकल सकता था, वहां वहां स० आई० डी० के लोगों को भी कहा कि वह भी इस बात का पता लगाते रहें और इसके अलावा चौकियां बीच में लगा दीं कि जहां सीमेंट जाता है, वहां सड़कों पर चेक करो, पुलिस के आदमी बैठाल दिये और उनसे कहा गया कि हर एक ट्रक को चेक करो। जैसीकि.....

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष जी एक मैं व्यवस्था चाहता हूं। देवरिया जिले में जो पडरौना में सिंचाई की नहर निकाली गई है, उसके जो खम्भे बनाए गए हैं, पचासों मील, उस खम्भे में कम से कम हजारों बोरी सीमेंट आज भी आप जांच कीजिये गंडक विभाग के इंजीनियर खा डाले हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं अपनी बात पर फिर वापस आ जाऊं। मैं इस बात को जानता हूं कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार है, तमाम देश का हमारा जो चरित्र है, मैं तो ऋषीकेश का रहने वाला हूं, मैं आप से बताऊं कि यह तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे इंजीनियर्स भी कुछ खराब हो सकते हैं, बाजार वालों को भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े महात्मा जहां पर रहते हैं, उनके अन्दर भी क्या चीज है, वह कहने की बात नहीं है। यह हमारे देश के चरित्र की बात है, उस चरित्र को उठाने की बात है, उसके पीछे भावना यह होनी चाहिये कि क्या यह जो करप्शन है उस करप्शन को दूर करने में जो सम्भव उपाय है, वह हम कर रहे हैं या नहीं, और हम उसको दूर करना चाहते हैं या नहीं। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां भी किसी चीज के लिये कोई सुराग मिले, तो हम उसको रोकने के लिये तैयार हैं और हम कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन अगर २-४ आदमी ऐसे निकल जायं, तो उसके लिए जो इंजीनियर्स यहां हाउस में उपस्थित नहीं हैं, आप खड़े होकर उनके लिए यह कहें कि तमाम के तमाम बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू हैं, यह बात गलत है। मैं जानता हूं, मुझे इस बात से तकलीफ है कि जिस परिस्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं, एक भगीरथ जी ने एक गंगा जी निकाला, लेकिन आज के यह जो भगीरथ हैं, उनका काम आप देखें, जैसा हमने कहा कि १८० मील की तो रिहन्द लेक बनाया और ४० स्क्वायर मील का माताटीला बनाया। यही नहीं। यमुना का जो पानी है, उसको गंगा में और गंगा का पानी यमुना में लाया जा रहा है। यह चार नहरें ऐसी बना दीं जो चीज कभी नहीं हुई थीं, वह होने लगी और आगे यह सोचा जा रहा है कि राम गंगा का जो पानी है, उसको किस तरह से लाया जाय कि दिल्ली के लोगों को पानी मिलने लगे। तो हमारे इंजीनियर्स ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजें बना रहे हैं, अगर जरा सा भी भूल हो जाय, तो कुछ का कुछ हो जाय, तो उसकी तारीफ करनी चाहिये।

जहां तक हमारी स्कीमों का ताल्लुक है, यह बात मैं मानता हूं कि ४३० लाख में अभी तक जो हम सिंचाई का, इन्तजाम कर सके हैं वह १२२ लाख एकड़ का कर सके और जिसमें

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

११ लाख एकड़ में ऐक्चुअली सिंचाई हुई है। यही भी मैं मानता हूं कि पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा वह बढ़ा नहीं और खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि पहले शुरू शुरू में जो सिंचाई का इन्तजाम किया जाता था, वह जहां तक साधारण सिंचाई का इन्तजाम हो सकता था, वह हो जाता था जैसे गंगा नदी से नहर निकाल दी गयी। आप सिंचाई का एक काम ५० रु० में भी कर सकते थे, क्योंकि एक नदी थी, उसमें बांध बांधा और नहर निकाली, लेकिन आज आप यह नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपके पास न तो कोई ऐसी नदी है और न कोई ऐसा साधन ही है। तो अब सिंचाई के इंतजाम के लिये खोज करनी पड़ेगी। (व्यवधान) अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो सुनिये नहीं तो मैं बैठ जाऊं। पंडित चन्द्रदेव जी, आपसे भी कहता हूं। हमारी दिक्कत यह है, जैसा कि श्री बाबूसिंह जी ने बात कह दी कि चमोली में तो एक परसेंट है। वहां तो चारों तरफ बरफ ही बरफ है। उसकी बात तो आप छोड़ दें। अब जो हम पानी का इन्तजाम कर रहे है वह तो कोई ऐसी नदी नहीं है। आपको रिजरवायर बनाना पड़ेगा। जहां तक ट्यूब वैल्स की बात है उसमें काफी खर्च पड़ता है। ट्यूब वेल को देखना भी पड़ता है। आज हम यह तो करते है कि घर की चीजों को ठीक कर लेते है। ट्यूबवेल का जो तरीका है, उसको जो नालियां हैं उसको ठीक करके रखते हैं। हम सब लोगों का जो खेतों पर काम करते है, क्या यह कर्त्तव्य नहीं है कि उसकी देख रेख करें। हमने पिछली दफा भी कहा था कि ट्यूबवेल अगर इस तरह के अलावा दूसरी तरह से दूसरे इन्तजाम में ठीक चल सकते है तो आप एक ट्यूबवेल तजुर्बे के रूप में हमसे ले लीजिये और उसको चलाइये। मैं आपको यह बता दूं कि झांसी और आगरा में बाह के स्थान पर जहां पानी पीने को नहीं मिलता था वहां भी पानी प्राप्त हो गया है। बाह में तो ४०० फीट खोद कर पानी ले आये हैं। तो इस तरह से यह आपका कहना ठीक नहीं है। हम रुपया भी खर्च करें और आप कहें कि इन्तजाम ठीक नहीं हो रहा है।

हम आपको यह भी बता दें कि आप अगर यह सोचें कि हमारे इंजीनियर्स यमुना का पानी रोक दें और उसे आगे नहीं जाने दें, तो हमारा ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है। एक बात यह है कि आज दिक्कत यही है कि पानी तो है कम, उसके चाहने वाले बहुत से हैं। चाहने वाले भी यों कि वे इस्तेमाल करने लगे हैं। आप यह कहने लगें कि चार खेत वालों को तो कम दो और एक खेत वाले को ज्यादा दो। तो आप यह भी नहीं चाहेंगे। अगर आपकी अपने एरिया में यह हिम्मत है कि इतने आदमियों को पानी दे दें औरों को किसी को न दें, यह नहीं हो सकता। मैं आपके गांव चालूंगा देखूंगा, अगर आप ऐसा करवा सकते हों। यह भी नहीं हो सकता। हमारा यही निरन्तर प्रयास रहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा मिले।

आप कहते है कि आपका इन्तजाम सस्ता नहीं है। हम तो यह सोचते है कि अगर महंगा है तो महंगा ही सही, मिले तो। पानी मिलने से पैदावार बढ़ेगी। जैसा कि बाबूसिंह जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आपके पानी के इन्तजाम होने पर भी तो अनाज मिलता नहीं। अनाज की आप कहते हैं, वह सन् ६० में इसी इन्तजाम से हुआ था और ८ रुपया मन भी लोग लेने के तो तैयार नहीं थे और यह अनाज बांदा और बदायूं के ट्यूबवेल्स से ही हुआ था। वहां पानी का आज भी इन्तजाम है, लेकिन परमात्मा की कौन कहे। कुंवर श्रीपाल सिंह जी जैसा कहते है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कभी कभी जो हम चाहते है, वैसा नहीं हो पाता, और फेमिन की सी कंडीशन्स हो जाती हैं। फिर भी हम ऐसा प्रयत्न कर रहे है कि ऐसी स्थितियों के होने पर भी इस प्रकार की कंडीशन्स न आने पाये। लेकिन इसके लिये बड़े भारी प्रयास और रुपये की आवश्यकता होगी। थोड़े दिन हुए मैं ओरछा गया था, वहां बेतवा नदी को देखा, ऐसा पानी चल रहा था जैसा गंगा में चलता है जबकि पहले जमाने में बेतवा सूखी सी पड़ी रहती थी। बांध बंध जाने पर गंगा जैसी नहर बहा दी, उसकी आप सराहना नहीं करते है, केवल यह कहते है कि इंजीनियर लोग बेईमान हैं।

हमारी यह निश्चित योजना है कि गंगा और यमुना पर बड़े बड़े बांध बना कर अधिक पानी का इन्तजाम करें। लेकिन वह मामूली सा काम नहीं है। उनको बनाने के लिये निश्चय ही बड़ा रुपया लगाना होगा। मैं माननीय राजदेव और चन्द्रदेव जी से कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष की जो सबसे बड़ी इंजीनियरों की देन है, वह नैपाल बांध है।

श्री चन्द्रदेव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नैपाल बांध के बारे में नहीं कहा। छितौनी बांध के बारे में कहा था। राम किशोर इंजीनियर २५ लाख रुपया वहां खा गया। दो तीन बार ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन रोक दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक बोलने वाले माननीय सदस्य बैठ न जायं, किसी को नहीं बोलना चाहिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

भाई चन्द्रदेव जी गुस्से में है, मेरे बड़े दोस्त है। मैं कह रहा था कि नैपाल बांध पिछले वर्ष की सबसे बड़ी देन है। देवरिया और गोरखपुर के लोग जानते है कि छोटी गंडक दोनों जिलों को तहस नहस कर देती थी, लेकिन आज इंजीनियरों की मेहनत से और आपके मेहरबानी करके रुपया देने से अब वह बाढ़ कभी न आयेगी।

अब जो छोटी मोटी बातें है माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देगें, लेकिन शिकायतों के बारे में मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमारे विभाग के लोग बिलकुल गलती करते ही नहीं। उनमें बेईमान भी हो सकते है, लेकिन हमारे नोटिस में अगर कोई खास बात लायी जायगी तो हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। झांसी के एक हमारे भाई ने सीमेंट को चोरी की बात कही। हम क्या करें? हम इस सदन में और बाहर भी बार बार यह कहते है कि हम किसी बेईमानी को छिपाना नहीं चाहते है। उसके लिये एक ही तरीका हमारे पास है कि जिसको आप बेईमान कहते हैं या समझते है उसकी जांच करावें, और उसके लिये हमने एक सर्तकता आयोग बनाया है जिसका हेड एक जज को बना दिया है और उसमें पुलिस से हटा कर एक आफिसर को उसकी सहायता के लिये रखा है। जिसके सुपुर्द यह काम कर दिया है। मैं आज भी इस हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी को बचाना नहीं चाहता हूं और इसीलिये एक स्वतंत्र जुडिशियल आयोग बना दिया है कि वह इस तरह के मामलों की जांच करके उसका फैसला करे। दुनिया में कई ऐसी भी चीजें हैं---जैसे जिसको आप बेईमान कहें वह अगर यहां न हो, तो उसे सुन कर तकलीफ हो सकती है। इसलिये हमने इस मामले को एक स्वतंत्र आयोग के सामने रखा है। जब कोर्ट में मुकदमा गया है तो या तो आप मुकदमे का फैसला देख लें या जो हमारी जांच है उसका फैसला देख लें और उसके बाद भी अगर आप यह कहना चाहें कि हम पार्शियलिटी करते है, तो मैं नहीं जानता कि मेरे पास कौन सा तरीका है जिससे हम आपको सन्तुष्ट कर सकें।

एक बात माननीय चन्द्रदेव जी ने यहां बार बार यह कही.....

एक सदस्य---

कई सौ बोरी सीमेंट की चोरी के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इन सब बातों का जबाव माननीय मंत्री जी देगें। माननीय मंत्री जी कोई कमजोर नहीं है, उनकी भुजाओं में मुझसे ज्यादा ताकत है। माननीय सम्बन्धित विधायक तो यहां से मालूम होता है कि चले गये।

श्री झारखण्डे राय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इन बातों का भी जबाव अवश्य देंगे कि पहले नहरें पश्चिम में बनी और अब कांग्रेसी राज्य में पूरब में बन रही हैं। पूरब में गांव करीब करीब हैं, तो आम शिकायत यह है कि नहरें जहां खुदी हैं वहां गाड़ियों या आदमियों के आने जाने के लिये पुल या पुलियों की संख्या बहुत कम है। इसलिये आम जनता की आसानी के लिये हर गांव के सामने एक पुल अवश्य बनना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका इतना इंटरवेंशन काफी है। आप अब बैठ जायं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय चन्द्रदेव जी खुलेआम छितौनी बांध के सिलसिले में २० लाख की चोरी का चार्ज लगा रहे हैं, तो उसका भी आप जबाव दीजिये।

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी माननीय चन्द्रदेव जी पर हमला कर रहे हैं, इस पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों हमला कर रहे हैं, आप इसे बन्द कीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बाद में उस बात पर भी मैं आऊंगा। माननीय झारखंडे राय जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा साधारण नियम यह है कि जो हम नयी नहरें बनाते हैं, उसके पहले जो जो रास्ते चलते होते हैं, उन रास्तों के ऊपर हम पुल बना देते हैं और जो नहर बनती हैं उसके बाद कोई नया रास्ता बनाना आवश्यक होता है, जैसे कोई रेलवे लाइन बन गयी या कोई पक्की सड़क बनती है तो जो विभाग उसको बनाता है उससे ही हम उनको बनवा देते हैं। आखिर यह सरकार तो आपकी ही है और जनसेवा के लिहाज से ही हम यह काम करते हैं, अगर कोई खास बात हो जाती है, जहां पर कि रास्ते न होने से गांव वालों को आने जाने में परेशानी हो तो जो नहर हम बनाते हैं, वह उन्हीं लोगों के लिये बनाते हैं। हमारा पैसा जो इसमें खर्च होता है वह भी उन्हीं के लिये होता है। फिर एक आध पुल के लिये कोई खास नियम तो होता नहीं, लेकिन यदि कोई खास असुविधा हो तो उसके लिये हमारा नियम बना हुआ है। अगर उसके लिये नियम बना हुआ न हो तब तो काम चलेगा नहीं। हमारा नियम यह है कि जो रास्ते या सड़कें पहले से चलते हैं अगर नहर बाद में आवे तो उन रास्तों और सड़कों पर पुल हमारा विभाग बनाता है। लेकिन अगर नहर बन गयी उसके बाद कोई सड़क या रेलवे लाइन निकलती है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह पुल बनवाये। इसके बाद भी मैंने यह कहा है कि अगर कहीं कोई खास दिक्कत हो तो उसको देखा जा सकता है।

श्री चन्द्रदेव—

छितौनी बांध के बारे में बतायें। २० लाख रु० खाया है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

क्योंकि यहां पहली बार छितौनी बांध का सवाल उठाया गया है और उससे पहले मेरी जानकारी में यह बात नहीं लायी गयी इसलिये मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले कागजात देख लूं तभी कुछ कह सकता हूं और जितना रुपया आप बताते हैं उससे आधा उसमें खर्च भी नहीं हुआ।

श्री चन्द्रदेव—

काफी घपला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्ति से बात करें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय चन्द्रदेव जी हल्ला करने से....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब मैं खड़ा हूं तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

सदन की व्यवस्था से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब वह खत्म कर लें तभी आप कहियेगा । अभी बैठें ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब कोई सदस्य सदन में बोल रहा हो तो बीच में....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, जब माननीय चन्द्र बली सिंह और माननीय उग्रसेन जी ने थोड़ा सा व्यवधान किया तो आपने उनको फौरन मुअत्तल कर दिया लेकिन दो माननीय सदस्य आस्तीन चढ़ा कर बोल रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था आप क्यों नहीं करते ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह उनकी आदत है, आप जानते नहीं हैं । आप कृपया बैठिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, बांध के बारे में जो शिकायत आयी इसको हाउस में पहली दफा उठाया गया है । आज से पहले मेरे पास शिकायत नहीं आयी है इसलिये बगैर देखे भाले जबाव नहीं दे सकता । लेकिन इतना बता दूं कि कागजों को जरूर देखूंगा और आवश्यक समझा तो हाउस में स्टेटमेंट दूंगा । मैं कभी चोरी को छिपाऊंगा नहीं । लेकिन कोई चीज आज ही यहां उठावें जिसकी मुझे पहले से कोई जानकारी न हो, तो मैं जबाव देने के लिये तैयार नहीं हूं । माननीय त्रिपाठी जी ने एक बात कही । मैं आपसे बात कर लूंगा और अगर किसी का कसूर है तो यकीन दिलाता हूं कि सजा दूंगा । बस इतना ही मुझे कहना है । मंत्री जी फाइनल उत्तर देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

एक स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं । जिस प्रकार पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने 'केसा' हम लोगों को दिखाया था उसी तरह से मूल्यांकन करने हेतु माता टीला तथा इसी प्रकार की ओ और योजनायें ह उनको भी दिखाने ले चलेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जरूर करायेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा। रहने की व्यवस्था हम करा देंगे। टिकट मुफ्त ही है। जितने माननीय सदस्य चलना चाहें चल सकते हैं।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से और उधर के बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस नीति को बदलना चाहिये, क्योंकि सरकार सिंचाई विभाग को भी आमदनी का जरिया मानती है।

अपने देश तथा अन्य प्रदेशों में ही नहीं वरन बाहर भी सिंचाई के साधन किसानों को इसलिये दिये जाते हैं कि वे महनत करके गल्ला ज्यादा पैदा करें जिससे कि गल्ले की समस्या हल हो सके और जो गल्ले की कमी रहती है वह पूरी हो सके। लेकिन अपने प्रदेश में उल्टी बात है। अपने प्रदेश में सरकार सिंचाई की दर बढ़ाना चाहती है। खेती के सम्बन्ध में सरकार सौतेली मां जैसा व्यवहार करती है। उद्योग धन्धों में बिजली की दर कम है, लेकिन खेती बाड़ी में बिजली की दर ज्यादा है। १९५४ में इस पार्टी के लोगों ने इस सम्बन्ध में सत्याग्रह किया फर्रुखाबाद में और उससे प्रभावित होकर सरकार ने सिंचाई की दर कम की थी, लेकिन पारसाल फिर सरकार ने सिंचाई की दर बढ़ा दी। अगर सरकार चाहती है कि किसान गल्ला पैदा करें तो उसको सिंचाई की दर अत्यन्त कम कर देना चाहिये और नाम मात्र की दर अपने प्रदेश में सिंचाई की उनको रखना चाहिये।

दूसरे सिंचाई का जो मैनुअल है वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के लाखों नर नारी को सिंचाई से यह सरकार लाभान्वित करना चाहती है तो पुराने बने हुए मैनुअल को बदलना चाहिये और नये जमाने की नयी परिस्थिति के अनुसार मैनुअल बनाया जाना चाहिये।

तीसरे नदियों के कटाव के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार अपने भवन तथा शहरों के कटाव को रोकने के लिये लाखों रूपयों खर्च करती है लेकिन गांव के कटाव को रोकने के लिये पैसा खर्च करने में हिचकती है और केन्द्रीय सरकार की ओर देखने की बात कहती है। अपने प्रदेश में घाघरा, राप्ती, गंगा, छोटी गंडक तथा बड़ी गंडक के कटाव से हजारों लोग खानाबदोशों की जिन्दगी बसर कर रहे है और अगर देहाती क्षेत्र के कटाव को रोकने की व्यवस्था यह सरकार नहीं करती है तो जिस प्रकार लाखों विस्थापित पाकिस्तान से आये उसी प्रकार प्रदेश में नदियों के किनारे कटने से वहां बसने वाले हजारों विस्थापित पैदा होते जायेंगे और रोजी का उनके लिये कोई सहारा नहीं रहेगा। न घर है, न द्वार है और वह फकीरों की तरह जिन्दगी बिताते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस काम के लिये पैसे की कमी हो तो केन्द्रीय सरकार से अनुदान लेकर नदियों के कटाव को रोकना चाहिये। पानी जहां जिन्दगी के लिये सोना उगाता है, वही यहां पर अभिशाप हो गया है और हजारों लाखों एकड़ जमीन नदी के पेटे में चली जाती है और लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। अगर आपको सही मानों में उत्पादन बढ़ाना है और नदियों के कटान को आप रोकना चाहते हैं तो आपको इस काम के लिये करोड़ों रुपया व्यय करना होगा और नये-नये बांध बनाने होंगे।

पानी की निकासी की समस्या भी हमारे यहां एक बड़ी जटिल समस्या हो गई है। पटेल आयोग की रिपोर्ट पर हमें आशा हुई थी कि लाखों एकड़ जमीन ऊपर उठाई जायगी, लेकिन हमारे जिले में और दूसरे जिलों में कहीं भी वह योजना नहीं चलाई गई। मैं चाहता हूं कि पानी निकासी की योजना ठीक से चलाई जाय और नहर सड़क और बांध बना कर जैसे भी हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्जीनियरों की राय से यह प्रबन्ध करना चाहिये । मेरठ बुलन्दशहर और मथुरा में जहां भी पच्छिम में पानी भरता है वहां भी नये सिरे से बांध पुलिया आदि बना कर इस समस्या का हल निकालना चाहिये ताकि पानी की रुकावट खत्म हो जाय ।

विभाग की ओर से यह सोचने का ढंग चल गया है कि अब घूसखोरी की शिकायत किसी को करना ही नहीं चाहिये और जो करेगा वह विभाग की तरफ से कोई अच्छी चीज नहीं समझी जायगी । नियम यह है कि ओवरसियरों का ४ साल के बाद स्थानान्तरण हो जाता है, लेकिन ५–५, १०–१०, २०–२० साल हो गये और एक जगह ही लोग पड़े हैं । आजमगढ़ और पिथौरागढ़ जो बिलकुल किनारे के जिले है, वहां पर जहां रहने का कोई ठिकाना नहीं है वह वहां मुद्दत से पड़े हैं । उनकी तरफ भी खयाल करना चाहिये ।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि सिंचाई का रेट कम किया जाय । वह बिलकुल नामिनल रखा जाय और दो फसली जमीन पर जायद का कोई पैसा न लिया जाय । इसके अलावा गांव में उद्योग धंधों के मुकाबले में बिजली सस्ते रेट पर दी जाय जिससे लोगों को सिंचाई के लिये प्रोत्साहन मिले ।

(श्री महरामसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी का भाषण होने के बाद और विरोधी पक्ष से भी अभी भाषण होने के बाद भी, हमें मौका नहीं दिया गया . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मंत्री जी का भाषण कहां हुआ है ?

श्री महरामसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मंत्री जी द्वारा सदन के सामने आज प्रस्तुत हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बहुत से माननीय सदस्य बार-बार बोलने के बाद भी सन्तुष्ट नहीं हो पाते और हर विभाग पर अपनी विशेष राय देना चाहते हैं । मैं उन से निवेदन करूंगा कि जब तक हर साथी को मौका नहीं दिया जायगा और तब तक हर क्षेत्र के प्रतिनिधि को अपने यहां की कमियां और तकलीफों को यहां रखने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक सही मानों में जनतंत्र और प्रदेश की सेवा नहीं होगी । मुझे आश्चर्य है कि पूर्व के साथी पूर्व की बातों को लेकर इतनी बात करते है और पच्छिमी जिलों के साथी भी कहते हैं कि पच्छिमी जिलों में इतना बड़ा नुकसान हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि पूर्व और पच्छिम के बीच के जो ४ जिले हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और बदायूं हैं, उनके २ हजार ग्रामों की बहुत बुरी दशा है । वहां पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाय कि इन पूर्व और पच्छिम के बीच के जिलों की क्या हालत है वह कितने पिछड़े हुये हैं ।

लेकिन वह पूरब और पश्चिम के टकराव में बीच का इलाका छूट जाता है और विकास के के कार्य का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है । इस समय बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सिंचाई मंत्री विद्युत् मंत्री भी हैं और इन दोनों चीजों का सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार से है जैसे जमीन और खाद्य का है । इसलिए मैं आपके द्वारा सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री से निवेदन करूंगा कि चूंकि विद्युत् की कमी नहीं है इसलिये कम से कम इतना प्रयास किया जाय कि हर विकास क्षेत्र में विद्युत् पहुंचायी जाय । भले ही आप ट्यूबवेल्स न बना सकें पर इससे निजी उद्योग पनपेंगे । एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम विकास क्षेत्र में और जहां पर थाने हैं उन पर तो बिजली देने में देर नहीं करनी चाहिए । हो सकता है कि १०–२० लाख रुपया इसमें लग जाय पर इससे बहुत बड़ा फायदा होगा प्रदेश की जनता का ।

[श्री महरामसिंह]

श्रीमन्, फर्रुखाबाद जिले की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर उन्होंने और उनके विभाग ने काफी प्रगति की है, परन्तु यदि हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था दुगुनी कर दी जाय तो खाद्य संकट को समाप्त किया जा सकता है। इसलिये खाद्य संकट को टालने के लिये हमें सिंचाई को बढ़ाना चाहिये। हमारे प्रदेश में सीमेंट की कितनी बड़ी कमी है। फर्रुखाबाद में इस विभाग के सैकड़ों सीमेंट के बोरे खराब हो गये, तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी जांच करवावें और जो इनके अधिकारी दोषी पायें जायें उनके विरुद्ध इन्क्वायरी कराकर उन्हें दंड दिलवावें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री बाबूसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैंने माननीय शर्मा जी के भाषण को सुना और जितने सम्मानित सदस्य हैं उनके भाषणों को भी सुना। भाषण सुनने के बाद हकीकत में, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिंचाई के जो कार्य चल रहे हैं उनकी गति बहुत धीमी है। पानी और खाने का सम्बन्ध है। पानी के ही द्वारा भोजन पैदा होता है और भोजन की जितनी परेशानी माननीय मंत्रियों को छोड़कर और बड़-बड़ लोगों को छोड़कर, सबके दिल पर बीत रही है, यह भली भांति हमारे मंत्री जी भी जानते हैं।

मान्यवर, जहां तक गर्की का सवाल है हम लोग दो तरह से परेशान है। कहीं पर अधिक पानी है और इतनी गर्की है कि उपजाऊ जमीन बेकार पड़ी हुयी है, जिसे हम पहले जोत रहे थे वहां आज बिल्कुल कुछ पैदा नहीं होता है। तालाब बने हुए हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लशमात्र भी पानी नहीं है और बिल्कुल भूड हैं। दोनों तरफ से हमारी मौत नजर आती है। माननीय शर्मा जी को बड़ा फख्र है। १२२ लाख एकड़ भूमि को सिंचित बना दिया। अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई लगभग ६८ लाख एकड़ भूमि में होती थी तो आपने इतनी रकम खर्च करने के बाद कितना सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया है? जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वह तो सर्वव्याप्त है। उधर के भी हमारे देवरिया के जो मेम्बर हैं कांग्रेस के, वह भाई न मालूम कांग्रेस की मीटिंगों में कितना इस पर कहते होंगे, उन्होंने इतनी बौखलाहट के साथ यहां शिकायतों को कहा। फिर भी अब भ्रष्टाचार क्यों फैलाते चले आ रहे हैं? जहां तक शर्मा जी का सवाल है वह सीधे आदमी हैं माफ करने वाले, लेकिन आपको प्रशासन के मामले में काफी कडाई से काम करना चाहिये, जिससे भ्रष्टाचार मिटने में मदद मिले। मंत्री जी को इस पर अवश्य कड़ाई करनी चाहिये और उनसे साफ कह दें कि यदि एक बोरी भी चली जायगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन यह होगा तब जब आप कोई बड़ों से प्रभावित न हों। आपको भ्रष्टाचारियों को बड़ी सजा देनी चाहिये, लेकिन आपने किनको सजा दी? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो समय गुजर गया वह गुजर जाने दीजिये, लेकिन अब से आपसे उम्मीद की जाती है कि जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उन्हें देखते हुये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जायगा। यदि आप उन्हें नहीं खत्म कर पायेंगे तो आप भी खत्म हो जायेंगे और मैं भी खत्म हो जाऊंगा और देश के सामने एक बड़ा भारी बावेला बना ही रहेगा। आज सीनियर जूनियर की ऐसी भावना जोरों के साथ पैदा हो गयी है जिसके कारण जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, पतरौल वगैरह उनकी तकलीफ न तो आपके अफसर आला सुनते हैं न आप सुनते हैं। इन्हीं छोटे कर्मचारियों की अंजुमन की बाराबंकी में एक मीटिंग हुई, जिसमें माननीय मंत्री जी को बुलाया गया और आपने जाना मंजूर नहीं किया। क्योंकि आपने मीटिंग में जाने से पहले तो चीफ इंजीनियर जी से पूछा कि बाराबंकी की मीटिंग में जाऊं या न जाऊं, यह मैंने सुना है, कह नहीं सकता कहां तक सच है। तो उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भोले-भाले शब्दों में कह दिया कि वहां जाकर क्या कीजियेगा। तो क्या मंत्री जी को अफसर से पूंछना चाहिये था, जो कि उनके अधीन है, आपकी पदवी बड़ी है, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपको तो इंद्र भगवान की पदवी दी गयी है और आपको इस भावना का आदर करना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल—

यह बात गलत है ।

श्री बाबूसिंह—

हो सकता है इसमें कुछ गलत हो। मैंने तो कह दिया कि मैं इसे अपने पूरे विश्वास के साथ नहीं कह रहा हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप छोटे-छोटे कर्मचारियों की बातों को सुनें और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कृपा करें क्योंकि वह इतनी मंहगाई में बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का जीवन काट रहे हैं। तो श्रीमन्, (लाल बत्ती होने पर) आपने तो झंडी दिखा दी। खैर, अब मैं अपने कुछ सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं, वह दे रहा हूं—

पहला सुझाव तो यह है कि जो हमारे पुराने ट्यूबवेल्स और नहरें हैं वह सब खराब हो गये हैं और नाकाम हो गये हैं, किन्तु सिंचाई के साधनों की गिनती में उनकी भी गिनती होती है। इसलिये अफसरों और मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिये और उनको काम के लायक बनाया जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि पहले अधिशासी अभियंता घोड़ों पर दौरे पर जाया करते थे और जहां देखते थे कि पटरी कहीं कट गयी है और कमजोर हो गयी है, उसे वह ठीक करा दिया करते थे। लेकिन आज तो कार पर चलते हैं गगनबिहारी लाल बन गय हैं, जिसके कारण वह वहां पर पहुंच नहीं पाते और वह खराब हालत में पड़ी रहती हैं, नीचे के कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि किसानों को अपने पास से उसे ठीक कराना पड़ता है ।

तीसरा सुझाव यह है कि जैसा अभी यहां पर कई सदस्यों ने कहा कि किसानों की फसलों का पानी निर्धारित होना चाहिये। आबपाशी हमसे पूरी ली जाती है, लेकिन पानी कम मिलता है।

चौथा सुझाव यह है कि आबपाशी के रेट भी काफी हाई हैं। यहां का किसान जो बड़ी मेहनत के बावजूद इतना कम पैदा कर पाता है कि कठिनाई से अपना भरण पोषण कर पाता है, उस पर इतना हाई चार्ज नहीं लगाना चाहिये ।

ट्यूबवेल का कमान्ड बहुत है, लेकिन उस पर पानी पहुंच नहीं पाता है। ७०० एकड़ देते हैं, ३००–४०० एकड़ दें तो ठीक रहे। जिससे यह १२२ करोड़ का जो सवाल है वह कम हो जाये। प्राइवेट पेमेंट करना पड़ेगा, यह कौन सी इंसाफ की बात है ? जिस तरह से शहरों में बिजली के लिये है जितना खर्च होता है उतना देते हैं, लेकिन यहां पर निर्धारित रकम कर देते हैं कि इतना देना पड़ेगा यह नाइंसाफी है ।

हरी खाद के लिये कम से कम यह कर दीजिये कि अगर कोई बो रहा है तो उसको पानी मिल जाय और उससे कोई आबपाशी न लें ।

ट्यूबवेलों और नहर के रास्तों को आम रास्ता कर दिया ।

रामघाट और सांकरा दो बड़े तीर्थस्थान हैं ९ मील का फासला है, खादर का इलाका है वहां जो ड्रेनेज है, वहां पुल बना है, एक दफा पुल बना और टूट गया और उसको बनाने म १० १२ हजार रुपये खर्च होते है और रास्ता कितना होता है तीन चार फर्लांग और उसके बाद फिर खादर का इलाका शुरू हो जाता है और उस सारे रास्ते से चल नहीं सकत, विशषकर बारिश के

[श्री बाबूसिंह—]

दिनों में, उन रास्ते पर हजारों रुपया खर्च होता है। अगर आप उन नालों को न पाटते, पुल भी न बनाते, सिर्फ सड़क को पुख्ता करा देते तो कम कीमत लगती और जनता को आसानी होती।

अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील में हरनपुर कलां हैं वहां की महापालिका से २५ रुपये प्रति बीघा पानी लिया जाता है। आप उस महापालिका के कर्मचारियों को लिखें कि काश्तकारों से इतना ऊंचा रेट क्यों लेते हैं। वहां के लिये या तो ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करें या फिर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे इतना ऊंचा रेट उन पर न लगे।

मैं कहता हूं कि सरकार तो नाराज होगी, माननीय सदस्यों को चाहिये इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें तो गरीबों का, इस प्रदेश का और आपका भाग्य भी खुल जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखता हूं।

*श्री गिरधारीलाल—

श्रीमन्, मैंने तमाम बात बड़े ध्यान से सुनीं और उसको भी सुना जो व्यक्तिगत बात मेरे विषय में भी कही गयी है। मैं समझता हूं कि पूरे हाउस के किसी भी सदस्य को वह बात कहने का हक नहीं है जब तक कि वह अपनी बात को चुनौती के साथ न रख सके। लोगों ने कहा कि मैंने सीमेंट विभाग के जरिये से लिया है। मैं काफी अरसे से मिनिस्ट्री में हूं और कुंवर श्रीपाल सिंह जी इस बात को जानते हैं, लेकिन इस तरह से बेबुनियाद एक बात उठाई गई। पहले भी एक दफा उठाई गई। कमलापति जी उस वक्त मिनिस्टर थे। उनके पास वह विभाग था। मैं इन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह सदन है, ७ करोड़ ८० लाख आदमियों की हम और आप नुमाइन्दगी करते हैं। आज एक पार्टी यहां हुकूमत चलाती है कल दूसरी पार्टी आ सकती है, वह लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने आज इस बात की कोशिश की है। मेरे सामने आपोजीशन में नायर साहब बैठे हैं वे जानते हैं। मेरे पास वह विभाग रहा है जिस विभाग में उन्होंने काम किया है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन यह फाइल पड़ी है, यह कागज रखे हैं यह सब आपके सामने हैं कि किस तरह से मैंने सीमेंट खरीदा है। जो एक साधारण नागरिक को अधिकार है अगर वह अधिकार किसी मिनिस्टर को आप देना चाहते हैं तब तो जो मैंने किया, वह सही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी की तबियत खराब है, कांप रहे हैं उनको बैठकर बोलने की आज्ञा दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप बैठकर बोलें।

श्री गिरधारीलाल—

इसमें आप देखें कि परमिट, कोआपरेटिव बैंक के थ्रू चेक और इस तरह की सब बातों का इसमें जिक्र है। वह इस फाइल में मौजूद है। यहां से लेकर आगे तक किस तरीके से यह सब चीजें हुई वह सब इसमें मौजूद हैं। इस वक्त सदन के सामने मैंने वह चीज रख दी है। मैंने मकान बनाया, केवल एक ही बनाया है किन्तु मेरे लिये यह कहा गया कि मैंने २,३ मकान हैं। मुझे भी मकान बनवाने का हक है। मैं समझता हूं जैसा सब नागरिकों को हक है, उसी तरह से मुझे भी हक है। जैसे हर नागरिक की इच्छा होती है। उसी तरह से मेरी भी इच्छा हो सकती है। क्या आप इस तरह से कहकर मेरी इच्छा से मुझको महरूम रखना चाहते हैं? मैंने जिस तरीके से मकान बनाया है उसके लिये मैं एक-एक चीज की सफाई देने के लिये तैयार हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस मामले में किसी तरह से पीछे नहीं हटता। मैं कहता हूं कि जिस तरह से चाहें उस तरह इंक्वायरी कराने के लिये तैयार हूं। जो लेबर का पेमेन्ट किया है और जिस तरह से मैटीरियल लगा है उसके लिये मेरा दावा है कि एक चीज के अन्दर भी गलती नहीं पाई जायगी। मैं १०, १२ साल से मिनिस्टर हूं।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री गयाप्रसाद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

बीच में कोई सवाल नहीं उठता।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, इस पर मुझे सख्त एतराज है। (व्यवधान)

श्री गयाप्रसाद--

मेरा प्रश्न यह है कि जो फाइल मिनिस्टर साहब ने फेंक दी है और जो सफाई दी है वह सब मुझे मालूम है और मैं जानता हूं, लेकिन मकान उनकी बीबी के नाम है और परमिट लिया है उन्होंने अपने नाम से.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल--

मैंने पहले इस बात को कहा कि वह मेरे नाम हो या मेरे किसी दूसरे आदमी के नाम में हो लेकिन जो अधिकार दूसरे नागरिक के, किसी के हैं, वही अधिकार मुझे भी हैं। अगर मेरी वाइफ के नाम हैं तो यह अधिकार जनसाधारण को भी है और अगर जनसाधारण को इस तरीके पर सामान मिल सकता है तो उस तरीके से मुझे भी मिल सकता है। इसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और अगर किया है तो आप देख सकते हैं। यह फाइल सदन के सामने मौजूद है। सदन इसका फैसला कर सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि एक दफा गयाप्रसाद जी और राजनारायण जी मेरे पास आये थे। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने मुझे यह बात कही थी। तब मैंने उनको सब स्थिति बतला दी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि उनको बड़ा अफसोस है और कहा था कि आपके ही आदमी ऐसा कहते हैं। आज कुछ दूसरी बात कही गई, जो मेरी समझ में नहीं आई। मुझे कोई और एतराज नहीं है, मुझे तो एतराज सिर्फ इस बात पर है कि जैसा स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि कोई व्यक्तिगत बात नहीं आनी चाहिये। इस समय जिम्मेदारी हमारे ऊपर जरूर है, लेकिन कल को इस स्थान पर आप भी आ सकते हैं। इसलिये अगर इस किस्म की बात बिना सोचे समझे कही जायगी तो एक दूसरे किस्म की बुनियाद हम सदन के अन्दर रखेंगे।

[श्री गिरधारीलाल]

जहां तक विभाग के बारे में बातें कही गयी हैं, उसमें बहुत सी तो जनरल हैं, बहुत सी अच्छी हैं। एक प्रश्न किसी ने यह उठाया था कि अंग्रेजों के समय में इतना काम हुआ, आज आजादी के बाद यहां इतना ही हुआ है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुगल पीरियड से लेकर अंग्रेजों के वक्त तक जितना काम हुआ था, उस डेढ़ सौ वर्ष में, उतना काम हमने सन् १९४६ से लेकर अब तक के समय में किया है। यह कहा गया कि रुपया बड़ा भारी खर्च हो गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ मध्यम प्रकार की हमारी योजनायें हैं और जो ऐसी हैं कि जिनका रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। उनके जरिये से करीब १ करोड़ ३० लाख एकड़ जमीन का सिंचन होने लगा है। कुछ योजनायें बड़ी प्रकार की हैं। उन मेजर प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट अभी ५–६ साल बाद ही हमारे सामने आयेगा। रिहन्द का भी जिक्र आया। उसका काम सन् १९५१ में शुरू हुआ था, वैसे उसकी चर्चा सन् ४७ में ही चली थी। तो मैं यह कहना चाहता था कि बड़ी-बड़ी योजनाओं का रिजल्ट, जैसे गन्डक प्रोजेक्ट है, राम गंगा प्रोजेक्ट है, उनका लाभ हमें अभी कुछ साल के बाद होगा। यह सब काम एक बनिये की दूकानदारी की तरह नहीं है। इन योजनाओं के अन्तर्गत काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमने जिस वक्त से जिम्मेदारी संभाली है, अपने हाथों में ली है, हमने अपना यह कर्त्तव्य समझा है कि हमार सूबे का कोई हिस्सा ऐसा न बचे जहां सिंचाई न हो पाये। हम इस प्रकार की कोशिश में हैं कि जल्दी जल्दी से हम अपने काम को पूरा करें। यहां पर यह भी कहा गया कि जिस तरह से काम हो रहा है उसमें बहुत समय लग जायेगा। आप यकीन रखिये, १ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि में जो मैंने सिंचाई का काम बताया है यह इस प्लान के आखिर तक और चौथी प्लान के आरम्भ होने तक अवश्य पूरा होगा। इसके अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका लाभ भी हमें चौथी प्लान के अन्त तक मिलने लग जायेगा।

इसके अलावा जो हमारा क्रैश प्रोग्राम चल रहा है, इस वक्त मेरे पास सही फीगर्स तो नहीं हैं, लेकिन इस सबसे भी करीब २०० एकड़ जमीन ऐसी है जो सिंचाई के अन्तर्गत आ जायेगी। इस समय भी आधी जमीन ऐसी है जिसमें सिंचन कार्य किसी न किसी तरह से हो रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में यह भी सवाल किया गया कि क्या ऐक्शन लिया ? तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष कई गजटेड आफीसर्स सर्विस से हटाये गये हैं, कई को कम्पलसरिली रिटायर किया गया है। करीब ७ ऐसे आफिसर्स होंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि जिस वक्त यह काम किया जाता है उस वक्त चारों तरफ से लोग सिफारिशें लेकर चलते हैं, किस-किस तरह से तिकड़में चलती हैं, मैनीपुलेशन्स होते हैं। अगर मैं आपके पास कहीं जाकर बैठता हूं तो फौरन आपके पास आकर पहुंचेंगे और कहेंगे कि चल कर उनसे कह दीजिये। यानी हर तरीके से कोशिश की जाती है।

यहां और बहुत सी बातें कही गईं। एक टेक्निकल आडिट सेल इसके लिये बनाया जा रहा है, क्योंकि मिनिस्टर खुद टेक्निकल आदमी नहीं होगा। आप लोगों में से कोई हों, तो हों, लेकिन मिनिस्टर नहीं हैं। तो जैसे यहां नालियों की और गूलों की बहुत सी बातें कही गईं, मुझे खुद शंका होती है, लेकिन मैं स्वयं उसको नहीं देख सकता। इसीलिए यह टेक्निकल आडिट सेल बनाया गया है, जिसका खास मतलब यह है कि वह हर जिले में जा जाकर गांवों के अन्दर देखेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ३–४ मिनट और दे दें, मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

अच्छी बात है, ५ मिनट टाइम और बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल––

तो जैसा मैं कह रहा था, इस प्रकार का टैक्निकल आडिट सेल विभाग से बिलकुल स्वतंत्र रूप में बनेगा, और मिनिस्टर और सेक्रेटरियट के या गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर होगा। उसमें कोशिश इस बात की है कि आदमी यहां के न हों बाहर के हों, और इस विभाग के न हों, दूसरे

विभाग के हों, जोकि स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करें। जो बातें कही गईं, वह किसी हद तक ठीक हो सकती हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बिजनौर के श्रीराम जी ने कुछ बातें कहीं, मुझे खुद उन बातों की शंका थी, पूरी कार्यवाही की गई है और बहुत से मामले सी० आई० डी० के सुपुर्द हैं। माताटीला का जिक्र किया गया। वह बात इस समय इस स्टेज में है कि उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन विभाग उसमें जो कर सकता था, वह कर रहा है और वह विजिलेंस कमीशन के सुपुर्द है। किसी ने यह कहा कि उसमें गवर्नमेंट को जानकारी नहीं गवर्नमेंट को फलां-फलां चीजें ले लेनी चाहिये, तो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट पूर्ण रूप से सजग हैं, हर बात के लिए और हमारी कोशिश है कि उसकी असलियत तक पहुंचा जाय और अगर उसम किसी की गलतियां हैं, तो उसको जितना उचित दंड है, वह मिलना चाहिये, जिससे कि पूरे विभाग के ऊपर एक अच्छा असर आ करके पड़े।

यह कहा गया कि पैदावार घटी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इर्रीगेशन के जरिये से जो पैदावार बढ़ी है, अलग से उसकी तो स्टेटिस्टिक्स मेरे पास इस वक्त नहीं हैं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि ईख की पैदावार ५१ में ५.२७ थी, ६१–६२ में वह ८.१ हो गई। इसी तरह से गेहूं की उपज ८.८ थी, जो ग्यारह प्वांइट कुछ हो गई। हालांकि इसके अन्दर हमारे सूबे के ऐसे इलाके आते हैं जोकि उपजाऊ नहीं थे, बंजर थे, ऐसे इलाके थे कि जहां सब–मार्जनल किस्म की जमीन थी। वह इलाके उसमें लिये गये और उसकी वजह से ईल्ड पर एकड़ कम होती है। तो इससे यह जाहिर होता है कि इर्रीगेशन से कितना लाभ हुआ।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह जो गल्ले के कमी की बात कही जाती है, आजादी के पहले आप हिसाब लगाकर देखें कि कितना गल्ला हमारे सूबे में बाहर से आता था और आज उसके मकाबिले में हमारे सूबे में कितना कम गल्ला आज आता है, जबकि हमारे यहां क रहन-सहन का स्तर नीचे के मजदूर से लेकर ऊपर के आदमी तक का बहुत अच्छा बना हुआ है।

इसके अलावा और जितनी बातें कही गईं, उनमें जितनी मुनासिब बातें हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। माननीय विजयपाल जी ने कुछ बातें नेपोटिज्म की बताई। मैं कहता हूं कि यहां से ऐसी बात नहीं हो सकती, वह मुझसे मिल करके बतलाते या मुझे चिट्ठी भेज देते तो मैं उसकी इन्क्वायरी करा कर उसका जबाब देता। और बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं, उनपर पूरे तौर से ध्यान दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से इस बात के लिये दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करे और मैंने जो शुरू में बात कही थी, उसमें अगर आवेश में कोई बात निकली हो, तो उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १७,९८,७९,२०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४९ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३१,८६,९७,१०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ९,०९,५३,१०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ग्राम दरेहटा, जिला उन्नाव में कलेक्शन कर्मचारियों द्वारा वसूली में किये गये अत्याचार के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम ५० के अन्तर्गत उन्नाव जिले के ग्राम दरेहटा में माल विभाग के अधिकारियों की ज्यादतियों के संबंध में जो विवाद उठाया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, इस संबंध में माननीय हरीशकुमार गंगवार ने प्रश्न किया था और मैंने भी प्रश्न किया था और उसके उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने जो जवाब दिया है और जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी प्राप्त हुई है वह यह कि माल विभाग और पुलिस के कर्मचारी ८ सितम्बर, १९६४ को लगान की वसूली के लिये दरेहटा गये थे लेकिन ज्यादती और मार-पीट और अत्याचार के जो समाचार हैं वह जांच पर सही नहीं पाये गये हैं । वे गलत हैं । मान्यवर, मुझे यही कहना है कि गृहमंत्री का जो यह जवाब है वह असत्य, निराधार, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण है और वह सत्य पर परदा डालता है । मैंने स्वयं मौके पर जाकर, ८ सितम्बर, १९६४ की घटना की १३ सितम्बर को स्वयं जाकर छानबीन की और एक लिखित रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को स्वयं दी और उसमें जो जो ज्यादतियां हुई उसका ब्योरा दिया । मान्यवर, घटना इस प्रकार है कि २१ अगस्त को एक कलेक्शन अमीन की हत्या हो जाती है ।

(इस समय ५ बजकर ३७ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

इस हत्या के हो जाने से माल विभाग के कर्मचारी और जिले के अधिकारी सभी रुष्ट हुए और जिलाधीश ने माल विभाग और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर एक मीटिंग की और योजना बनाई कि दरेहटा गांव को आतंकित करो और वहां के लोगों को अमीन की हत्या करने का मजा चखाओ । ८ सितम्बर को उस तहसील के नायब तहसीलदार व तहसीलदार व परगनाधीश व तहसील के सभी कुर्क अमीन व उन के सभी चपरासी, उन्नाव के एक डी० एस० पी० व थाना असोहा के इन्चार्ज व थाना अजगैन के इन्चार्ज और उनके साथ पांच छः

सिपाही और कुछ भाले कांतों से लैस गुंडे, गांव में पहुंचकर गांव को घेर लेते हैं और मार पीट शुरू कर देते हैं। मान्यवर, १६ आदमियों को पीटा गया और पांच स्त्रियों को पीटा गया। स्त्रियों को बेईज्जत किया गया। मैं उन स्त्रियों की बेइज्जती की कहानी जो उन्होंने मुझको सुनाई इस सदन में दुहरा नहीं सकता हूं। इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि ननकऊ की जवान लड़की को कांता इसलिये मारा गया था कि उसने अपना शील बचाने के लिये प्रतिरोध किया था। इसलिये उसको मारा गया। उसको लाठी मारी गई। उसकें हाथ की अंगुली फट गई। उसके सिर पर तीन इंच का घाव हुआ। गांव के लोग उसको सरोजिनीनगर अस्पताल ले गये परन्तु अधिकारियों को भय हुआ कि कहीं अस्पताल में जाकर इसका डाक्टरी मुआइना न हो जाय और रिकार्ड में यह केस न आ जाय। इसलिये इन्चार्ज असोहा भागे हुए अस्पताल गये और डाक्टर को मुआइना करने और भर्ती करने से मना कर दिया और वे बेचारे उस लड़की का इलाज बाहर से ही करवाते रहे।

इस मारपीट के बाद श्रीमन्, वे सभी घरों में घुसे। १७ घरों में लूट-पाट की। मान्यवर, रामदीन जो इस कत्ल का अभियुक्त था और जिसने आत्म-समर्पण कर दिया था उस के साथ किसी की हमदर्दी नहीं हो सकती। उसको तो इसकी सजा में फांसी होनी चाहिये, लेकिन गांव के लोगों से यह बदला किस लिये लिया गया? १७ घरों को लूट लिया गया। रामदीन और उनके दो भाई ध्रुवलाल व नन्हकऊ के घरों को बुरी तरह लूटा गया और तोड़-फोड़ की गई और उनके घरों की जो ले जाने वाली चीजें थींवे सरकारी गुंडे उठा ले गये और कपड़े बरतन और गल्ले को आंगन में इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी इस तरह तीन घर जो एक ही अहाते में थे, जल गये। इसके बाद भी अधिकारियों की डाह नहीं मिटी। इन अधिकारियों ने अपनी पीठ बचाने के लिये रामदीन के लड़के राम खिलावन के विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा आगजनी का कायम कर दिया। मैंने, श्रीमन्, जब गांव के लोगों की यह हालत देखी तो मैंने लिखित रिपोर्ट तैयार की और माननीय गृह मंत्री की सेवा में १५ सितम्बर को स्वयं पेश की। इससे पहले ९ सितम्बर को गांव के लोगों की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र मैंने स्वयम् माननीय गृह मंत्री को दिया था जिस पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था। आई० जी० पुलिस से भी फोन पर बातचीत की थी और उन्होंने भी जांच करने का वादा किया था, परन्तु १३ तारीख को जब मैं मौके पर गया था तब तक कोई अधिकारी जांच के लिये गांव नहीं पहुंचा था। (लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे और कुछ समय दिया जाय आपने तो अभी से लालबत्ती जला दी। लेकिन जब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को रिपोर्ट दी और दरेहटा का नाम लिया तो गृह मंत्री ने बिना मेरी रिपोर्ट पढ़े हुए जवाब दिया कि दरेहटा के मामले को आपने रस्सी का सांप बना दिया है। यह उन्होंने इसलिये कहा था कि जिलाधीश की रिपोर्ट उनके पास आ चुकी थी जिसने पहले ही सांप को रस्सी बना कर उनके पास भेज दिया था। मैंने कहा कि दरेहटा में रस्सी और सांप दोनों मौजूद हैं, आप स्वयं चल कर देख लीजिये। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इस विषय में मैं और जांच न कराऊंगा, क्योंकि इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। मैंने फिर भी उनसे निवेदन किया कि अगर पुलिस दोषी नहीं है तो फिर भी अगर कोई भी इस प्रकार की घटना करता है तो गृह मंत्री के नाते आप को जांच करवाना चाहिये परन्तु उन्होंने जांच करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैंने इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा लेकिन कोई जांच नहीं हुई और नन्दा जी को भी लिखा लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं कराई और उनकी सदाचार समिति भी सो गई। पार्लियामेंट के सदस्य, श्री राम सेवक यादव, ७ अक्टूबर को वहां गये और उन्होंने भी जांच की और रिपोर्ट दी लेकिन उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। 'स्वतंत्र भारत' के पत्रकार यहां जांच करने के लिये गये और रिपार्ट दी लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। जिला परिषद् ने इस विषय में प्रस्ताव पास किया तथा सूर्यप्रसाद मिश्र जो जिला किसान संघ के मंत्री हैं और सूबा कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी वक्तव्य दिया और सरकार का ध्यान आकर्षित

[श्री भीखालाल]

किया और मांग की कि इसकी जांच की जाय, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। सूर्य प्रसाद जी मिश्र ने जो इस संबंध में कहा है उसकी कुछ लाइन में आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं—

> "जहां यह एक कटु सत्य है कि मौके पर शातिर गुंडों ने अधिकारियों की शह पर गांव दरेहटा में लूट-पाट की और अग्निकांड किया वहां यह भी सत्य है कि घटना के मुख्य जिम्मेदार जिलाधीश, एक अस्थाई डिप्टी कलेक्टर और तीसरे अस्थायी उप-पुलिस अधीक्षक ने, अपने प्रिय पात्र अराजक तत्वों को, जो दरेहटा ग्राम के निकटस्थ थे, वहां भेज कर यह कृत्य कराने हेतु, न केवल प्रेरित किया वरन् उन्हें नादिरशाही फरमान को कार्यान्वित करने पर मजबूर किया।"

यह सब चीज कतई जिलाधीश के इशारे पर हुई और माननीय मंत्री जी ने उसकी जांच न करा के नादिरशाही मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार से उन्होंने जनतंत्र पर कुठाराघात किया है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि पुलिस कप्तान जांच करने गये। वह उसी दिन जांच करने गये थे जिस दिन श्री राम सेवक यादव, एम० पी०, भी वहां मौजूद थे। उन्होंने स्वयं देखा कि असोहा और अजगैन के दरोगा जिनका इस घटना से संबंध था वे भी वहां कप्तान के साथ मौजूद थे और लोगों को धमकी दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्श ने, जब सही बात को बताने का प्रयत्न किया तो कप्तान द्वारा उसको बेंत लगाये गये। मैंने यह भी सुना कि इसमें मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जावेगी परन्तु इंक्वायरी में किसको तैनात किया गया? उसी परगनाधीश को जिसके आदेश से यह सब कांड हुआ था। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह मौके पर जांच करने ही नहीं गया और अगर उसने कोई रिपोर्ट दी है तो घर बैठे-बैठे उसने रिपोर्ट दे दी। मेरी मंत्री जी से यह मांग है कि जब जिलाधीश का इस संबंध में एक तरह का कहना है और दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधियों का दूसरा कहना है तो क्या उनके दिल में कोई सन्देह पैदा नहीं होता? अगर संदेह पैदा होता है तो कौन सी ऐसी तीसरी एजेन्सी है जिसके द्वारा उन्होंने इसकी सत्यता को मालूम करने का प्रयास किया है? उन्होंने तो केवल जिलाधीश की रिपोर्ट को सही मान लिया और आज भी उसी को रटते जा रहे हैं। मेरी मांग है कि सरकार को इस विषय में जांच करानी चाहिये। जिन लोगों ने वहां मौके पर देखकर अपने विचार प्रकट किये उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात हो रही है और जिला अधिकारी जनता की जबान को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार एक मूक दर्शक की तरह इन सब चीजों को देख रही है। 'स्वतंत्र भारत' के पत्रकार, श्री राम सेवक यादव एम० पी० और सूर्य प्रसाद मिश्र के विरुद्ध पुलिस प्रासीक्यूटर द्वारा अदालत की मान-हानि का मुकदमा दायर करा दिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार को अदालत की मानहानि की रक्षा करनी ही थी तो जिलाधीश के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जिसने ९ अक्टूबर को 'स्वतंत्र भारत' तथा दूसरे पत्रों में स्पष्टीकरण दिया? जब अदा-लत में मुकदमा था तो उन्होंने अखबारों में बयान क्यों दिया? मेरी मांग है कि इसमें सी० आई० डी० द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिये और जो इस कांड के लिये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, यह जो श्री जगतनारायण अमीन की हत्या के सिलसिले में प्रश्न आया है, यह बड़ी ही दुखद घटना है और मैं माननीय सदस्य से यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसे दुखद समाचार को सुन कर हमको कोई खुशी नहीं होती है बल्कि बहुत दुख होता है और पूरी इच्छा होती है कि उसकी जांच करायी जाय और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आवें उस पर अवश्य कार्यवाही की जाय। लेकिन मजबूरी यह है, जैसा कि खुद माननीय सदस्य ने कहा कि यह मुकदमा अदालत में चल रहा है। जो श्री जगतनारायण अमीन की हत्या हुई उसमें

रामदीन पासी गिरफ्तार हुये और उन पर मुकदमा न्यायालय में है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के अधिकारियों ने खुद ही आग लगा कर इस वाकये को बनाया, वह मुकदमा भी अदालत के सामने चल रहा है । फिर इसमें कौन सी इनक्वायरी हम करा सकते हैं और क्या इनक्वायरी कराना मुनासिब होगा ? क्या इससे अदालत की मानहानि नहीं होगी, यदि हम इस समय इनक्वायरी करायें ?

एक तरफ का यह कहना है कि रामदीन के लड़के ने खुद आग लगायी क्योंकि क्लेक्शन के लिये जब अधिकारी उनके पिता के पास गये और उन्होंने रुपया मांगने पर गोली मार दी। इसके बाद सरकार का कोई अमीन वहां डर के मारे रुपया मांगने जाता नहीं था । तो यह सरकार का और वहां के अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे उनके हौसिले को बढ़ावें, केवल इस माने में कि रुपये की वसूली हो सके, न कि यह कि किसी बेगुनाह को मारें या किसी के घर में आग लगावें और किसी का नुकसान हो। इसीलिये अमीनों के डर को हटाने के लिये क्लेक्टर ने आदेश दिया था कि एस० डी०, एम०, डी० वाई० एस० पी० को लेकर मौके पर जायं। उनके साथ वहां सिपाही और थानेदार जो गये उनके पास भी कोई हथियार नहीं था । सिर्फ दो थानेदार थे जिनके पास रिवाल्वर था, जिसके लिये रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्तनों को उसके कुन्दे से तोड़ा। इसके अलावा उनके पास हथियार थे ही नहीं । केवल अमानत के जो कर्मचारी थे उनके पास डंडे जरूर थे। तो जैसा कि मैंने कहा-मुझे इस घटना से बहुत दु ख है, लेकिन अदालत में मुकदमा चलने के कारण न तो यहां स्पष्टीकरण देना मुनासिब होगा और न कुछ कहना ही मुनासिब होग। अदालत का फैसला आने के बाद हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिसको कि विभागीय तौर पर वे सही समझते हैं, जिस महिला को कांते की चोट लगी या जो १६ आदमियों या इससे कुछ कम ज्यादा लोगों को मारने से चोट लगी, वह चोट उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लगायी या किसी अन्य ने लगायी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, केवल जो स्त्री हैं उनकी चोट की बात थी जिनके लिये कहा जाता है कि उनको कांते की चोट लगी और किसको किसको क्या चोट लगी, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है और न किसी रिपोर्ट में ही है ।

श्री झारखण्डेराय—

मेरा कहना यह है कि क्या आपकी रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ है कि उस लड़की ने स्वयं अपने ऊपर चोट लगायी या किसी और ने लगायी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास केवल यही सूचना है कि वहां किसी अधिकारी ने किसी को चोट नहीं पहुंचायी और न किसी अधिकारी ने आग लगायी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जगतनारायण अमीन से पहले बहुत ज्यादा कहा-सुनी हुई थी रामदीन के साथ, जिससे कि वह लगान वसूल करने के लिये गया था और रामदीन को अमीन ने काफी गाली दी, इसी के आधार पर रामदीन के खिलाफ यह मुकदमा चला और मुकदमे में सिर्फ उसी का नाम दर्ज है और किसी का नाम दर्ज नहीं है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

रामदीन पर मुकदमा चल रहा है। वह रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

केवल राम दीन पर मुकदमा चल रहा है या उसमें और दूसरे लोग भी शामिल हैं ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

राम दीन पर मुकदमा चल रहा है। पहले मुलजिम में जिसका नाम होता है उसी के ऊपर पहले मुकदमा चलता है। अब उसमें और कौन-कौन हैं, मैं नहीं जानता। रिपोर्ट में है कि रामदीन ने उस अमीन का कत्ल किया, लेकिन वहां कोई और भी मौजूद था, इस बारे कुछ नहीं कहा गया है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिला परिषद् उन्नाव ने सर्वसम्मति से इस घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की मांग की है, मैंने स्वयं वहां जाकर जिलाधीश के वर्जन को गलत पाया है और घटना को सही पाया है, एम० पी० भी गये, माननीय भीखा लाल जी भी गये, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, सिर्फ उस मामले को छोड़ कर, आग लगाने के मामले को, जो अदालत में विचाराधीन है, बाकी अधिकारियों के ऊपर जो अत्याचार के आरोप हैं उनकी जांच तुरन्त करेंगे और जब आग लगाने वाले मुकदमे का फैसला हो जायगा तब उसकी भी जांच करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चूंकि यह सब मामले एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग नहीं किये जा सकते, मेरे लिये यह असम्भव होगा कि दो समानान्तर जांच हों, एक अदालत से और दूसरी सी० आई० डी० से।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मैं फिर वही सवाल दोहराना चाहता हूं जो श्री श्रीराम तिवारी ने किया कि जो कांड दरेहटा का हुआ है उसके दो हिस्से हैं। एक तो अधिकारियों का यह वर्जन है कि आग खुद लगा ली राम अधीन के लड़के ने। वह एक रिपोर्ट है उसके ऊपर दफा ४३६ का मुकदमा चल रहा है। एक दूसरी रिपोर्ट जिसमें जिम्मेदार लोगों की ऐवीडेंस है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को क्या दिक्कत है उस मामले की जांच कराने में जो दूसरा वर्जन है जिसमें रेस्पांसिबिल लोगों के स्टेटमेंट सामने आ गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने इसका उत्तर दे दिया कि सब मामले एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। लेकिन जो आपने कहा कि जिम्मेदार लोगों के बयान हैं तो वह अदालत में जा करके बयान दें, कोई नहीं रोकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वक्त न्यायालय के विचाराधीन दो मुकदमे हैं, एक मर्डर का और दूसरा जो वहां पर आग लगायी। लेकिन दूसरे जो वहां के जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारियों पर आरोप हैं कि जिलाधीश, एस० डी० ओ० और पुलिस कप्तान, इन लोगों ने जो प्रशासन के उनके कार्य हैं उनमें उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी की है, नाजायज तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, इसलिये क्षेत्रीय जनता में गहरा असंतोष है कि प्रशासन का यह स्वरूप जो उनके सामने आया है मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि

क्या आप स्वयं, क्योंकि जिम्मेदार लोग दोनों तरफ से हैं, पार्टी का सवाल नहीं है, जिम्मेदार जनता के नुमाइन्दों और संस्थाओं ने आरोप लगाया है, उस पर उप-मंत्री जी जा करके, प्रशासकीय जो दुरुपयोग किया गया है सत्ता का, उसकी जांच करके प्रशासकीय दृष्टि से काम करेंगे ताकि जनता को संतोष हो ? नहीं तो ऐसे आदर्श प्रश्न पर भी अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो लोगों का प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जायगा ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

करना तो चाहता हूं, लेकिन कानूनी अड़चन है, मुकदमा चल रहा है । और जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक मेरे लिये कोई दूसरी जांच करना सम्भव नहीं है ।

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री जगन्नारायण जो अमीन मारा गया है इसका बहनोई चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी के आफिस में काम करता है इसीलिये जिलाधिकारियों ने यह कांड किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

माननीय सदस्य की जो सूचना है, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री मुलतानसिंह---

क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं ।

श्री कुमार करुण कृष्ण नायर (जिला बस्ती)---

जहां तक मैं समझता हूं प्रशासकीय वृन्द के खिलाफ जो आरोप है वह किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । जिन लोगों ने जनता की ओर से शिकायत की है वे न इस मामले में गवाह हैं और न मुलजिम हैं, तो ऐसी सूरत में क्या बाधा है जिसकी वजह से गृह मंत्री जी इस शिकायत की जांच करने से हिचक रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने बार-बार कहा कि इस मामले के किसी पहलू पर जांच करूंगा, लाजमी उसका असर पड़ेगा उस मुकदमें पर । इसलिये जब तक मुकदमा चल रहा है मेरे लिये तब तक कोई जांच करना संभव नहीं है ।

श्री झारखण्डेराय---

८ सितम्बर को जिस दिन यह दुर्घटना हुई तब इतने बड़े अधिकारी माल विभाग के और पुलिस के किस लिये गांव में गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

रामदीन के कत्ल के बाद कोई विभागीय अधिकारी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था ताकि लगान वसूल हो सके । इसलिये एक मैजिस्ट्रेट भेजा गया, एक अमीन भेजा गया और उनकी रक्षा के लिये एक डी० एस० पी० भी गये ताकि लगान वसूल हो सके ।

श्री जियाउर्रहमान---

मैं यह जानना चाहता हूं कि ४३६ का मुकदमा किस तारीख से अदालत के सामने विचाराधीन है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२१–८–६४ को कत्ल हुआ। ८–९–६४ को जिलाधीश के आदेश से ए० डी० एम० वहां गये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जब यह काण्ड हुआ और भीखालालजी की रिपोर्ट मिली, तो क्या माननीय मंत्रीजी या उपमंत्री इस भीषण विभीषिका को देखकर वहां गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं गये और अब क्या दोनों में से कोई सज्जन केवल जनता को सान्त्वना देने के लिये वहां जाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जब ऐसे ऐसे बड़े आदमी वहां गये थे तो मेरे या उपमंत्री जी के जाने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री भीखालाल—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से और सवालों के उत्तरों से उस समस्या का, जो आतंक वहां फैला हुआ है, कोई हल नहीं निकला। यह सरासर वहां के अधिकारियों को डिफेंड करने का तरीका है कि मामला अदालत में है और हम जांच नहीं कर सकते। ८ तारीख की घटना है, ९ को गांववालों ने दरख्वास्त दी। १५ तारीख को मैंने खुद रिपोर्ट दी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस समय तक अदालत में कोई बात नहीं पहुंची थी। उस समय उन्होंने क्यों नहीं जांच कराई ? मुझे यह भी मालूम हुआ है कि मुकदमा इसलिये करा दिया गया है कि मामला ठंडा पड़ जाय इसलिये इसे लटका दो। गृहमंत्री जी के इस कारनामे से वहां की जनता में बड़ा भारी असन्तोष है और आतंक छाया हुआ है। कोई अधिकारियों के खिलाफ जबान नहीं खोल सकता। अधिकारियों का नादिरशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। २६ जनवरी को जो वहां मीटिंग हुई उसमें जिले के नुमाइन्दों ने, पार्लियामेंट और असेम्बली के सदस्यों ने, सब ने एक स्वर से मीटिंग में कहा कि हमारे जिले का जिलाधीश देशद्रोही है, निरंकुश है, और नादिर-शाही उसके काम हैं। उसके कामों से जिले में अशान्ति फैलेगी और उसका दोष मढ़ जायगा जनता के ऊपर और उधर के बैठनेवालों के ऊपर। इसलिये मेरी पुनः मांग है कि २ पहलू जो आपके सामने रखे गये उनमें से अदालती कार्यवाही हो रही है तो हो, लेकिन सरकारी अधिकारियों के आचरण संबंधी जांच तो सरकार कर ही सकती है। मारना, पीटना, लूटना, धमकाना, इन सब बातों की जांच आप कर सकते हैं। इससे जनता को सन्तोष होगा। अगर आप इन्क्वायरी नहीं करेंगे तो जनता की आस्था जनतंत्र से उठ जायगी और यह प्रजातंत्र के लिये घातक होगा। अगर आप वहां जावेंगे तो जनता को राहत मलेगी।

श्री हरगोविन्दसिंह—

माननीय सदस्य ने बहुत से विशेषण इस्तेमाल किये। वह सब करने में तो मैं असमार्थ हूं कि मैं भी वैसे ही शब्द इस्तेमाल करूं। जो तरीका उन्होंने बतलाया है अगर वैसा किया जय तो कोई शासन चल नहीं सकता है। वह बात जो आप कह रहे हैं, सत्य हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचने की बात है कि वह बात असत्य भी हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि जब मुकदमा चल रहा है, कानूनी अड़चन मेरे सामने है जांच करने में। आपने जो दरख्वास्त हमको दी उसकी जांच हमने कराई और सी० आई० डी० को मामला दिया ताकि उसमें जिला-धीश या हमारे विभाग का कोई मनुष्य कुछ न कर सके। सी० आई० डी० की रिपोर्ट आई भी। लेकिन जब मुकदमा अदालत में चला गया तो हम विवश हो गये।

दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि मुकदमा स्टे कर दिया गया है। आप लांछन किसी जज पर लगा सकते हैं कि टाइम निकालने के लिये स्टे कर दिया गया है, मगर मैं नहीं लगा

सकता। स्टे जज के आर्डर से हुआ होगा और मुझे मालूम भी नहीं है कि स्टे हुआ या नहीं। जब मुकदमा खत्म हो जायगा तब इसकी जांच अवश्य करेंगे और जो भी उसमें दोषी पाये जावेंगे उनको जरूर दण्ड दूंगा, जो दे सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ मार्च, १९६५।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५८ पर]

कानपुर में १-२-६५ तक के बिक्री-कर के बकायादारों की तालिका

क्रम सं०	मिल मालिकों के नाम	बकाये की अवधि	रकम
१	२	३	४
			रु० पै०
१	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स बिहारी निवास, कानपुर ।	५७–५८	१,७१,५४९.५०
२	अथरटन वैस्ट कम्पनी	५७–५८	३७,५००.२२
		५७–५८ (केन्द्रीय)	१२,१९७.००
		योग..	४९,६९७.२२
३	महेश्वरी देवी जूट मिल्स	५७–५८	४५,१९७.९०
		५८–५९	१५,०६०.०२
		६०–६१	१५,५६१.८६
		६१–६२	२०,७५०.००
		६२–६३	४१,७७१.८०
		६३–६४	८९,९९५.७६
		६१–६२ (केन्द्रीय)	७१,६३४.२८
		योग..	२,९९,९७१.६२
४	एच० जी० मिश्रा, एण्ड कम्पनी	५५–५६	६७,९१५.७५
		५६–५७	१,०९,४२१.३६
		५७–५८	२३,२०६.३५
		५८–५९	१२,५३५.३८
		योग..	२,१३,०७८.८४
५	जे० के० रेयन फैक्ट्री	६३–६४	६,९४७.६६
		६३–६४ (केन्द्रीय)	६,४७,५९८.८९
		योग	६,५४,५४६.५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	मिल मालिकों के नाम	बकाये की अवधि	रकम
१	२	३	४
			रु० पै०
६	कानपुर रोलिंग मिल्स	५५–५६	१५,६२५.००
		५६–५७	८६,९३७.००
		५७–५८	१,४२,९३७.००
		५८–५९	४,५३९.४८
		५९–६०	२१,२४७.१४
		५८–५९ (केन्द्रीय)	१,८५,२८३.६१
		५९–६० (केन्द्रीय)	२,८०,०३२.७२
		योग..	७,३६,६०१.९५
७	कानपुर प्लेट मिल्स	५६–५७	४,९२१.८७
		५७–५८	५,६८४.३७
		५८–५९	४,०६२.५०
		५९–६०	२,८३६.७५
		५९–६० } (केन्द्रीय)	९३.९८
		६०–६१ } (केन्द्रीय)	३,६३०.६६
		योग..	२१,२३०.१३
८	यू० पी० रोलिंग मिल्स	५८–५९	५०,०००.००
		५९–६०	५४,३९१.७७
		६०–६१	१६,०००.००
		६१–६२	२६,०००.००
		६०–६१ } (केन्द्रीय)	३०,०००.००
		६१–६२ } (केन्द्रीय)	३०,०००.००
		योग..	२,०६,३९१.७७
९	जे० के० आइल मिल्स	५७–५८ (केन्द्रीय)	१०,०००.००
		५८–५९	१७,६४५.१५
		६१–६२	१६,०५६.५६
		योग..	४३,७०१.७१

क्रम-संख्या	मिल मालिकों के नाम	बकाये की अवधि	रकम
१	२	३	४
१०	न्यू विक्टोरिया मिल्स	५७–५८	३७,३३३.५०
		५९–५० (केन्द्रीय)	२,५९२.९८
		योग	३९,९२६.४८
११	म्योर मिल्स कं० लि०	५७–५८	६,२९,५७१.५३
		५८–५९	१,५००.००
		५८–५९ }	१००.००
		५९–६० } (केन्द्रीय)	१०,७७६.९७
		योग	६,४१,९४८.५०
१२	नन्हूमल ज्योति प्रसाद	५६–५७	६९,८८४.७८
		५७–५८	७७,१७२.२८
		५८–५९	८९,१०५.४५
		५९–६०	५४,१५७.१३
		योग	२,९०,३१९.६४
१३	कानपुर वनस्पति स्टोर्स	५७–५८	३,५२,२३१.१९
१४	जगदीश रोलिंग मिल्स	५८–५९	१२,०९१.३०
		५९–६०	३९,७८०.६६
		योग	५१,८७१.९६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर]

क्रम-संख्या	छात्राध्यापिका का नाम	पूर्ण योग्यता	विशेष विवरण
१	२	३	४
१	(कु०) जरीना अख़्तर ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९६४	
२	श्रीमती रजिया खातून ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९५८	अनुपस्थिति के कारण दिनांक ११-२-६५ को नाम कट गया।
३	(कु०) मुमताज सिद्दीकी ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९६३	"
४	(कु०) आस्मा खातून ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९६४	
५	श्रीमती मनोरमा शुक्ला ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९६३	
६	(कु०) किरन सक्सेना ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९६४	
७	श्रीमती उषा अवस्थी ..	इन्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी १९५७	
८	श्रीमती पद्मा देवी शुक्ला	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६२	
९	श्रीमती विमला निगम ..	हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी १९६४	
१०	श्रीमती कृष्णा रस्तोगी ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६३	
११	(कु०) असमत यूसुफ ..	हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी १९६२	
१२	(कु०) शम्स फातिमा रिजवी ..	हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी १९६३	
१३	(कु०) सलमा खातून ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६४	
१४	(कु०) शमीम बानो ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९५२	
१५	(कु०) गायत्री सक्सेना ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६०	
१६	(कु०) बसीमा खातून ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९५३	
१७	(कु०) असीमा सिद्दीकी ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६०	
१८	(कु०) सिसिलिया सरकार ..	हाई स्कूल तृतीय श्रेणी १९६४	
१९	(कु०) शमा अफरोज ..	जू० हाई स्कूल, तृतीय श्रेणी १९६०	
२०	श्रीमती मुन्नी देवी गुप्ता ..	" " १९६०	
२१	(कु०) फरीदा बानो ..	" " १९६४	
२२	(कु०) अनवर जहां ..	" " १९६४	
२३	श्रीमती निर्मला रस्तोगी ..	" " १९६२	
२४	परवीना ..	" द्वितीय श्रेणी १९६४	

क्रम-संख्या	छात्राध्यापिका का नाम	पूर्ण योग्यता	विशेष विवरण
१	२	३	४
२५	साहिबा खातून ..	जूनियर हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी	१९६४
२६	(कु०) शमीम बानो ..	" " तृतीय श्रेणी	१९६४
२७	पुष्पा सक्सेना ..	कक्षा ९ पास तृतीय श्रेणी	
२८	श्रीमती उम्मे हबीबा ..	कक्षा ८ वि० वि० द्वि० श्रेणी मु० अं० के साथ ।	
२९	श्रीमती सरोजिनी देवी शुक्ला ..	विद्या विनोदिनी मु० अंग्रेजी द्वितीय श्रेणी ।	
३०	श्रीमती निर्मला शुक्ला ..	मु० अंग्रेजी विद्या विनोदिनी	
३१	श्रीमती किरन बाला देवी सिन्हा	कक्षा ९ तथा वि० वि० उ० प्र० के साथ ।	

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर]

रिसर्च इंस्टीट्यूट में १९६२–६३ और १९६४ वर्षों में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

वर्ष १९६२–६३

१—८ भवन तथा २ सेतुओं के लिये नींव समन्वेषण का कार्य किया गया तथा उचित सुझाव दिये गये ।

२—लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बांधों के रक्षण के लिये अनुसंधान कार्य किया गया तथा फिल्टर टो बनाने के लिये सुझाव दिये गये ।

३—फर्शों में आर्द्रता रोकने के लिये प्रयोग किये गये तथा क्षेत्र में ४ प्रतिशत द्रव डामर के साथ बालू प्रयोग करने के लिये सुझाव दिये गये । एक विवरिणका भी प्रकाशित की गई है ।

४—११ सड़कों के टूटने के कारणों का पता लगाया गया तथा उनको सबल बनाने के लिये सुझाव दिये गये ।

५—अनुकूल स्थायीकरण मिश्रणों के परिकल्पना के लिय प्रयोगशाला अनुसंधान किये गये । इस साधन से बनी हरौनी तथा लखनऊ मोहान सड़कों पर अवनीक्षा लम्बाई बनाई गई ।

६—कुओं की गहराई की परिकल्पना के लिये तीन नदियों के नितलों में बालू के सिल्ट फेल्टर निकाले गये ।

७—अनेक निर्माणाधीन सेतुओं के लिये कंक्रीट मिश्रणों की परिकल्पना की गई तथा क्षेत्र अभियन्ताओं को सुझाव भेजे गये जो क्षेत्र अभियन्ताओं ने अपनाये ।

८—सीमेंट की बचत के लिये पार्शियली सेट (Partially Set) कंक्रीट कुओं की प्लगिंग (Plugging) में प्रयोग करने का एक ढंग निकाला गया । आगरा जिले के दो पुलों में इसकी अवनीक्षा की जा रही है ।

९—सीमेंट के मसाले तथा अन्य पदार्थों के बहुत से नमूनों की जांच करके परिणाम भेजे गये हैं ।

वर्ष १९६३–६४

१—कम्पेक्शन (Compaction) तथा स्थायीकरण (Stabilization) का ज्ञान कराने के लिये ३ प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

२—सड़क के नीचे की तहों को सुदृढ़ बनाने हेतु मिट्टी को दबाने के लिये विस्तृत विवरण व आदेश तैयार किये गये व विभागीय अधिकारियों एवं अधिदर्शकों को इस नयी प्रणाली से परिचित कराने के लिये सात वृत्तों में क्षेत्रीय प्रदर्शन किये गये । इसके विषय में एक विवरणिका भी जारी की गई ।

३—सड़कों की ७५ मील लम्बाई के टूटन के कारणों का पता लगा कर क्षेत्रीय अभियन्ताओं को आवश्यक सुझाव दिये गये ।

४—२९ प्रस्तावित भवनों एवं पुलों की बुनियादों का अनुसंधान किया गया ।

५—लखनऊ जिले में बनी हरौनी-तिरवा सड़क एवं सीतापुर जिले में सीतापुर-लखीमपुर सड़कों पर सड़क बनाने की नयी प्रणालियों की जांच करने के लिये पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किये गये ।

६—सड़क के नीचे की तहों में स्थायीकरण के सिद्धान्तों का प्रयोग करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत चार सड़कों के आगणन सड़क बनाने की नयी प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार द्वारा बनाई गयी अभिनिर्धारण समिति (Assesment Committee) द्वारा स्वीकृत कराये गये। इन चार सड़कों में से एक पर कार्य आरम्भ हो गया है।

७—निम्नलिखित अन्वेषणीय समस्याओं पर कार्य किया गया—

(१) विभिन्न प्रकार की बालुओं की उपयुक्तता का तुलनात्मक अध्ययन।

(२) विभिन्न प्रकार के पत्थरों की उपयुक्तता का अहार्पण।

(३) ईंटों की चुनाई में उपयुक्त मसाले की खोज के लिये उसकी भारवाहन शक्ति का अध्ययन।

(४) विभिन्न जल रोधकों का परीक्षण।

(५) विभिन्न प्रकार के रंगों की उपयुक्तता का परीक्षण।

(६) ज्वाइंट फिलर (Joint filler) पर प्रयोग।

(७) कंकर-चून द्वारा मिट्टी का स्थायीकरण।

(८) लचीली तह वाली सड़कों का निम्नस्तर पर अधोमृदा जल का अध्ययन।

(९) सीमेंट-चूना, चूना-सुरखी व कंकर-चूने द्वारा मिट्टी के स्थायीकरण का तुलनात्मक अध्ययन।

(१०) उत्तर प्रदेश की सड़कों पर यातायात का पूर्वानुमान करन के लिये तीन जिलों की यातायात संगणना का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि सन् १९४७ से यातायात १३ गुना हो गया है।

८—विभिन्न पदार्थों के बहुत से नमूने की जांच की गई व क्षेत्रीय अभियन्ताओं को सुझाव दिये गये।

वर्ष १९६४–६५

१—उत्तर प्रदेश की बालुओं के परीक्षण का कार्य समाप्त किया गया तथा बालू के विवरणों को संशोधित किया गया। एक विवरणिका छप रही है।

२—उत्तर प्रदेश के पत्थरों के परीक्षण का कार्य भी समाप्त किया गया व पत्थरों के विभिन्न प्रयोगों पर एक विवरणिका छापी जा रही है।

३—काली मिट्टी में नींव की परिकल्पना की कार्य रीति निर्धारित की गई एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित की गई।

४—खीरी जिले के शारदा पार वाले क्षेत्र में अच्छी प्रकार की ईंट बनाने की विधि निकाली गई।

५—१०० से अधिक मीलों में सड़क टूट जाने के कारणों की जांच की गई व उनको ठीक करने के सुझाव दिये गये।

६—२० भवन-स्थलों की नींव की भार वाहक क्षमता निकाली गई।

७—१७ सेतु-स्थलों के मिट्टी स्तरों के सिल्ट फैक्टर (Silt factor) कुओं की गहराई की परिकल्पना के लिये निकाले गये।

८—१४ पुलों के लिये विशिष्ट कंक्रीट मिलावा की परिकल्पना की गई।

९—कंकर चूने से मिट्टी स्थायीकरण का प्रयोगिक कार्य समाप्त किया गया और सुल्तानपुर जिले के मझवारा-हलियापुर सड़क पर क्षेत्रीय अवनीक्षा की जा रही है।

१०—रेह वाली मिट्टी में भवन-निर्माण के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों का निर्णय किया गया तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं को आदेश भेजे गये ।

११—परियोजनायें (pilot projects) ।

(१) ऊर्द्ध भट्ठी (Down Draft Kiln) में अधिक शक्तिवाली ईंटों का निर्माण ताकि उनका सड़क निर्माण में पत्थर के स्थान पर प्रयोग किया जा सके । इसके लिये भूमि ली जा रही है ।

(२) चिनहट-देवा मार्ग पर खड़ंजा ईंटों का प्रयोग कम यातायात में उनकी उपयोगिता जानने के लिये किया गया ।

(३) बनी-हरौनी एवं तिरवा-मोहन मार्गों पर कम यातायात में मिट्टी के यांत्रिक स्थायीकरण की उपयुक्तता जानने के लिये प्रयोग किये गये ।

(४) उरई जिले के वांगरा-गोपालपुर मार्ग पर काली मिट्टी के चूने द्वारा स्थायीकरण की उपयुक्तता जानने के लिये प्रयोग किये गये ।

(५) बरेली जिले में बरेली-अल्मोड़ा मार्ग पर एवं कानपुर जिले में ग्रांड-ट्रंक मार्ग पर जल बन्धित (Water bound) एवं डामर युक्त (Bituminous) ऊपरी तहों (overlays) की तुलनात्मक भार प्रसारण क्षमता (Load spreading property) ज्ञात करने के लिये प्रयोग ।

१२—अभियांन्त्रिक पदार्थों के बहुत से नमूने का नैत्यिक परीक्षण किया गया व आवश्यक सुझाव भेजे गये ।

१३—संस्थान के अधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं, परिसंवादों एवं सम्मेलनों में ६ तकनी की लेख भेजे गये ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

१९६२–६३ से सरकार ने ६२ संस्कृत पाठशालाओं की दो श्रेणियां प्रथम व द्वितीय बनाई हैं। ऐसे संस्कृत महाविद्यालय जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की १९६२ की परीक्षा में शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाओं में कम से कम १५ परीक्षार्थी प्रविष्ट किये थे, प्रथम श्रेणी में रखे गये। संस्कृत महाविद्यालय जिन्होंने प्रथमा से आचार्य तक की परीक्षाओं में कम से कम ३० परीक्षार्थी प्रविष्ट किये थे, द्वितीय श्रेणी में रखे गये।

संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वेतन क्रम स्वीकृत हैं :

अध्यापक वर्ग	वेतन-क्रम
प्रोफेसर ..	.. १०००–५०–१,५०० रु०
रीडर ..	.. ७००–४०–१,१०० रु०
लेक्चरर ..	.. ४००–३०–६४०–४०–८०० ०

इंस्ट्रक्टर या रिसर्च असिस्टेन्ट २००–१०–३१०–द०रो०–१४–४५० रु०।

संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को निम्नलिखित वेतन क्रम स्वीकृत हैं :

प्रिंसिपल ..	.. २५०–२५–४००–द०रो०–३०–७००–द० रो०–५०–८५० रु०।
प्रोफेसर ..	.. २५०–२५–५०० रु०
असिस्टेन्ट प्रोफेसर ..	.. १५०–८–१९०–१२–३५० रु०
शिक्षक ..	.. ७५–५–१२०–द० रो०–८–२०० रु०।

द्वितीय श्रेणी

प्रिंसिपल ..	.. २५०–२५–५०० रु०
टीचर ..	.. १२०–८–२००–१०–३०० रु०
असिस्टेन्ट टीचर ..	.. ७५–५–१२०–द० रो०–८–२०० रु०।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७५ पर)

क्रम-संख्या	नाम कानूनगो	नाम क्षेत्र	तिथि जब से काम कर रहे हैं	तिथि जब से जिले में आये	विवरण
१	२	३	४	५	६
	सर्वश्री—				
१	भगवानदत्त लाल	सिद्धौर	३–९–६४	२७–४–६३	
२	देशराज सिंह	हैदरगढ़	८–१–६५	८–१–६५	फिलहाल मेडिकल छुट्टी पर हैं।
३	गयाप्रसाद गुप्ता	सुबेहा	१–८–६४	१९–६–५७	
४	गोमतीलाल	देवा	१–२–६५	१–२–६५	
५	बाबूराम वर्मा	नवाबगंज	२९–७–६३	२९–७–६३	
६	त्रिलोकीनाथ	सतरिस	२३–३–६३	२३–३–६३	फिलहाल नायब तहसीलदारी पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं।
७	तिलकराम पांडेय	प्रतापगंज	११–६–६३	३–६–६१	
८	स्वारथ सिंह	मुहम्मदपुर	२७–८–६४	१–८–६३	
९	राजाराम मिश्रा	रामनगर	१५–१–६५	१५–१–६५	
१०	महराजबली	कुर्सी	२१–३–६४	३०–४–६०	
११	श्यामाचरन शुक्ल	फतेहपुर	२१–६–६४	२१–४–६०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम कानूनगो	ग्राम क्षेत्र	तिथि जब से काम कर रहे हैं	तिथि जब से जिले में आये	विवरण
१	२	३	४	५	६
१२	जगदम्बा राय	रुदौली	१६-१-६५	१६-१-६५	
१३	रामप्रताप तिवारी	दरियाबाद पूरब	६-९-६३	६-९-६३	
१४	त्रिभुवन दत्त	मवई	१२-१-६५ से कानूनगो हैं।	१२-१-६५	आयुक्त महोदय, फैजाबाद के कानूनगो हैं आदेश से श्री शारदा प्रसाद कानूनगो चार्ज छोड़कर चले गये हैं। उनके स्थान पर श्री शोभनाथ मिश्रा के आने की प्रतीक्षा हैं। स्थानीय अस्थायी प्रबन्ध में श्री त्रिभुवनदत्त, लेखपाल कार्य कर रहे हैं।
१५	प्यारे लाल	सूरजपुर	१-८-६४ से कानूनगो हैं।	१-८-६४	आयुक्त महोदय, फैजाबाद के आदेश से श्री अमीरुलहसन जाफरी कानूनगो जिले से बाहर जा चुके हैं। उनके स्थान पर श्री मुजाव उल्ला की प्रतीक्षा है। स्थानीय अस्थायी प्रबन्ध में श्री प्यारेलाल, लेखपाल कार्य कर रहे हैं।
१६	बलराम शर्मा	दरियाबाद पश्चिम	२९-७-६४ से कानूनगो हैं।	२९-७-६४	श्री कृष्ण मोहन पांडेय कानूनगो नायब तहसीलदारी पर चले गये हैं तथा दूसरे किसी स्थायी कानूनगो के न आने पर स्थानीय अस्थायी प्रबन्ध में श्री बलराम शर्मा, लेखपाल कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम लेखपाल	तहसील
	वर्ष १९६२–६३	
१	श्री जगजीवन प्रसाद	हैदरगढ़
२	श्री प्यारे लाल	नवाबगंज
३	श्री परसराम सिंह	नवाबगंज
५	श्री बाबूराम	फतेहपुर
४	श्री रामसुख	रामसनेहीघाट
६	श्री श्यामबख्शसिंह	रामसनेहीघाट
	वर्ष १९६३–६४	
१	श्री प्यारेलाल	नवाबगंज
२	श्री रामसागर	रामसनेहीघाट
३	श्री परसराम सिंह	नवाबगंज
४	श्री मोहम्मद समद	नवाबगंज
५	श्री माता प्रसाद	हैदरगढ़
६	श्री जगदीश सरन	फतेहपुर
७	श्री बाबूराम	फतेहपुर
८	श्री बलराम शर्मा	रामसनेहीघाट
९	श्री सुरेंद्रकुमार	नवाबगंज
	वर्ष १९६४–६५	
१	श्री प्यारे लाल	नवाबगंज
२	श्री परसराम सिंह	नवाबगंज
३	श्री माता प्रसाद	हैदरगढ़
४	श्री त्रिभुवन दत्त	रामसनेहीघाट
५	श्री हरीप्रसाद	हैदरगढ़
६	श्री बलराम शर्मा	रामसनेहीघाट

सत्यमेव जयते सूचना विज्ञान प्रदेश

मत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

प्रश्न ४२ से सम्बन्धित सूचना

तहसील	महीना	संख्या कुर्की जारी की गयी	संख्या जानवर जो कुर्क हुए	संख्या बाकी-दार जो हवालात में बन्द किये गये
१—तरबगांव	दिसम्बर, १९६४	४		६
	जनवरी, १९६५ ..	..	..	५
२—बलरामपुर	दिसम्बर, १९६४	२	..	..
	जनवरी, १९६५	८१	..	२

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८१ पर)

संलग्नक 'क'

४ उम्मेदवार बुलाये गये थे। शिक्षा योग्यता निम्नलिखित है।

१—श्री रवीन्द्रनाथ मिश्र, ड्राइंग व पेंटिंग में द्वितीय श्रेणी में एम०ए०।

२—श्री आर० एस० जैसवाल, ड्राइंग व पेंटिंग में द्वितीय श्रेणी में बी०ए० तथा राजकीय आर्ट व क्राफ्ट स्कूल, लखनऊ का ५ वर्षीय डिप्लोमा।

३—कु० रमा शुक्ला, ड्राइंग पेंटिंग से द्वितीय श्रेणी में बी० ए० तथा राजकीय आर्ट व क्राफ्ट स्कूल, लखनऊ का ५ वर्षीय डिप्लोमा।

४—कु० कुसुम गुप्ता, ड्राइंग व पेंटिंग से प्रथम श्रेणी में एम० ए०।

विज्ञापित योग्यता निम्नलिखित है:—

गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट, कलकत्ता या गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट तथा क्राफ्ट, लखनऊ या स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर या मेयो स्कूल आफ आर्ट्स तथा क्राफ्ट्स, लाहौर या गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स तथा क्राफ्ट मद्रास या सर जे०जे० स्कूल आफ आर्ट बम्बई या कला भवन, विश्व भारती, शांति निकेतन (जब कि व्यक्ति विशेष ने पूर्ण प्रशिक्षण लिया हो तथा सर्टीफिकेट भी प्राप्त किया हो) से नियमित अभ्यर्थी के रूप में डिप्लोमा तथा इंटर कक्षाओं को तीन वर्ष ड्राइंग अध्यापन का अनुभव और साथ ही डिग्री कक्षाओं को ड्राइंग व पेंटिंग विषय ३ वर्ष पढ़ाया हुआ हो।

चुनी गई अध्यापिका ने जिस कालेज में अध्ययन किया था उसमें श्री बरथरिया जी ने उन्हें ड्राइंग व पेंटिंग विषय पढ़ाया था। लेकिन श्री बरथरिया चुनाव समिति के सदस्य नहीं थे, वे टेक्निकल सलाहकार थे।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२० पर)

अनुदान संख्या ३०, ४९ तथा ३१ के संबंध में सदस्यों से प्राप्त लिखित सुझाव ।

श्री सुखदेव प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय में कटौती के प्रस्ताव का–जो सिंचाई विभाग के बजट पर विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है–समर्थन करते हुये निम्नांकित बातें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से लिखित रूप में मांग करता हूं आशा है स्वीकार करेंगे ।

(१) पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिल एरिया के अन्दर ३२५ ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की गयी है परन्तु गोंडा जिले में बलरामपुर, तुलसीपुर, में अर्थात् तहसील बलरामपुर में केवल ३ दिया जब कि यह गन्ना धान पर आधारित है । अतः कम से कम ३५ बनाये जायें ।

(२) गिरारी टट्टी बांध की भूमिहरिजनों, भूमि हीनों को दी जावे । सिंचाई विभाग द्वारा ही वह दी जाती है ।

(३) नहर की पटरियों एवं सड़कों को आम रास्ता किया जावे ताकि चलने की सुविधा सर्वसाधारण को हो सके ।

श्री मुल्तान सिंह

श्रीमान् ,

अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

मैं अपने सुझाव निम्न प्रकार दे रहा हूं ।

सुझाव नं० १—

सिंचाई विभाग की नहर का पानी किसान को रबी की फसल में जो दिया जाता है उस की एक निश्चित आबपाशी है कि इतना प्रति बीघा लिया जायेगा पूरी फसल का । मिसाल के तौर पर गेहूं पांच पानी में पकता है । अक्सर ऐसा होता है कि पहला पानी किसान को दे दिया गया और दुबारा नहर में पानी न होने की वजह से या वहां के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दुबारा तिबारा पानी किसान के खेत में नहीं पहुंच पाता और उसकी फसल सूख जाती है और उस किसान से आबपाशी पूरी ले ली जाती है ऐसा कायदा इस समय तक सिंचाई विभाग का है । मेरी यह राय है अगर एक ही पानी सरकार की कमी की वजह से किसान को मिलता है तो उस की आबपाशी माफ कर दी जावे । अगर दो, तीन पानी किसान को मिलता है तो बाकी दो पानी की आबपाशी न ली जाये । यदि चार, पांच पानी मिल जाते हैं तो पूरी आबपासी ले ली जाय । पलेवा कर के जो लोग हरी खाद या हरा चारा उगाते हैं उसकी भी आबपाशी माफ कर दी जाये ।

सुझाव नं० २—

समस्त उत्तर प्रदेश में जहां पर नलकूप या नहर का साधन नहीं है वहां पर दस बीघा पुख्ता के पीछे एक कुंआ सिंचाई विभाग अपने रुपये से बनवा दे और जो धन उन कुओं में व्यय हो वह धन ३० साल में किसान से लगान के साथ ३ प्रतिशत सूद के साथ वसूल कर ले । इससे पानी की समस्या पूरे प्रदेश में समाप्त हो जायगी और उपज भी प्रदेश की ड्योढ़ी या दुगुनी हो जायेगी । यह कुयें ऐसी जगह बनवा दिये जावें जहां कि चकबन्दी कर दी गई है क्योंकि इसमें किसान का भी हित है और प्रदेश की जनता का भी हित है । अगर कोई किसान इन कुओं पर रहट या इंजन से नलकूप लगाना चाहे तो उन किसानों को उतनी धनराशि तकावी पर दी जावे

जितनी कि रहट तथा नल कूप में खर्च हो । कुयें कंकरीट तथा सीमेंट से बनवाये जायें और उस का ठेका किसी अच्छी फर्म को दे दिया जाये और यह कार्य दो साल में पूरा हो जाना चाहिये । इससे मेरे खयाल में जो उस प्रदेश में गल्ले की कमी है यह पूरी हो जायगी ।

सुझाव नं० ३—

मेरे क्षेत्र आगरा जिले में तहसील आगरा, ग्राम बुढ़ाना, बबीना, कुआ खेड़ा, महुआ, नवकिया गढ़ी, धान्धुपुरा, समोहर, मऊआ खेड़ा, खेरिया, ममरौली, कटारा, बसई तथा बरौली अहीर इत्यादि गांव में शीघ्र से शीघ्र नलकूप लगाने की कृपा की जाये क्योंकि यह गांव सब खाली हैं । पानी बहुत गहरा है नजदीक जमुना है और जिला परिषद् द्वारा यह एरिया पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है । इस क्षेत्र में उपरोक्त लिखे हुए कुछ गांवों की जमीन की आगरा कारपोरेशन के गंदे नाले के जरिये सिंचाई होती है उसका रेट शुरू में ५ रु० प्रति बीघा फसल का था दूसरी साल ३ रु० प्रति पानी प्रति बीघा कर दिया गया सन् १९६२ में १०रुपया प्रति प्रति बीघा पानी कर दिया गया । सन् ६४ में २५ रुपया प्रति बीघा कर दिया गया । यह रेतीला इलाका है । यहां गेहूं की फसल चार-पांच पानी में पकती है इस प्रकार १००रु०, १२५रु० प्रति बीघा की आबपाशी किसान को देनी पड़ती है । इतनी पैदावार होती नहीं है। उसकी मजदूरी और जमीन मुफ्त में चली जाती है जिस की वजह से उस इलाके के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । अतः मेरा सुझाव है कि इस नहर का रेट नलकूप के रेट के बराबर कर दिया जाये या नलकूप लगा दिये जायें ।

सर्व श्री—

१—सूरजपाल सिंह यादव,

२—जुगलकिशोर,

३—केशव राम,

४—हुकुम सिंह,

५—नारायण सिंह तथा

६—उल्फत सिंह यादव ।

श्री उपाध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश

आपने दिनांक १२-३-६५ को सदन में जो विनिश्चय किया कि सिंचाई पर माननीय सदस्य अपने सुझाव दें । तदनुसार ये सुझाव दे रहे हैं ।

महोदय, हमारे सुझाव निम्न प्रकार हैं—

जिला बदायूं की तहसील गुन्नौर में सन् १९६४ ई० तक कोई नलकूप नहीं था जब कि देश में आजादी होने के बाद दो पंचवर्षीय योजनायें चल चुकीं मगर इस सबसे पिछड़े हुए जिले की सब तहसीलों से पिछड़ी तहसील गुन्नौर है जिसमें उन्नति का कोई साधन नहीं है । यह तहसील इतनी अभागी है कि न इसमें बिजली ही देहात में है, न खेती की सिंचाई के लिये नलकूप ही है, न कोई नहर बगैरा ही का साधन है और न कोई खास आने जाने के साधन ही हैं । अब तक इस तहसील को सरकार के इंजीनियर वगैरा यही लिखते रहे हैं कि यहां नलकूप कामयाब नहीं होंगे । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां की जमीन हमवार सिंचाई के योग्य होते हुए भी अब तक एक भी नलकूप नहीं था । जब हम लोगों ने जनता की मांग के प्रार्थना-पत्र पर भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री राममूर्ति जी से बात की और उनको बदायूं में दिखाया कि तहसील गुन्नौर में नलकूप बनने की जरूरत है तो उनकी कृपा से यह १२ नलकूप सन् १९६४-६५ में बनने का मौका आया मगर एक सूचना ६-२-६५ को मिली जिसमें लिखा था कि नलकूप बनाने के बाद आश्वासन समाप्त समझा जावे । रही कामयाबी की बात उसके बारे में मुझे यह कहना कि जब प्राइवेट ट्यूबवेल अब से १५-१७ साल पहले से आयल इंजन से चल रहे हैं और आज तक खूब काम कर रहे हैं तो सरकारी नलकूप क्यों कामयाब नहीं हो सकते हैं

[श्री उपाध्यक्ष विधान सभा]

श्रीमान जी से एक निवेदन यह भी करना है कि अब जो ४ नलकूप बनाये हैं वह सिर्फ गुन्नौर के ही चारों तरफ बनाये हैं जो सिंचाई का एरिया है। उधर सिर्फ एक नलकूप बना है जो गुन्नौर के उत्तर पूरब में है और ३ नलकूप ऐसी जगह हैं जहां सिंचाई करने का रिवाज कम है। मुझे इसके बारे में यह कहना है कि यदि नलकूप बनाने से पहिले हम लोगों से भी राय ली जाती तो हम यह बता सकते थे कि सिंचाई यहां ज्यादा होती है। रही बिजली की लाइन के बार में, उसमें उतना ही खर्च आना था जितना इन चारों नलकूपों पर बिजली पहुंचाने में आवेगा। हमें जब पता चला तो हम बदायूं के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले और उनको यह सुझाव भी दिया कि जहां पर यह नलकूप आप बना रहे हैं वहां न बनाकर गुन्नौर के उत्तर पूरब में बनाये जावें तो उन्होंने बताया कि यह अब यहां ही बनेंगे क्योंकि यहां ही मंजूर हुये हैं। आपसे मेरी तहसील गुन्नौर के क्षेत्र की जनता की तरफ से यही प्रार्थना और सुझाव है कि यहां १२ नलकूप, जो सरकार व आप सज्जनों की दया से तहसील गुन्नौर में बनवाने का आश्वासन दिया था वह समाप्त न करके इस वर्ष अवश्य बनाने की आज्ञा प्रदान की जावे। ऐसी कोई खता तहसील गुन्नौर की जनता ने नहीं की है जो सरकार द्वारा खेती के लिये नलकूपों की मद न मिल सके साथ ही यह सुझाव भी है कि जहां तक हो गुन्नौर के उत्तर पूरब में नलकूप बनाये जावें उधर सिंचाई का रिवाज ज्यादा है और वहां की जनता की मांग भी है और उस तरफ की जनता लघु उद्योगों व निम्न नलकूपों के लिये बिजली भी लेने को तैयार है।

अतः श्रीमान् जी से बार बार निवेदन है कि इस तहसील के भाग्य विधाता बन कर यहां १२ नलकूप इस योजना में अवश्य बनवाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण सिंह--

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,

विधान सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि आपने ३ सुझाव सिंचाई के बारे में देने का आदेश दिया था। अतः ३ सुझाव निम्नलिखित देता हूं कृपया उसको आज की कार्यवाही का अंग बनाया जाय।

(१) जमालपुर ब्लाक, जो परगना भूइली, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में स्थित है, वहां कुडला ताल तथा गड़ई नदी पर जो ३ रेगूलेटर याने गाड़ीघाट, उसरौली, व पचोखर ताल पर कायम हैं जो वाराणसी क्षेत्र में पड़ते हैं वहां के लोग सिर्फ ३ गांव वाले मिर्जापुर के अन्तर्गत जमालपुर ब्लाक के ३० गांव को बरसात के दिनों में उन रेग्युलेटर को बन्द करके डुबो कर अपनी आबपाशी भी करते हैं और ३० गांव की फसल खराब हो जाती है (water logging) जलमग्न की समस्या कोटवा ताल तथा गड़ई नहर समस्या का हल अवश्य किया जावे यह कार्य १७ वर्ष से जेरे तजबीज है और जनशक्ति अभियंता वाराणसी को इस वक्त सुपुर्द कर दी गई है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इसके लिये रुपया मंजूर करना चाहिये।

यह कार्य या तो गड़ई नदी को खोदकर पहले का रास्ता साफ कर दिया जाय और तीनों रेगूलेटर हटा दिये जावे।

या

एक नाला कुड़वा ताल से खोदकर घुरहा नाले में मिला दिया जावे जो रामनगर में वाराणसी जिले में है और जो गंगा जी में गिरता है।

(२) दूसरा सुझाव यह है कि जरगो मुगलसराय राजबहा में से एक नहर जोगवां गांव से जमालपुर ब्लाक में महेवा, सहेवा जोगवां धारा, मठना वगैरह ग्रामों के लिये निकाली जावे ताकि पानी के निकास के बाद उन ३० गांवों को आबपाशी का प्रबन्ध हो सके।

(३) पथरौरा माइनर का टेल परसिया गांव तक बढ़ाई जावे तथा कटका माइनर की भी टेल बढ़ाई जावे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान निम्न बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं:—

१—१९५२ में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वर्कशाप, सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था, परन्तु उपरोक्त सिंचाई वर्कशाप जो बरेली, मेरठ, आगरा, रुड़की आदि में हैं, उनके क्लर्क व अन्य कर्मचारी जो लगभग अब तीन सौ से ऊपर होंगे—१७–१८ वर्ष नौकरी करने के बाद अभी तक स्थायी नहीं हैं, उन की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध है। सरकार उनको कब तक स्थायी करेगी कुछ पता नहीं चलता।

२—बरेली तहसील के अन्तर्गत लाणपुर ग्राम सिंचाई-साधन विहीन है। न वहां नहर है और न ट्यूबवेल वहां ट्यूबवेल। अवश्य लगाया जावे।

३—बरेली के भोजीपुरा विधान सभा क्षेत्र में केवल धौरा, टांडा तथा रिठौरा ग्रामों में ही बिजली पहुंची है, एक हजार आबादी से ऊपर के ग्रामों में बिजली पहुंचाने का सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया।

श्री नाथूराम शिक्षक—

सिंचाई विभाग के अनुदान के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव के पक्ष में निम्नलिखित सुझाव जोड़ दिया जाय:—

१—इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के ग्राम दिम्प के किसानों के ऊपर नहर विभाग द्वारा अदालत के निर्णय के विरुद्ध तवान वसूली रोक दी जाय। उक्त तहसील की ग्राम सभा मालीपुर नगरेहा के सामने जनवरी, १९६५ में नहर कट गई जिसके कारण उक्त ग्राम की फसल बरबाद हो गई तथा गृह भी बरबाद हो गये। अतएव इस फसल का लगान माफ करते हुये गृह निर्माण तथा पुनर्वास की व्यवस्था करें।

२—जमुना नदी के किनारे के ग्रामों में सिंचाई का कार्य बढ़ाने के लिये बिजली विस्तार करा कर नलकूप लगवाने की व्यवस्था शीघ्र करें, क्योंकि मेरा क्षेत्र असिंचित क्षेत्र है। ५०–६० फिट नीचे पानी मिलता है जिसके कारण कुयें से सिंचाई नहीं हो सकती। इसी क्षेत्र में अलवारा झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग ५ मील होगा उसको गहरी खुदा कर बरसाती पानी इक्ट्ठा करके सिंचाई का काम चलाया जाय।

(३) रामगंगा बांध का पानी इस क्षेत्र में आने में देर है अतएव उक्त क्षेत्र के उत्तरी भाग में कुयें, जहां पानी कुछ ऊपर है, अधिक से अधिक किसानों को सहायता देकर शीघ्र अल्प-सिंचाई योजना चालू की जाय। इस क्षेत्र में तालाबों तथा झीलों के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है उनका सर्वे करा कर गहरे कराये जायं। असिंचित क्षेत्र होने के कारण मौजूदा चैती फसल में लगभग ७५ पैसे की क्षति हो चुकी है, व्यवस्था की जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

सेवा में, माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ,

महोदय, १२–३–६३

आपकी सेवा में आज दिनांक १२–३–६५ के सिंचाई अनुदान पर सिंचाई मंत्री जी को तीन सुझाव देना चाहता हूं:—

१—जिला एटा में बुढ़ गंगा नाले पर दो पुलों के निर्माण एवं उसका सिंचाई कार्यों के लिये उपयोग की आवश्यकता है।

बुढ़गंगा नाले की २० फीट चौड़ाई की सफाई नरौरा एवं फर्रुखाबाद के डिवीजनों द्वारा कराई जाती है। साथ ही इसमें कई माइनरों और रजबहों की टेल गूल का पानी भी इस नाले में जाता है। बुढ़गंगा नाले की दक्षिणी दिशा में ५० हजार जनसंख्या ऐसी है जिसके लिए अस्पताल, रेलवे स्टेशनों, बस सुविधा, वि० क्षे० कार्यालय, पुलिस थाना, जिला कचहरी, तहसील कचहरी, बाजार, डाकखाने, शिक्षा संस्थाएं आदि आवश्यक सुविधाओं के स्थान बुढ़गंगा नाले की दक्षिण दिशा में स्थित हैं। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है।

अतः एक पुल पटियाली से नरदौली जाने वाले मार्ग पर तथा दूसरा पुल ग्राम बढ़ौला से थाना दरियांव गंज वि० क्षे० पटियाली, जिला एटा पर बनना आवश्यक है। इन पुलों की आवश्यकता को मानते हुए माननीया सुचेता कृपालानी जी द्वारा विधान सभा में दिया गया आश्वासन संख्या ४९२/६२, जो कि इस समय सिंचाई (ग) विभाग में उचित कार्यवाही हेतु विचाराधीन है, उस पर शीघ्र कार्यवाही करा के पुलों का अविलम्ब निर्माण कराया जावे।

साथ ही बुढ़ गंगा नाले में वर्ष में ९ महीने तक लगातार पानी बहता है। अतः प्रयोगात्मक ढंग से वाटर पम्पों के द्वारा विभागीय स्तर पर वि० क्षे० पटियाली में सिंचन कार्य कराया जावे तथा लाभकर एवं उपयोगी होने पर स्थाई रूप से योजनाओं को लागू किया जावे।

२—परगना निधपुर, जिला एटा की बाढ़ से सुरक्षा की आवश्यकता है।

परगना निधपुर, जिला एटा में १९४८-४९ में श्रमदान द्वारा जो जनता ने बांध बनाया वह मरम्मत के अभाव से कई जगह टूट गया है। इसकी मरम्मत के लिये नैनीताल की सिंचाई स्थायी समिति में माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने यह आश्वासन दिया था कि २५ हजार रुपया मरम्मत के लिये शासन भी देने को तैयार है। फिर माननीय शर्मा जी क्षे० स० का प्रस्ताव मांगा वह भी मैंने ला कर दे दिया था। अब यह कहा जा रहा है कि प्राविधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि गारंटी तो किसी बड़े से बड़े बांध की भी नहीं दी जा सकती है। परन्तु स्थानीय अनुभव के आधार पर यह निश्चित है कि जो बांध ८ वर्षों तक क्षेत्र की रक्षा करता आ रहा है उसको मरम्मत के बाद सैकड़ों गांवों एवं हजारों एकड़ों कृषि भमि की रक्षा हो सकेगी। अतः इस बांध की मरम्मत के लिये एक विधि निश्चित कर दी जावे तथा क्षे० स० गंजडूडवारा को मरम्मत के लिये धनराशि प्रदान कर दें ताकि मरम्मत हो जावे।

इस क्षेत्र में जो स्थायी बांध बनाने की सर्वेक्षण कर ली गई है उसका तखमीना स्वीकार करके तुरन्त बनाया जावे।

ग्राम नरदौली की गलियों ने सैलाबी पानी के बहाव के कारण नालों का रूप धारण कर लिया है। अतः गलियों के भूमि स्तर को ऊंचा करके उनके गांव के बाहर निकलने वाले अग्रिम भागों को ढालू रूप में पक्का कर दिया जावे ताकि सैलाबी पानी दुबारा गलियों को न काट सके।

३—फर्रुखाबाद नहर शाखा के ३१ वें मील पर ग्राम गढ़िया के पास एक इनलैट बनाई जावे। विभाग की यह रिपोर्ट कि गांव का भूमिस्तर नहर के भूमि स्तर से नीचा है, बिलकुल असत्य है। क्योंकि १५ वर्षों से मैं प्रति वर्ष देख रहा हूं कि प्रति वर्ष नहर की पटरी काट कर बरसाती पानी निकाला जाता रहा है तथा २ वर्षों से विभाग के द्वारा अस्थायी रूप से पाइप लगाकर बरसाती पानी निकाला जाता रहा है। यदि गांव का भूमि स्तर नीचा होता तो फिर अब तक गांव का पानी प्रति वर्ष अस्थायी रूप से नहर में कैसे निकलता रहा है।

अतः जो अस्थायी पाइप लगाये हैं उनको उचित स्थान पर स्थायी रूप से लगा कर नलैट तैयार करने का कार्य जून, १९६५ से पूर्व ही पूर्ण करा दिया जावे।

श्री उल्फतसिंह यादव—

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,

विधान सभा ।

दिनांक १२ मार्च, १९६५ को सदन में आप के द्वारा जो निश्चय किया गया है उसके अनुसार सिंचाई मंत्री के लिये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूं :—

(१) बदायूं जिले की तहसील सहसवान के परगना सहसवान में कस्बे सहसवान से पश्चिम की ओर एक भी नलकूप नहीं है । इस प्रकार सिंचाई की कोई भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो गई है । चारो ओर नलकूप बने हैं परन्तु क्षेत्र में १० मील के आस-पास कोई नलकूप नहीं है ।

अनेकों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया परन्तु उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगी । सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि उस भूमि में नलकूप लग ही नहीं सकते । परन्तु उस समय बड़ा आश्चर्य होता है जब कि निजी नलकूप बराबर पानी दे रहे हैं ।

ऐसी दशा में मेरी मांग है कि सरकार बहाना छोड़ कर उक्त क्षेत्र में नलकूप लगवाने की व्यवस्था करे ।

श्री बैजनाथ पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

हमारा निम्नलिखित सुझाव आदरणीय सिंचाई मंत्री जी को देने का कष्ट करें ।

श्रीमान,

हमारे क्षेत्र में ४ ब्लाक हैं जो नीचे दिये हुये हैं :—

(१) हंडिया ब्लाक—

इस ब्लाक में लाक्ष-गिर-बबुरी वन, महखरा-भेलसी, अंतरौरा चकवाली-जवरा डीहवमैला । पानी का सतह ६०-७० फुट नीचे है । सिंचाई का कोई साधन नहीं है ।

(२) सैदाबाद ब्लाक—

वजहा मिश्रान । यहां भी जरूरत है ।

(३) ब्लाक धनूपुर—

बाऊपुर-सहरी बोझ-धारू पुर-महाराजपुर-कोट दक्खिन-गोविन्दपुर बसगीत पिपरी-सतभाया का पुरा-देवबरा ।

(४) प्रतापपुर ब्लाक—

भुलेन-पिलखिनी-झारी बरना-महझा-चौका पतवा ।

हमारे यहां पानी की सिंचाई के लिये मुख्य समस्या है । इसके साथ ही गंगा के किनारे नालों से जमीन कट रही है उसकी व्यवस्था हो रही है ।

गोड़री-विझौली नाला बन रहा है ।

मेरे यहां माननीय केन्द्रीय मंत्री जल विद्युत् अभी आये थे । हमारे चीफ अभियन्ता श्री जैन साहब ने भी स्थिति हमारे क्षेत्र की देखी है । विश्वास है कि उनके आश्वासनों से हमारे क्षेत्र की कुछ कठिनाई हल होगी ।

श्री मदनपालसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मेरे निम्नलिखित सुझाव सिंचाई मन्त्री महोदय की सेवा में भेज दिये जावें तथा आज की प्रोसीडिंग में सम्मिलित किये जावें :

१--अर्जुन बांध केनाल के एक मील २ फर्लांग पर जो कुलाबा है उस पर एक माइनर, जिसकी नाप व इस्टीमेंट बन चुका है, जिसको लुहारी माइनर के नाम से संबोधित किया जाता है उसका कार्य अविलम्ब आरम्भ कराया जावे। इस माइनर को व्यवसायिक दृष्टिकोण से न देखकर अधिक अन्न उपजाओ योजना के रूप में मान लिया जावे। यह माइनर हर दृष्टिकोण से बनना अति आवश्यक है।

२--अर्जुन बांध के नीचे जो छोटा तालाब है जिसमें अर्जुन कैनाल प्रथम ही पदार्पण करती है वहां एक पुल बना है जिसमें पटिये लगाये जाते हैं और पानी को बन्द किया जाता व खोला जाता है वहां रेगुलेटर की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि पटियों की चोरी होती है व मिट्टी डालने में अधिक व्यय होता है फिर भी स्वस्थ प्रबन्ध नहीं हो पाता और ग्रामवासियों को व उनके पशुओं को पानी का बहुत अभाव हो जाता है। दूसरे सरकार को रेगुलेटर से अधिक व्यय नहीं होगा और सुविधाजनक होगा। साथ साथ यह पुल भी कम चौड़ा है इसको भी चौड़ा करने की आवश्यकता है। जो रैगुलेटर लगने पर अपने आप पुल का चौड़ा होना सम्भव हो जावेगा।

३--चरखारी से अर्जुन बांध की जो पक्की सड़क नहर विभाग द्वारा बनाई गई है, जो दो मील है शेष २ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है। मेरा सुझाव है कि नहर विभाग अपनी २ मील सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दे क्योंकि नहर विभाग उक्त सड़क के रख-रखाव में असमर्थ है और रोड की दशा शोचनीय है। अतः मेरा सुझाव मान लिया जावे तो कृपा होगी।

श्री हेतरामसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय

मैं आप के द्वारा माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करता हूं:--

१--सिंचाई की दर ट्यूबवेल में ज्यादा है, कम की जावे।

२--ट्यूबवेल के मोटरों के जल जाने पर उसे ठीक कराने में महीनों लग जाते हैं, अतः अतिरिक्त मोटर रखने की व्यवस्था करें।

३--मुरादाबाद जिले में सन् १९३८ से १९४५ ई० तक जो ट्यूबवेल की पुख्ता गूलें बनी हैं वे बेकार हो गई हैं। उन्हें तोड़ कर दोबारा बनावें और कुलाबों की पूरी व्यवस्था करें।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर--

श्रीमान् उपाध्यक्ष जी,

१--बस्ती जिले में, बांसी तहसील में पथरा बाजार के आसपास के ग्रामों में खेती और आबादी में हर साल बहुत नुकसान होता है। पथरातल बुद्धानाला में राप्ती नदी से सैलाब का पानी आने के कारण यह नुकसान होता है। इस पानी का बहाव रोकने के लिये उचित स्थान पर एक ठोकर बनाने के लिये व्यवस्था की जाय।

२--बस्ती जिले में बढ़नी क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाय।

३--बस्ती जिले के पुराने कुयें व तालाब, जो पटने की स्थिति में हैं, उनमें खुदाई कर के सिंचाई योग्य बनाया जाय और मैसनरी कुयें बनाये जायें।

श्रीमती शकुन्तला नायर—

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी,

निवेदन है कि मैं सिंचाई बजट के संबंध में तीन निम्न सुझाव भेज रही हूं। कृपया कार्यवाही में सम्मिलित कर लें :—

१—ग्राम मुडियार वि० क्षे० रुधौली, जिला बस्ती की पूर्व दिशा में एक नलकूप की परम आवश्यकता है। सिंचाई साधन के अभाव में हजारों एकड़ भूमि से अपेक्षित उपज नहीं हो पाती है। अतः ग्राम मुडियार की पूर्व दिशा में अविलम्ब एक नलकूप की व्यवस्था की जावे।

२—बस्ती जिले की ८० प्रतिशत जनता का स्तर गरीबी के निम्नस्तर से भी नीचा है। और अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। अतः बस्ती जिले की समस्त असिंचित कृषि भूमि के लिए नलकूपों द्वारा सिंचाई व्यवस्था अविलम्ब कराई जावे और अधिकारियों को तुरन्त आदेश दिया जावे।

३—कस्बा नगर, जिला बस्ती के क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि घाघरा एवं मनवर के सैलाबी पानी से जलमग्न हो जाती है तथा सैकड़ों गांवों का कटाव होता है।

४—सरयू नदी से बहुत से गांव कट गये हैं। वहां के निवासी बिना घर व कारोबार के पड़े हैं। नदी का रुख ऐसा है कि भविष्य में भी कटाव होंगे। अतः सरकार को चाहिये कि वह सर्वेक्षण करावे कि कितने गांव कटे या कटने वाले हैं और उनके बचाव का उपाय करे। और जो लोग बिना घर व कारोबार के हैं उन की भी उचित व्यवस्था करें।

श्री शिवनाथ सिंह—

सेवा में,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय वि० सभा० (उ० प्र०)

माननीय महोदय,

आप द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार सिंचाई निर्माण के अन्तर्गत मेरे निम्न सुझाव हैं :—

१—जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर का दक्षिणी भाग असिंचित है। यदि रेउना माइनर को आगे बढ़ा दिया जाय तो उससे लाखों एकड़ भूमि आसानी से सिंच सकती है तथा शेष असिंचित क्षेत्र में ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय क्योंकि घाटमपुर में बिजली पहुंच जाने से ट्यूबवेल योजना सुविधा से लागू की जा सकती है।

२—जिला कानपुर में विशेषतः तहसील घाटमपुर में हजारों एकड़ जमीन व फसल पानी भर जाने से प्रति वर्ष बर्बाद हो जाती है। अतः अविलम्ब जल निकास योजना की व्यवस्था की जाय। (१) ग्राम बौहारा, (२) कोरियां, (३) हथेही, (४) तेवारीपुर साहु, (५) सतरहुली भीतरगांव, (६) इसमाइलपुर के क्षेत्र प्रभावित हैं।

३—तहसील घाटमपुर में चकबन्दी के कारण नालियों, गूलों और कुलाबों के परिवर्तन के कारण सिंचाई में किसानों के समक्ष संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक कोई इस व्यवस्था के सुधार हेतु सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। अतः अविलम्ब नालियों, गूलों की खुदाई हेतु समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जाय तथा गलत स्थान में लगे हुये कुलाबे किसानों की मांग के अनुसार परिवर्तित किये जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

सेवा में,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आप द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार सिंचाई निर्माण के अन्तर्गत निम्न सुझाव भेज रहा हूं--

१--मथुरा जिले की गरकी, बाढ़ कटाव की समस्या को मास्टर प्लान बनाकर हल किया जाय ।

जो सुझाव गरकी मिटाने के आ चुके हैं उन पर तुरन्त खुदाई व सफ़ाई आरम्भ की जावे । इस सम्बन्ध में खास तौर से मांट क्षेत्र की दशा गरकी की दृष्टि से अति दयनीय है । पारसाल जो गरकी मिटाने का सर्वे मांट क्षेत्र के विधायक के सुझावों द्वारा तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की देख-रेख में हो चुका है, जिसे राज्य का सिंचाई विभाग मान चुका है । क्षेत्रीय विधायक के विधान सभा में लोक महत्व के प्रश्न के उत्तर में सरकार के सिंचाई मंत्री ने ता० ४-९-१९६४ को स्पष्ट बयान दिया है । उसे विधान सभा की ता० ४-९-१९६४ की कार्यवाही में देखा जा सकता है कि मांट क्षेत्र की गरकी समस्या को हल करने के लिये ४२ मील लम्बे नालों के निर्माण व पुनःनिर्माण व कुछ को गहरा चौड़ा करने की जो योजना प्रस्तावित है, उस पर वर्षा के बाद तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया जायगा । अब वर्षा बीते छः माह हो चुके खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ । अगली वर्षा भी आने में सिर्फ ३ माह की देरी है । अतः अवश्य ४२ मील की प्रस्तावित गरकी योजना को जिसमें निम्न नाले हैं, अविलम्ब खुदाई प्रारम्भ कराई जाय जैसा सिंचाई मंत्री बयान भी सदन में दे चुके हैं । ४२ मील की प्रस्तावित योजना में निम्न नाले हैं :--

(१) अकबरपुर ड्रेन, (२) अकबरपुर कट, (३) बीरबला कट, (४) हर नौल कट, (५) सकतपुर ड्रेन, (६) बदनपुर कट, (७) जरुवां कट, (८) बिलंदपुर ड्रेन, (९) शेरनी ड्रेन, (१०) लोहागढ़ ड्रेन, और (११) कौलाहारड्रेन आदि ।

२--मांट क्षेत्र में फिलहाल पतवाये नाले पर एक पुल की सख्त आवश्यकता है । हर साल इस पतवाये नाले में अनेकों मनुष्य तथा मवेशी वर्षा ऋतु में डूब जाते हैं । यह पुल पटवाया नाला पर पितौरा से कच्चा मार्ग जो ग्राम बरौठ को गया है वहां बनाना जरूरी है । इस पुल की मांग इस क्षेत्र की जनता विगत १५ सालों से बराबर करती चली आ रही है, क्योंकि इस भयंकर बरसाती नाले को पार करके सैकड़ों गांवों का आने-जाने का सदर रास्ता है ।

३--मांट क्षेत्र में ३ हजार एकड़ जमीन नशीटी नहर कोठी के इर्दगिर्द ग्राम नशीटी, कुड़वारा, सिरैला, लालगढ़ी, बिहारी गढ़ी, इरौली, जुन्नारदार आदि गांवों की जमीन जल प्लावित हो चुकीहै। विगत १५ सालों से यह जमीन गरकी ने बेकार कर दी है । समुचित निकासी के लिये सिंचाई विभाग इस जगह का ठीक से सर्वे कराये और जमीन की रक्षा कर इसे गरकी से बचाया जाय । इस रकबे को बचाने के लिए एक उपाय है--६० मील ४ फर्लांग तक और मील ५९ जहां सूरजा माइनर का एकोडिक्ट है उनसे १ फर्लांग ग्राम लालमढ़ी की तरफ तथा एक फर्लांग ग्राम लछिमन-पुरा की तरफ जो भूड़ा पड़ता है उससे नाला अट जाता है । इस बुड़वारा नाला की तली खेती के लेविल तक करीब ६ फर्लांग पक्की कर दी जाय ।

सुझाव

श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

१--क्षेत्र एतमादपुर उत्तर में हर नदी की बाढ़ से प्रति साल हजारों एकड़ भूमि गरकी में आ जाती है। गांवों में चार-चार महीना पानी भरा रहता है, मकान गिर जाते हैं, अतः इस हर नदी को खुदवा कर हजरतपुर के नाले में डलवाने की कृपा करें। वह नाला हजरतपुर जमुना नदी में जाता है। हरनदी थोड़ी-थोड़ी गहरी कर दी जाये तो पानी का कम विस्तार रहेगा। किसान इस क्षेत्र का इस बाढ़ के प्रकोप से, बरबादी से, बच जायेगा।

२--जिला आगरा, तहसील एतमादपुर क्षेत्र, उत्तर ग्राम, बिरूनी, जमाल नगर, भैंस बरहन, महौला ताल --नगला बरी, ग्राम देवखेड़ा, बगहेरे, इन गांवों में अभी पानी भरा है, गांव पानी में घिरे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्र ही नाले निकलवा कर इस क्षेत्र को बाढ़ गरकी से बचाने की कृपा करें।

३--जिला आगरा, तहसील एतमादपुर, खाड़े वाली नहर माइनर चावली होते एतमादपुर के ताल बुड़िया तक सर्वे भी हो चुका है, किन्तु अभी तक तीन मील बाकी रहा ताल बुड़िया वाला। कृपा कर के इस माइनर को तीन मील और बढ़ा कर ताल बुढ़िया में मिलवा दें तो वहां की सिंचाई का कार्य भी संतोषजनक चलेगा व किसानों को सुविधा होगी।

श्री लखीसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी,

मैं सिंचाई मंत्री जी के लिये सुझाव भेजता हूं। आशा है इनको स्वीकृति प्रदान करेंगे:

१--नहर आगरा से तहसील छाता में दो माइनर ६-७ साल से निकली है। माइनर चदौरी व माइनर सहजादपुर, राजवा, शेरगढ़, पुखरारी से जारी है। इनमें नहर का पानी नहीं चलाया जाता, इनमें नियमानुकूल पानी जो चलाया जाय तो सैकड़ों गांवों के किसानों की काश्त को लाभ होगा।

२--ग्राम ऐंच, तहसील छाता की पंजाब सीमा पर एक बांध बनाकर एक नाला १-१/२ मील लम्बा निर्माण कर गोंछी नाले में डाला जाय तो लगभग १,००० एकड़ खरीफ व रबी फसल की बरसाती पानी से रक्षा हो सकती है। उत्पादन बढ़ सकता है।

३--नहर आगरा में खरीफ की फसल को भी पानी दिया जाय जैसे पूर्वी जिलों की नहर बरसाती महीनों में चलती है ताकि जिला मथुरा में धान की फसल की सिंचाई हो सके। इसका सर्वे भी किया गया है।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय--

सेवा में,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मैं सिंचाई अनुदान पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के तहत में अपने क्षेत्र मछलीशहर, जिला जौनपुर के लिये निम्नलिखित सुझाव पेश करता हूं। आशा है आप इन्हें आज की कार्यवाही का अंग बनाने की कृपा करेंगे।

१--मछली शहर कस्बे की सातों तलैया के पानी निकासी की व्यवस्था की जाय, जिससे बरसात में कस्बे के लोगों को यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके और इस प्रकार प्राप्त जमीन पर अन्नोत्पादन हो सके।

२--कसेरवा ग्राम स्थित पुरौनीताल के Drainage पर दो छोटी पुलियों का निर्माण कराया जाय जिससे किसानों को हल-बैल लेकर आने जाने की सुविधा हो सके।

३——कसेरवा, जरौना, कमसिनी, तरहठी–डीह, तरहटी–कलिहापुर, चितांव, चौकी खुर्द, अकारा, जखनियां तथापंवारा में ट्यूबवेल की तत्काल व्यवस्था की जाय।

श्री मैनेजरसिंह——

आदरणीय उपाध्यक्ष जी,

आपकी व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित सुझाव सिंचाई के विवाद के सिलसिले में देना चाहता हूं :

१——प्रथम यह कि बलिया जिले का पूर्वी अंचल प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ रक्षा के निमित्त बलिया, बैरिया, बैरिया–संसार टोला एवं बकुलहा–संसार टोला बांध का निर्माण स्वीकृत हुआ, किन्तु बिहार सरकार के विरोध के फलस्वरूप निर्माण कार्य रोक दिया गया और यह निश्चय हुआ कि पूना अन्वेषणशाला की संस्तुति के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। पूना अन्वेषणशाला ने अपनी संस्तुति के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि बांधों के निर्माण से बिहार की कोई क्षति नहीं होगी। फिर भी बांध निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। साथ ही बकुलहा संसार टोला बांध ६ मील पूर्ण हो चुका था जिसकी मरम्मत विभागीय लापरवाही के कारण नहीं हुई और उक्त बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः यह सुझाव देना चाहता हूं कि बकुलहा संसार-टोला बांध की तत्काल मरम्मत की जाय और बैरिया संसार टोला बांध का निर्माण पूर्ण कराया जाय। इस बांध के निर्माण से बलिया जिले का द्वाबा क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो जायेगा और साथ ही बांध के भीतरी क्षेत्र में सिंचाई कार्य-क्रम भी सफलतापूर्वक सम्पादित हो सकेगा।

२——दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि बलिया जिले के द्वाबा क्षेत्र में सिंचाई का साधन अत्यन्त ही कम है। ऐसी दशा में उक्त क्षेत्र के अनेक भागड़ नाले और पानी के जलाशय हैं जिनके जल का अधिकाधिक उपयोग कृषि की उपज बढ़ाने के लिये किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम से अल्प व्यय से तत्काल लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार के अनेक भागड़ आदि हैं जैसे जमालपुर, चकिया, भीखा, छपरा का भागड़ टंग रहा नाला, टोले रिसालराय से लक्ष्मण छपरा, संसार टोला का नाला, रामपुर कोड़रहा का भागड़ का नाला। ऐसे जलाशयों का विकास कुछ सिंचाई साधन के साथ मछली पालन का कार्य-क्रम भी चलाया जा सकता है। शेष क्षेत्र में नलकूप लगाये जा सकते हैं। बिजली की लाइन उपलब्ध होने से जलाशयों के जल का भी बिजली के माध्यम से अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से दुम्वा के विभिन्न मौजे चकिया, बैरिया, भीखा छपरा, इब्राहिमाबाद, उपरवार कोडरहा, उपरवार कोडरहा, उपरवार नौवरार, चांदविवर, सोनवरसा, रामपुर, कोड़रहा, विजयपुर आदि में सिंचाई की सुविधा की जा सकती है।

३——तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि बलिया के पूर्वी अंचल में गंगा एवं घाघरा नदियों के प्रतिवर्ष के भीषण कटान के फलस्वरूप अनेकानेक गांव कटते जा रहे हैं और भूमि प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी दशा में कटान अवरोध के कार्य को व्यापक रूप से चलाने की आवश्यकता है। श्रीमन्, सिंचाई विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि सुरेमनपुर कटान अवरोध के कार्य-क्रम को सफलता के साथ पूर्ण किया है और गायघाट रुद्रपुर में गंगा नदी के किनारे बल्ली की ठोकरों का निर्माण का प्रारम्भ सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही सुझाव देना चाहता हूं कि गायघाट में पक्के ठोकरों का निर्माण कराने की योजना विभाग तैयार करे जिससे कटान का बढ़ाव स्थायी रूप से रोका जा सके।

श्री बांकेलाल——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आज्ञानुसार निम्नलिखित सुझाव सिंचाई मंत्री महोदय की सेवा में दे रहा हूं। आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे :

१——नावापार, मुड़ेरा बाबू, बरसैना, पिड़रा नाउमुन्डा, देवकली खोट्ठा इन स्थानों पर ट्यूबवेल लगा दिये जावें। उपरोक्त गांव देवरिया जिले के सुकरौली ब्लाक में हैं, पट्टन सिकरा

लक्ष्मीपुर झांगा और वोदरवार में भी ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करें। उपरोक्त स्थान मोतीचक और कप्तानगंज ब्लाक में हैं।

२—देवरिया जिला के सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत लेहनी पिपराइया ताल से पानी खींचने के लिये एक नहर निकाली गई है वह मिट्टी से भर गई है उसे ईंटे से बनवाने की कृपा करें।

३—कप्तानगंज ब्लाक में नारायणी कैनाल से जो नहर निकाली गई है उसका कुलाबा ठीक कराया जावे। मछागर गांव के पश्चिम जो नहर जाती है उस पर पुलिया बनायी जायें। होलिया गांव के उत्तर जो फरेन नाला है उस पर पुल का निर्माण करा दिया जावे।

श्री बृजबिहारी—

माननीय महोदय,

मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आजमगढ़ जिले के लिये पटेल आयोग के सुझाव के अन्तर्गत विकास खंड अतरौलिया, कोयलसा, तथा अहरौला के अन्तर्गत बाढ़ विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं। आशा है सरकार इन्हें कार्यान्वित करने की कृपा करेगी :

१—८५ लाख की धनराशि बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिये आजमगढ़ जिले के लिये स्वीकृत की गई है। मेरा सुझाव है कि उसी धनराशि में से निम्नलिखित नदियों पर छोटे छोटे पुलों का निर्माण कराने की व्यवस्था तुरन्त करा दी जावे जो कई दृष्टियों से अत्यन्त आवश्यक है :

अ—छोटी सरजू में अतरइठ बाजार के पास सेरवा गांव में एक एक आइरिश पुल का निर्माण।

ब—उसी सरजू नदी पर ग्राम कतालपुर के पुल का नवनिर्माण।

स—पिकिया नदी पर ग्राम कनैला के पास एक छोटे पुल का निर्माण।

द—अहरौला तथा ग्राम असलाई के बीच के नाले पर जो टोंस नदी से निकलता है, एक छोटे पुल का निर्माण।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३ एल० ए०—१९६५—८६२।